

परम पूज्य तपश्चर्या–चक्रवर्ती पट्टाधीशाचार्यश्री

सुविधिसागर जी महाराज

के

50 वें जन्मदिवस के पावन अवसर पर

सुविधि–परिवार के द्वारा आयोजित

जिनवाणी-महोत्सव

सहस्रग्रन्थसंग्रह

❊ जन्मदिवस 19–03–1971 ❊ मुनिदीक्षा–11–05–1989 ❊ आचार्यपद– 20–06–2004

पट्टाधीशपद– 24–12–2010 (20–06–2004 को की गई उद्घोषणा के अनुसार)

परम पूज्य आचार्यश्री सन्मतिसागर जी महाराज के द्वारा की गई उद्घोषणाः–

हमारी समाधि के पश्चात् आपको इस संघ के संचालकपद पर नियुक्त करते हैं।

(अंकलीकर वाणी–जुलाई 2004) (अक्षयज्योति–अक्तूबर 2004)

जैन धर्म की कुल मान्यतायें एवं सामाजिक आर्थिक विकास

लेखक
सुभाषचन्द्र जैन

प्रकाशक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी (उत्तरप्रदेश)

(परम्परानायक)



परम पूज्य चारित्र-चक्रवर्ती,
आचार्यश्री आदिसागर जी महाराज
(अंकलीकर)

(द्वितीय पट्टाधीश)



परम पूज्य तीर्थभक्त-शिरोमणि,
आचार्यश्री महावीरकीर्ति जी महाराज

(तृतीय पट्टाधीश)



परम पूज्य सिद्धान्त-चक्रवर्ती,
आचार्यश्री सन्मतिसागर जी महाराज

(चतुर्थ पट्टाधीश)

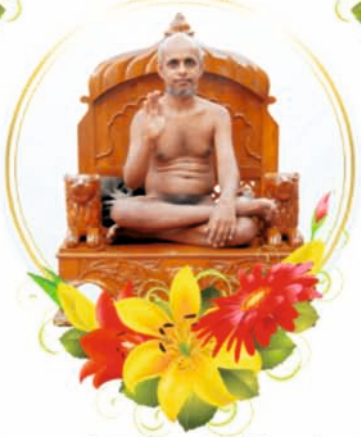

परम पूज्य तपश्चर्या-चक्रवर्ती, आचार्यश्री सुविधिसागर जी महाराज

दिगम्बर साधु निरन्तर पगविहार करते रहते हैं। ग्रन्थभण्डार को साथ में रख कर विहार करना अशक्यप्रायः होता है। फलतः उनको ग्रन्थों के सन्दर्भ देखने में असुविधा होती है। उनकी सुविधा के लिये इस कोश का निर्माण किया गया है। इस कोश के निर्माण में किसी भी प्रकार का व्यापारिक हेतु नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न श्रावकबन्धुओं से निवेदन है कि वे ग्रन्थ का विक्रय कर अध्ययन करने की परम्परा को कायम रखें।

मुखपृष्ठ पर हमने ग्रन्थकर्त्ता, अनुवादक, सम्पादक, प्रकाशक आदि के नाम दिये हैं। किसी संस्थान का कर्तृत्व हमने लुप्त नहीं किया है।

इस कोश के लिये आवश्यक ग्रन्थ हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त हुये हैं। हम उन सभी का आभार मानते हैं।

सुविधि-परिवार

जैन धर्म की कुल मान्यतायें एवं सामाजिक आर्थिक विकास

जैन धर्मावलम्बियों पर आधारित शोध-प्रबन्ध

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
के कला संकाय के अन्तर्गत समाज-शास्त्र विषय में
पी-एच.डी उपाधि के निमित्त प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक
डॉ. अरुण शुक्ल
प्रवक्ता, समाजशास्त्र
आर्य कन्या महाविद्यालय, झांसी [उ. प्र.]

शोधार्थी
सुभाषचन्द्र जैन

t 297

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी [उ. प्र.]
1993

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तुलाराम यन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत शोध- प्रबन्ध " जैन धर्म के कुल मान्यतायें एवं सामाजिक आर्थिक विकास - जैन धर्मावलम्बियों पर आधारित शोध प्रबन्ध ", मेरे निर्देशन में किया गया है तथा वह बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के शोध अध्यादेश के सभी उपबन्धों की पूर्ति करते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान शोध- प्रबन्ध उन्हीं के अनुसंधान, परिश्रम और अध्ययन का परिणाम है तथा इस योग्य है कि परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाये । इस शोध- प्रबन्ध का कोई भी अंश अथवा सम्पूर्ण किसी अन्य विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु विचारार्थ नहीं है तथा यह पूर्णतया मौलिक कृति है ।

शोध पर्यवेक्षक

निवास : 365, सिविल लाइन्स
झाँसी ।

दिनांक: 24.4.1993

डा० अरुण शुक्ल
प्रवक्ता, समाज शास्त्र
आर्य कन्या महाविद्यालय, झाँसी
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

प्राक्कथन

प्राक्कथन

वस्तुतः समाज वैज्ञानिक क्षेत्रों के अन्तर्गत धर्म का समाजशास्त्र सदैव से ही प्रमुख विचार विमर्श का केन्द्र रहा है। साधारणतया प्रत्येक समाज की संरचना के पृष्ठभूमि में धर्म का तत्व प्रारम्भात होने के कारण सम्पूर्ण आगामी व्यवस्थाओं को निर्देशित करने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने का प्रयास करता है। इस कारण धर्म का स्वरूप इतना व्यापक प्रतीत होता है कि जिसकी किंचित उपेक्षा सहज सम्भव नहीं होती है। सामाजिक विकास के क्रांति में इसके मूलरूप में विश्वव्यापी परिवर्तन दृष्टि-गोचर होते हैं। इसलिए समाज वैज्ञानिकों का दायित्व और भी अधिक जटिल हो जाता है। जितने कि ठोस मूलक इकाईयों का क्रमिक विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता है। उपलब्ध साहित्य का अवलोकन करने से इस आशय की पुष्टि होती है कि कालान्तर में जो भी शोध कार्य धर्म के समाज शास्त्र के परिधि के अन्तर्गत सम्पादित किये गये हैं उनमें क्षेत्रीय अथवा कारकों की विविधता होने के कारण तार्कमीमिक संदर्भ में स्वीकृत करने में अनेक प्रकार की जटिलतायें हो सकती हैं। अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मौलिक उपरोक्त इस आशय तथा जिज्ञासा के कारण सम्भव हो सके कि भारत वर्ष जैसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म विशेष के प्रसंग में तथा विशेषरूप से जैन धर्म के प्रकरण में प्रचलित मान्यताओं एवं समाज आर्थिक विकास के भावनीय इकाईयों का संगठन किस प्रकार हो रहा है। इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में अनेक प्रकार की परम्परागत विविधताओं को स्वीकृत करने के माध्यम से यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का सामाजिकसमी-करण निश्चित रूप से स्थापित किया जा सकता है। इसकी पुष्टि सम्भवता व्यक्त करने से नहीं अपितु संचित सामग्री के अवलोकन तथा तार्किक स्पष्टीकरण के आधार पर की जा सकती है और इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र का शिक्षाविद सहज एवं सादर भाव से आमंत्रित है।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रारम्भिक चरण से लेकर अंतिमचरण तक डा० अरुण कुमार समाज मान्य शास्त्री, प्रवक्ता समाज शास्त्र आर्य कन्या महाविद्यालय, काली का सक्रिय योगदान रहा। जिनके तत्पर निर्देशन में मैंने इस कार्य को पूर्ण किया। इसनिर्विकार शैक्षणिक योगदान के लिए मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रसंग में मैं डा० भार्गव, कुलपति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ जो कि एक वरिष्ठ समाजशास्त्री हैं और सम सामयिकरूप से उनका आशीर्वाद इस कार्य को पूर्ण करने में मुझे प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विभिन्न विषयों में मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, लखनऊ विश्वविद्यालय, इत्यादि स्थानों के पुस्तकालयों से अविस्मरणीय सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं उन समस्त समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों एवं विद्वानों के प्रति भी हार्दिक आभारी हूँ जिनकी कृतियों को सन्दर्भग्रन्थ के रूप में इस शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त किया गया है।

मैं जनपद झाँसी के उन सभी जैन धर्मावलम्बियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं साक्षात्कार के दौरान सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ प्रदानकर अध्ययन को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया।

मैं डा० सुभाष कुमार जैन प्राचार्य एवं अध्यक्ष अर्थ शास्त्र विभाग के चरणों का ऋणि हूँ जिनके मार्ग दर्शन एवं प्रेरणा से ही आज इस पथ पर अग्रसर हो सका हूँ।

इसके साथ ही मैं जैन महाविद्यालय झाँसी के वे अन्यतम समस्त मनीषियों, विद्वानों, गुरुजनों एवं सहयोगियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध के विषय में समय समय पर निर्देश दिये। इसमें सर्व - प्रथम प्रो० आर० डी० शर्मा, अध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग, प्रो० पी० आर० सिंह, प्रो० आर० पी० जैन, प्रो० विजय कुमार जैन, प्रो० पी० सी० शास्त्री, प्रो० ओ० एल० शर्मा, प्रो० एम० पी० जैन, प्रो० पी० के० जैन, डा० श्याम बिहारी शर्मा श्रीमती मेहता, डा० कोठारी, डा० त्रिपाठी, डा० आर० पी० यादोन

डा० श्याम सनेही शर्मा , प्रो० एस. सी. दुबला , डा० भिखा , श्रीमती नलिनी जैन अध्यक्ष इतिहास विभाग , डा० माधवी गोड़ , डा० आर्शा श्रिवर हीरिता , श्रीमती वीना शर्मा , श्रीमती गायत्री शर्मा , श्रीमती मिथलेश चतुर्वेदा , श्री राजीव दुबे , कु० सरिता जैन , श्री जी. के. जैन व्याख्याता(कुम्भ) श्री प्रकाश जैन श्री आर. पी. तिवारी श्री कन्नू भाई जी , एवं श्रीमती आशा जी , श्री नवीन एवं श्रीमती राजकुमारी जैन , प्रदीप जैन , ज्योतिषाचार्य एवं श्री ती. एस. जैन के प्रति विशेष आभारी हूँ जिनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने कुछ भी पाया है वह हमारे लिए अभिनन्दनीय है ।

मैं डा० बी. एन. त्रिवेदी प्राचार्य कुसुम बाई कन्या महाविद्यालय का हृदय से आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा सदैव मेरे साथ रही ।

एक सहयोगित व्यक्तित्व डा० विनोद सक्सेना के प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिनका मार्ग दर्शन मेरे लिए अनुकरणीय रहा ।

मैं देश ख्याति प्रसिद्ध कवि , अध्यात्मिक विचारक एवं चिंतक पूज्यनीय तन्मय बुलारिया जी के प्रति नत मस्तिष्क हूँ , जिनके आशीष से आज इस शोध प्रबन्ध को पूरा कर सका ।

मैं स्व० पूज्यनीय नाना जी श्री गिरधारी लाल जी जैन (तिवनी वाले) के चरणों में नतमस्तिष्क हूँ , जिनके प्यार प्रेम और वात्सल्य की स्नेह धारा ही मेरे जीवन पथ का आधार बनी ।

पूज्यनीय पिता जी एवं माँ के चरणों में नतमस्तिष्क हूँ जिनके आशीर्वाद और अनुकम्प प्रेरणा से इस शोध प्रबन्ध को पूरा कर सका ।

मैं अपने ससुर एवं सास के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनकी उदार - धार्मिक वृत्ति से , इस शोध प्रबन्ध के धरातल को ठोस आधार मिला ।

शोध कार्य को पूरा करने में समय - समय पर प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूप में मुझे परिवार जनों का सहयोग मिला , उन सभी के प्रति अपनी विनम्र एवं मौन कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती ममता जैन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनके अनवरत सहयोग एवं उत्साहवर्धन से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका ।

अन्त में मैं उन समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं सहयोगियों का आभारी हूँ जिनके निरन्तर प्रयास द्वारा प्रस्तुत कार्य की इति सिद्धि सम्भव हो सकी ।

(सुभाष चन्द्र जैन)

विषय - सूची

विषय - सूची

(1) प्राक्कथन

(2) तालिका सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय - 1.	प्रस्तावना	1 - 24
	(अ) शोध समस्या का सामान्य विवरण ---	2
	(ब) साहित्य का पुनरावलोकन ----------	3 -- 23
	(स) वर्तमान शोधअध्ययन के उद्देश्य -------	23
	(द) वर्तमान शोधअध्ययनके सम्भावित उपयोग-	24
अध्याय - 2.	अध्ययन पद्धति	25 - 44
	(अ) अध्ययन क्षेत्र ----------	26 - 37
	(ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ ----	38 - 39
	(स) आदर्श आकार ----------	39 - 40
	(द) प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य -----	40 - 42
	(य) सारणीयन ----------	43
	(र) सांख्यिकीय विश्लेषण ----------	43
	(ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें - -	43 - 44
अध्याय - 3.	सामाजिक व्यवस्था	45 - 102
	(अ) जैन धर्म का विकास ----------	46 - 60
	(ब) जनपद भिण्ड में जैन जन संख्या ----	60
	(स) सामाजिक घटनाक्रम ----------	60 - 100
	(द) समीक्षा ----------	101 - 102

अध्याय - 4.	सांस्कृतिक व्यवस्था	103 - 133
	(अ) जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ ----	104 - 132
	(ब) समीक्षा ----	133
अध्याय - 5.	आर्थिक व्यवस्था	134 - 159
	(अ) प्राचीन अर्थ व्यवस्था का स्वरूप ----	135 - 137
	(ब) वर्तमान अर्थ व्यवस्था का स्वरूप ----	137 - 151
	(स) आर्थिक विस्तार ----	152 - 158
	(द) समीक्षा ----	158 - 159
अध्याय - 6.	समाज - आर्थिक समन्वय	160 - 164
अध्याय - 7.	अन्य तथ्यों का विवरण	165 - 178
अध्याय - 8.	उपसंहार	179 - 198
	संदर्भ ग्रन्थ - सूची	199 - 213
	परिशिष्ट (साक्षात्कार अनुसूची का प्रारूप)	214 - 224

---- xxxxxxx ----

तालिका - सूची

तालिका - सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनपद झाँसी की जनसंख्या का विवरण	31
2.	जनपद झाँसी का क्षेत्रफल एवं घनत्व	32
3.	जनपद झाँसी में साक्षरता का प्रतिशत	33
4.	जनपद झाँसी की तहसीलों का विवरण	34
5.	जनपद झाँसी का उपयोगी स्वरूपों में व्याख्या	35
6.	जनपद झाँसी की विधान सभाओं का विवरण	36
7.	जनपद झाँसी की प्रमुख उपजों का विवरण	37
8.	जनपद झाँसी में संकलित उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	41
9.	जनपद झाँसी में संकलित उत्तरदाताओं का पर्यावरण के आधार पर वर्गीकरण	42
10.	उत्तरदाताओं के मतानुसार जैन धर्म का दृष्टिकोण	53
11.	उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यमों का विवरण	55
12.	उत्तरदाताओं की सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति का विवरण	56
13.	उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक गतिविधियों के संचालन का विवरण	58
14.	उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक क्रिया कलापों की अभिवृद्धियों का विवरण	59
15.	जनपद झाँसी में जैन समाज की जनसंख्या का विवरण	61
16.	जैन समाज में जातियों का सामान्य वर्गीकरण	65-66
17.	उत्तरदाताओं की जाति का वर्गीकरण	69
18.	उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता का वर्गीकरण	71
19.	उत्तरदाताओं के परिवार में आय के प्रचलन का वर्गीकरण	72

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
20.	उत्तरदाताओं की पारिवारिक सदस्य का वर्गीकरण	74
21.	उत्तरदाताओं के पारिवारिक स्वरूप का वर्गीकरण	75
22.	उत्तरदाताओं की पारिवारिक संरचना का वर्गीकरण	77
23.	उत्तरदाताओं के परिवार प्रमुख का वर्गीकरण	78
24.	उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की स्थिति का वर्गीकरण	80
25.	उत्तरदाताओं की सामान्य सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण	81
26.	उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्तर का वर्गीकरण	82
27.	उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण	84
28.	उत्तरदाताओं की पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभिरुचि का वर्गीकरण	85
29.	उत्तरदाताओं के परिवारों के भोजन स्वरूप का वर्गीकरण	86
30.	उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियाँ	88
31.	उत्तरदाताओं के परिवार में आवासीय सुविधा का वर्गीकरण	89
32.	उत्तरदाताओं की आवासीय सुविधाओं के प्रकार का वर्गीकरण	90
33.	उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक सदस्यों की वस्त्र अभिरुचि का विवरण	91
34.	उत्तरदाताओं के परिवार में विवाह पद्धति का विवरण	92
35.	उत्तरदाताओं के मतानुसार दहेज प्रथा का विवरण	94
36.	उत्तरदाताओं के मतानुसार विवाह का निर्धारण गोत्र के आधार	95
37.	उत्तरदाताओं के मतानुसार गोत्र प्रचलन के आधारों का विवरण	96
38.	उत्तरदाताओं के मतानुसार पर्दा प्रथा का विवरण	97
39.	उत्तरदाताओं के मतानुसार संस्कारों एवं मेलों की उपयोगिता में विश्वास का विवरण	99
40.	उत्तरदाताओं की सामान्य अभिरुचियों का वर्गीकरण	100

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
41.	जनपद भिण्ड में अन्य जातियों की सामाजिक स्थिति --	109
42.	जनपद भिण्ड में जैन समाज के धर्मार्थ औषधालय -- - - -	111
43.	जनपद भिण्ड में जैन समाजसेवी संस्थायें -- --	112
44.	जनपद भिण्ड की जैन शिक्षण संस्थायें एवं वाचनालय -- --	114
45.	जनपद भिण्ड में जैन सम्प्रदाय के स्वतंत्रता सेनानी -- - - -	116
46.	जनपद भिण्ड की जैन धर्मशालायें - - - - - - - - - - -	117
47.	भिण्ड जनपद की क्षेत्रीय स्थापत्य एवं कलाएं - - - - - - -	118
48.	जनपद भिण्ड के जैन मन्दिर - - - - - - - - - - - - -	120 - 121
49.	जनपद भिण्ड में जैन धार्मिक क्रियाओं का विवरण ----	122 - 123
50.	जनपद भिण्ड की जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ -- - - --	124
51.	जनपद भिण्ड में जैन मेलों का विवरण - - - - - - - - -	125
52.	उत्तरदाताओं के मतानुसार सांस्कृतिक अभिरुचियोंका विवरण -	127
53.	उत्तरदाताओं का सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवार के सदस्यों के योगदान का विवरण -- - - - - - - - - - - - -	128
54.	उत्तरदाताओं के मत में सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी का विवरण - - - - - - - - - - - - - -	129
55.	उत्तरदाताओं का धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधयों के क्रियान्वयन में अभिरुचि का विवरण -- - - - - - - - - - - - - - -	131
56.	उत्तरदाताओं का मत धार्मिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के मूल्यों के संचालनों का विवरण -- - - - - - - - - - - - - -	132
57.	उत्तरदाताओं के व्यवसाय का वर्गीकरण -- - - - - - -	139
58.	उत्तरदाताओं के मत में पारिवारिक आय के श्रोतो कावर्गीकरण-	140
59.	उत्तरदाताओं के मत में पारिवारिक मासिक आय काविवरण-	142
60.	उत्तरदाताओं के मत में धन संचय के माध्यमों का विवरण --	143

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
61.	उत्तरदाताओं के मत में आर्थिक सुविधाओं का विवरण	144
62.	उत्तरदाताओं के मत में पारिवारिक आय के प्रसंग में संचय मनोवृत्ति का विवरण	146
63.	उत्तरदाताओं के मत में पारिवारिक सदस्यों के सेवा क्षेत्र का विवरण	147
64.	उत्तरदाताओं के मतानुसार आय वृद्धि करने के मदों में अभिरुचि का विवरण	148
65.	उत्तरदाताओं के मतानुसार आर्थिक वितरण में पारिवारिक सदस्यों का दृष्टिकोण	150
66.	उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक आय का स्वरूप	151
67.	जनपद भिण्ड में संचालित मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में क्रियाशील इकाईयों का विवरण	156 - 157
68.	उत्तरदाताओं के राजनैतिक अभिरुचि का विवरण	168
69.	उत्तरदाताओं के राजनैतिक दलों से संलग्नता होने का विवरण	170
70.	उत्तरदाताओं के मतानुसार मत दान के आधार का विवरण	171
71.	उत्तरदाताओं के मतानुसार राष्ट्रीय - अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों के प्रसंग का विवरण	172
72.	उत्तरदाताओं के मतानुसार राजनैतिक जागरूकता के प्रसंग का विवरण	174
73.	उत्तरदाताओं के मत में क्षेत्रांतर्गत में राजनैतिक तात्कालिक विकल्पों का विवरण	175

xxxxx

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

(अ) शोध समस्या का सामान्य विवरण

(ब) साहित्य का पुनरावलोकन

(स) वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य

(द) वर्तमान शोध अध्ययन के सम्भावित उपयोग

अध्याय - 1

प्रस्तावना

(अ) शोध समस्या का सामान्य विवरण
(ब) साहित्य का पुनरावलोकन
(स) वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य
(द) वर्तमान शोध अध्ययन के सम्भावित उपयोग

§अ§ शोध समस्या का सामान्य विवरण

सामान्यतः समाज वैज्ञानिक शोधकार्यों में एक प्रतिस्पर्धा इस आशय के प्रति दृष्टिगोचर होती है कि सामाजिक घटनाक्रम के प्रसंग में किसी भी एक डाटा को चयनित करके अध्ययन प्रोत्साहित किये जाते हैं। इस प्रकार की सामयिक आधारशिला समाज-शास्त्रीय सन्दर्भ में भी अनुभव की जाती रही है। इसका स्पष्ट विवरण जब सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन करते हैं तो आवश्यक रूप से प्राप्त होता है। बीसवीं शताब्दी की समाज-शास्त्रीय शोध प्रगति पर प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं के कालत्वरा विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसमें भारतीय शिक्षण-संस्थाओं के समाजशास्त्रीयों को कदापि वर्णित धारणा के अतिरिक्त नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः भारतीय जगत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये जो संघर्ष विद्यमान था वह भी इस आशय की पुष्टि करने में सक्रिय योगदान रखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब वैज्ञानिक गतिविधियों का मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन राष्ट्रीय विकास धारा के सन्दर्भ में परिलक्षित किया गया। तब यह तथ्य हो सका कि विभिन्न समाजों के सन्दर्भ में समुचित तथ्यों का संकलन इस प्रकार किया जाये तथा जिससे उन्हें सामयिक रूप से प्रयुक्त किया जा सके। इस सन्दर्भ में उल्लेख करना आवश्यक है कि क्षेत्रीय सन्दर्भ में जो व्यापक स्तर पर शोधकार्य किया जाना चाहिये वे वह अपरिहार्य कारणों के कारण सम्पन्न में नहीं किये जा सके। इससे यह भी दिशा प्राप्त होती है कि समाजशास्त्रीय शोध गतिविधियों को किन्हीं भी संकीर्णताओं का परित्याग करके समाज के समस्त वर्गों के अध्ययनों के लिये उपयोगी माध्यम निर्धारित करना चाहिये। वर्तमान प्रस्तावित शोधकार्य के सन्दर्भ में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्रांत के अन्यत्र किसी के सन्दर्भ में कोई भी समाजशास्त्रीय शोधकार्य प्रस्तुत आशय का नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सकता है कि वर्तमान शोध विषय पूर्णरूप से मौलिक एवं समाजशास्त्रीय जगत के लिये एक उपयोगी कड़ी होगा- ऐसी प्रत्याशा है।

(ब) साहित्य का पुनरावलोकन

मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसंग में धर्म एक आवश्यक व्यक्तिक्रम है जिसकी उपयोगिता चिरकाल से निर्विवाद है। सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इसकी संरचनाओं एवं मान्यताओं में आनुक्रमिक परिवर्तन होता रहा और तत्युग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में इसके पर्यायों की संज्ञायें प्रस्फुटित होकर व्यक्ति एवं समाज को स्वावलम्बी बनने का निर्देशन देती रही। सामाजिक अदम्य उत्साह के कारण क्षेत्रीयता के प्रसंग में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक इकाईयों की स्थापना विश्व के विभिन्न समाजों में की गई और सम्भवतः इसी क्रम में विभिन्न धार्मिक केन्द्रों निर्मित हुये होंगे। समाजशास्त्र के प्रसंग में धर्म की व्यापकता का महत्व समझते हुये विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों का सम्पादन किया गया और इस क्रम में निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है।

प्रस्तुत प्रसंग में जैन धर्म की उत्पत्ति के सन्दर्भ में एक प्रारम्भिक टीका आवश्यक है कि वास्तव में जैन धर्म क्या है इस प्रश्न का सम्यक उत्तर आवश्यक है। प्राचीन समय में ज्ञान की विभिन्नता न होने के कारण जैन धर्म को बौद्ध धर्म की एक कड़ी मान लिया गया था, परन्तु नवीन अन्वेषणों के माध्यम से इस भ्रम का निवारण किया जा चुका है कि जैन धर्म यथार्थ में बौद्ध धर्म से प्राचीन है एवं इसके व्यवहारिक मानक पूर्णतः भिन्न हैं। वर्तमान समय में अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जा रहा है और यह प्रचलन है कि उन्से लगभग 250 वर्ष पूर्व में अवतरित भगवान पार्श्वनाथ को स्पष्ट भाव में संस्थापक मानते हुये एक ऐतिहासिक महापुरुष की संज्ञा से विभूषित किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय डा० राधाकृष्णन एवं जर्मन विद्वान डा० याकोबी जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में इस मत के हैं कि वस्तुतः इस धर्म का प्रचलन अत्यधिक प्राचीन है तथा उन्होंने इस आशय का खण्डन किया है कि जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक पार्श्वनाथ रहे। वर्तमान स्पष्टीकरण का तात्कालिक अभिप्राय यह है कि एकमात्र इस से जैन धर्म की भारत वर्ष में सामाजिक स्थापना एक ऐसा विचार बिन्दु है कि जिसके गहन

अध्ययन की महती आवश्यकता है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि जैन परम्पराओं में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इस धर्म का संस्थापक स्वीकृत किया गया है तथा इस प्रकार का घटनाक्रम ऐतिहासिक तथ्यों की पृष्ठभूमि में घटित भी हुआ है ऐसा विचारक मानते हैं । यह सर्वविदित है कि प्रवाहों की श्रेणी में काल का स्वरूप अनन्त एवं अनादि माना गया है परन्तु धार्मिक प्रचलन में कालों का वर्गीकरण जैन धर्म में इस प्रकार किया गया है :—

(अ) अतिसुखरूप (ब) सुखरूप (स) सुखः दुख रूप

(द) दुःख सुख रूप (य) दुख रूप एवं (र) अति दुःख रूप ।

वर्तमान प्रसंग में वर्णित प्रारम्भिक व्याख्या के क्रम में उपलब्ध सम्बन्धित समाजशास्त्रीय शोध कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा अपरिहार्य है इसलिये प्रस्तुत घटनाक्रमों का व्यवहारिक पक्ष यथास्थान स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा ।

धर्म के समाजशास्त्र के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य साहित्य में उपलब्ध हैं । इनका क्रमानुसार समायोजन वर्तमान क्रम में एक समाजशास्त्रीय प्रयास है ।

विश्व के अन्य समाजों की तुलना में कनाडा का समाज विभिन्न गुणों की पृष्ठभूमि में एक अप्रत्याशित विभिन्नता है । इस देश में मात्र 5% भूभाग व्यवसायिक कृषि कार्यों के लिये उपयुक्त है लेकिन लगभग 1/5 भाग विदेशी मुद्रा का इससे अर्जित होता है और इस समाज में धार्मिक गतिविधियों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा ऐसा मत अलेक्जेन्डर, जे० एम० (1982) ने अपने शोध अध्ययन के माध्यम से व्यक्त किया है । वर्तमान शोध अध्ययन में किये गये प्रारम्भिक साहित्य के पुनरावलोकन के माध्यम से अनेक प्रकार की उपयोगी सूचनाओं का समावेश सीमित परिधि में किया जाना उन आवश्यक योगदानों की उपेक्षा होगी जो सम सामयिक रूप से पूर्व समाज वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किए गये तथा जिनके वैज्ञानिक महत्व को कदापि अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में समाजशास्त्रीय

मूल्य परिधि के तारतम्यता गुणों का उल्लेख इस भावना से किया जा रहा है जिससे की विषयगत मान्यता का अनुपालन किया जा सके । साधारण अवलोकन की परिधि में धर्म क्या है, मान्यतायें क्या हैं, तथा इनके प्रचलन किस प्रकार के हैं, आदि आदि जटिल प्रश्न विचारोत्तेजक हो सकते हैं धार्मिक इन्द्रीयता की प्रवृत्ति के अन्तर्गत मान्यताओं का समावेशित किया जाना पूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्यों कि आचार संहिता की दृष्टि से पारस्परिक तत्वों की तुलंगता एक निर्विवाद तत्य है । धर्म की उत्पत्ति के प्रसंग में अनेक समाज वैज्ञानिकों ने विवेचनायें प्रस्तुत की हैं और समाजशास्त्रीय विषय वस्तु में मैकलीवर दुर्खीम सोरोकिन तथा मैकाइवर आदि का उल्लेख विशेषरूप से किया जा सकता है । भारतीय समाज व्यवस्था का ऐतिहासिक उद्भव यदि संरचनात्मक दृष्टि से किया जाय तो इसके अनेक प्रतिमान विकसित हो सकते हैं मूल्यमूलक से धर्म एवं मूल्यों की समन्वयता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्यों का संचालन किया जाय जिससे कि समाज के दूसरे सदस्यों को मर्मान्तक पीड़ा न हो, ऐतिहासिक दर्शन की व्याख्याओं के अन्तर्गत यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रचलित धर्म की प्रवृत्ति एवं आचार धर्म की संहिता में काल क्रिया की दृष्टि से अत्याधिक परिवर्तन आता है, और इसी विचार का प्रारम्भिक रूप से दृष्टिगत होना वर्तमान शोध कार्य के समस्त लक्ष्यों का प्रमुख भेद खण्ड है ।साधारणतः विवेचना के दो प्रकरण हो सकते हैं :— प्रथम, समस्या का मूल स्वरूप किस प्रकार का है द्वितीय, समस्या का सार्वभौमिक स्वरूप किस प्रकार का है इन प्रश्नों का उत्तर वर्तमान प्रसंग में बहुधीय मानकों के सापेक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । तत्कालीन समाज व्यवस्था में औद्योगिकरण परिवर्तन के कारण भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में धर्म का स्वरूप एवं इसका प्रचलन आवश्यक रूप से प्रभावित होने के कारण इसका अध्यापित किया जाना चुनौतीपूर्ण कार्य है— लेकिन समाज वैज्ञानिकों द्वारा इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है

सामान्य व्याख्या के अन्तर्गत धर्म का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक एवं पराप्राकृतिक शक्तियों में विश्वास को धर्म की संज्ञा दी जा सकती है इस धारणा में विषयीय मीमांसा है सामाजिक स्वरूप व्यवस्था में व्यक्ति का हित एक पक्ष है, तो इसका सामाजिक प्रचलन किन मानकों द्वारा होगा, इसे द्वितीय पक्ष के रूप में माना जा सकता है, इसके अतिरिक्त अंतिम स्तर में मानवीय चिंतन की पराकाष्ठा है जो काल संचालित के साथ-साथ परिस्थिति जन्य है। व्यक्ति के सापेक्ष धर्म, धर्म के सापेक्ष धर्म, तथा समानुपातिक प्रत्यय में पूर्णतः के सापेक्ष समीपवर्ती विचार बिन्दु हो सकते हैं, लेकिन इनकी कार्य शैली में प्रत्येक काल में अन्तर स्थापित होने के कारण मान्यताओं का गौण स्वरूप अत्याधिक प्रभावित होता है। हिन्दू दर्शन के मनीषियों द्वारा धर्म युक्त दर्शन के विवरण कालान्तर में निर्देशित किये गये और परोक्षरूप में आचार्य मनु का उल्लेख इस अभिप्राय से किया जा सकता है कि सुनियोजित धर्म व्यवस्था का सुचारू संचालन सामाजिक संस्तरण के माध्यम से सम्भावित किया गया था इस पक्ष में भी मूल्यों का निर्माण पूर्ण प्राकृतिक सक्षमता के आधार पर अपेक्षित किया गया था तत्कालीन समाज व्यवस्था में व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित सामाजिक व्यवहार के माध्यम से नीति निर्धारक तत्वों का अनुपालन किया जाता था इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि सत्तरहवीं शताब्दी के समय तक की, वर्तमान स्वरूप वाले सामाजिक समस्याओं का अध्ययन दर्शन शास्त्रीयों तथा अन्य शिक्षाविदों द्वारा किया गया क्यों कि कोई भी समाज वैज्ञानिकी स्पष्ट संरचना न होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं था। भारतीय व्यक्तियों के व्यवहारों एवं धार्मिक ग्रन्थों का व्यवस्थित अध्ययन सत्तरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोपीय यात्रीयों द्वारा, प्राकृतिक इतिहासकारो द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में सम्बन्धित अध्ययनों का प्रचुर संकलन किया गया यूरोपीय शिक्षाविद धार्मिक संस्कार की प्रचुरता, नरबलिप्रथा, मूर्तिपूजा, बहुदेवी देवतावाद

तथा सांस्कृतिक विविधता के पहलुओं में अधिक रुचि रखने लगे आरम्भिक अवधि में इन शिक्षाविदों द्वारा अपने अध्ययन कार्यक्रम को तीन पक्षों में केन्द्रित किया गया - प्रथम, धार्मिक विश्वासों का सम्पूर्ण स्वरूप, द्वितीय, इनका प्रसार तथा हिन्दुत्व का आरम्भिक सांस्कृतिक निर्माण, तथा, तृतीया, सम्बन्धित अवधारणाओं की समाज वैज्ञानिक भिन्नित मीमांसा ।

वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि संस्कृति की सापेक्ष भारतीय हिन्दु धर्म एक ऐसा अपरिहार्य दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से परम्परागत सांस्कृतिक अवधारणा को समाज से अलग कर पुनः सांस्कृतिक क्रमबद्धता में मूल्यांकित किया जा सकता है यह व्यक्ति की जीवन यापन की विधि है इसके माध्यम से व्यक्ति को उपयोगी कर्तव्यों का ज्ञान होता है रिलीजन और हिन्दु धर्म एक नहीं है क्यों कि रिलीजन का प्रमुख अर्थ उपासना पद्धति एवं विश्वास से है जबकि धर्म संस्कृत में रिलीजन तथा सम्प्रदाय को एक केन्द्र में रखते हैं । एक पक्ष में पद्धति है तो दूसरे पक्ष में कर्मकान्ड तथा ग्रन्थ । इसके सापेक्ष हिन्दु धर्म के अवधारणाओं की प्रतांगिकता के आधार पर अत्याधिक विस्तृत माना जाता है सामाजिक व्यवस्था में धर्म का तीव्रता प्रयोग संभव नहीं है क्यों कि भाषा तथा विचार की दृष्टि से यह अनेक अर्थों का बोध कराता है जो संरचना की दृष्टि से न्यून अथवा ज्यादा हो सकते हैं लेकिन विषयता की दृष्टि से सदैव सजग रहेंगे । तत्कालीन समाज व्यवस्था में निर्धारित किये गये नियम, परम्परा, व्यवहार, नैतिक सदाचार, पुण्य पवित्रता तथा यज्ञ आदि के निर्माण धर्म के अन्तर्गत ही संभव हुये होंगे और इस प्रकार प्रारम्भिक योजना कारों ने यह कदापि अनुभव नहीं किया होगा कि कालान्तर में इन व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण इसके महत्व में परिवर्तन आयेगा । धर्म का प्रचलन एक सामाजिक सक्रियता है इसलिये विगत अवधि तक होने वाली भूलों की समाजशास्त्रीय व्याख्याओं को एक मात्र रूप से समस्यामूलक ही कहा जायेगा । भारतीय समाज व्यवस्था के प्रसंग में उल्लेखनीय है कि वर्ष 1872 के बाद की

अवधि में किए गये राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यह प्रयास किया गया कि धार्मिकप्रवृत्ति एवं व्यवहारों के आधारों में समूहों का वितरण अंकित किया जाय और इस प्रकार भारतीय भूगोलिक परिधि में विद्यमान धर्म और वर्गीकरणों का विमोचन संभव हुआ इस प्रसंग में कुछ सूचना (1925), हुसैनायन (1928), भारनाव (1954), दास (1927), चट्टोपाध्याय (1935), रजिो (1915), ब्रटन (1961) तथा राय (1928) का उल्लेख किया जा सकता है। वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि रिजो द्वारा हिन्दू धर्म के प्रमुख व्यवस्थाओं का निरूपण इस अभिप्राय से किया गया है जिससे की भारतीय संस्कृति में विद्यमान मानकों का विवेचन ईसवी बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में धर्म व्यवस्था का विश्लेषण करने के उद्देश्य से हो सके। मोरे (1915), ब्लाउटेड (1921) का उल्लेख अनिवार्य प्रतीत होता है क्योंकि इनके अध्ययनों में समाजशास्त्री दृष्टि विद्यमान थी।

भारतीय स्मृतिकारों ने चार प्रकार के वेदों की व्याख्या की है- ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद और इनमें ऋग्वेद अत्याधिक प्राचीन है पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेद के महत्व को सर्वाधिक रूप से स्वीकृत किया है। डा० राधाकृष्णन (1967) के मतानुसार ईश्वरी उपासना के अतिरिक्त प्रत्येक वेद में अग्नि वायु सूर्य आदि देवों की विवेचना की गई है और प्रारम्भिक पूजा अर्चना के समय इन शक्तियों का आमन्त्रण आवश्यक माना है। इसके अतिरिक्त यह विचार भी व्यक्त किया कि वेद में विद्यमान ज्ञान आदि युगीन ऋषियों द्वारा प्रदत्त है और यह युग निर्माता का कार्य कर सकता है। दार्शनिक चिंतन में उपनिषद का उल्लेख किया गया है और इसे ब्रह्मन विद्या के भण्डार के रूप में निरूपित किया गया है और इसके माध्यम से पाप पुण्य स्वर्ग-नरक आदि का विमोचन भी किया जा सकता है। हिन्दू धर्म व्यवस्था के अनुसार धर्म, मोक्ष, काम तथा अर्थ पुरुषार्थ के रूप में व्यक्त किये गये हैं। इसके माध्यम से हिन्दू समाज व्यवस्था पूर्णतया निर्देशित रहती है। इनमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि धर्म की स्थिति प्रारम्भिक तथा मोक्ष की स्थिति अंतिम है। व्याख्या कारों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि धर्म के द्वारा मोक्ष

प्राप्त करने में धर्म एवं प्रेरणा का मिश्रित समन्वय प्राप्त होता है तथा यह प्रमुख स्थान पर है । धार्मिक पद्धति में यह विधान है कि सम्बन्धित समाज का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक संचालित करे, जिससे कि एक आदर्श समाज की कल्पना की जा सकती है । आरम्भ के अजर एवं अमर होने के उल्लेख सम्बन्धित साहित्य में अनेक प्रकार से किये गये हैं और इस क्रम में भैरवेश्वर (1920-21) का उल्लेख किया जा सकता है ।

किसी धर्म की श्रेष्ठता उसकी प्राचीनतम अथवा अर्वाचीनता पर अनिवार्यतः निर्भर नहीं होती । किन्तु यदि कोई धार्मिक परम्परा प्राचीन होने के साथ-साथ सुदीर्घ काल पर्यन्त सजीव, सक्रिय, प्रेरक एवं प्रगतिशील बनी रहती है और लोक उन्नति, नैतिक वृद्धि तथा सांस्कृतिक समृद्धि में प्रबल प्रेरक एवं सहायक सिद्ध हुई होती है तो उसकी वह प्राचीनता जितनी अधिक होती है वह उतनी ही अधिक उस धर्म के स्थायी महत्व एवं उसमें निहित सर्वकालीन एवं सार्वभौमिक तत्वों की सूचक होती है । इसके अतिरिक्त किसी भी संस्कृति के उद्भव एवं विकास का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने तथा उसकी देनों का उचित मूल्यांकन करने के लिए भी उसकी आधारभूत धार्मिक परम्परा की प्राचीनता का अन्वेषण आवश्यक होजाता है । इस संदर्भ में जैन संस्कृति की आपेक्षिक प्राचीनता के कतिपय प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों ने पुरातत्ववेत्ताओं को यह सिद्ध कर दिया है कि आर्यों के कथित भारत आगमन के पूर्व यहाँ एक समृद्ध संस्कृति और सभ्यता थी । उस संस्कृति के मानने वाले मानव सुसभ्य, सुसंस्कृत और कलाविद ही नहीं थे अपितु आत्मविद्या के भी प्रकाण्ड पण्डित थे । पुरातत्वविदों के अनुसार जो अवशेष मिले हैं उनका सीधा सम्बन्ध जैन संस्कृति से है ।

जैन धर्म की प्राचीनता का प्रमाण हमें वेदों और पुराणों से भी मिलता है । वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ माने जाते हैं इन वेदों में ही कई स्थानों पर जैन तीर्थंकरों—यथा ऋषभनाथ, सुपार्श्वनाथ और नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) के नाम आये हैं और उनका उल्लेख करके उनको नमस्कार किया गया है ।

इन तीर्थंकरों को "जिन" तथा "अर्हन्त" के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

अवलोकन के लिए यहाँ पर कुछ वेद मंत्रों का हिन्दी अनुवाद दे रहे हैं - "जिसमें बड़े-बड़े घोड़े जुते हुए हैं ऐसे रथ में बैठे हुए आकाश पथ पर चलने वाले सूर्य के समान विद्यारूपी रथ में बैठे हुए अरिष्टनेमि का हम आव्हान करते हैं ।" [ऋग्वेद 3023 04 व24]

"हे अरिष्टनेमि मेरी रक्षा करो..."

—[यजुर्वेद 3026]

"भो यजमान लोगों ! इस यज्ञ में देवों के स्वामी, सुखसन्तानवर्द्धक, दुःखनाशक, दिव्य आज्ञाशाली, अपार ज्ञानबलदाता वृषभनाथ भगवान का आव्हान करो ।"

—[ऋग्वेद 36/4-6-8-6-2-20]

"पुरातन समय में ऋषभ का पुत्र मुनि श्रेष्ठ भरत नाम का राजा था । उसके नाम से इस देश का नाम भारत कहा जाता है।"

—[नारद पुराण, पूर्व खण्ड, अ0 48—5]

सिन्धु-घाटी के उत्खनन में जिस संस्कृति और सभ्यता का रूप हमारे सामने आया है वह निश्चित ही प्राग्वैदिक कालीन है । मूर्ति पूजा आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि सिन्धु-घाटी सभ्यता वैदिक विरोधी सभ्यता थी । वह उपर्युक्त द्रविड़ अथवा विद्याधर जाति की सभ्यता से सम्बद्ध रही होगी । यह जाति ऋषभ [बैल] को पूज्य मानती थी जिसे कालान्तर में ऋषभदेव तीर्थंकर के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है ।"

मथुरा म्युजियम में दूसरी शती की कार्योत्सर्ग में स्थित ऋषभदेव जिनकी एक मूर्ति है । इस मूर्ति की शैली सिन्धु से प्राप्त मोहरों पर अंकित खड़ी हुई देव मूर्तियों की शैली से बिल्कुल मिलती है ।

वैदिक एवं पौराणिक साहित्य में जैन संस्कृति के तत्व वेद तथा अनेक पाश्वर्ती ग्रन्थों में अर्हन, व्रात्य, श्रमण, वातरशना, केशी, ऋषभ और वृषभ, पार्श्व, अरिष्टनेमि महावीर आदि संज्ञा जैन-संस्कृति की प्रागैतिहासिकता को सिद्ध करते है । रामायण, महाभारत व पुराणों मेभी उपरोक्तसंज्ञाए आयी हैं ।

विनोबा भावे ने अपने एक लेख में ऋग्वेद के एक मन्त्र का उद्धरण देते हुए जैन — संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध की है । वे कहते हैं कि ऋग्वेद में भगवान की प्रार्थना में कहा गया है कि "अर्हन इदं दयसे विश्वमभ्वम्", अर्थात हे अर्हन, तुम इस तुच्छ दुनियाँ पर दया करते हो । इसमें अर्हत और दया दोनों जैनों के प्यारे शब्द हैं । मेरी तो मान्यता है कि जितनी वैदिक संस्कृति प्राचीन शायद उतनी ही जैन संस्कृति प्राचीन है । ऋग्वेद का उपरोक्त मन्त्र इस प्रकार है :—

अर्हन् बिभर्षि सायकानि, धन्वार्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम् ।
अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं, न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ।।

डा० राधाकृष्णन कहते हैं — " जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म का प्रारम्भ ऋषभदेव से होता है । जो सदियों पहले हो चुके थे । ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक ऋषभदेव की उपासना करने वाले लोग थे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैन धर्म वर्धमान और पार्श्वनाथ के पहले भी था ।

तुपार्श्वनाथ अरिष्टनेमि तथा महावीरादि तीर्थंकरों की स्तुति का वेदों में तथा वेदोत्तरकालीन साहित्य में उल्लेख हुआ है ।

आरिष्टनेमिं भावतं महावीरस्य नग्नहुः ।
सुभूमदाभेतितस्थो राजीं तुरादुता ।।

यजुर्वेद के उपरोक्त मन्त्र में भगवान महावीर का नामोल्लेख स्पष्ट है । उपर्युक्त मन्त्रों में तीर्थंकरों का (ऋषभदेव, तुपार्श्व, अरिष्टनेमि, महावीर आदि) उल्लेख किया गया है । इसकी पुष्टि डा० राधाकृष्णन, डा० अल्तेकर, प्रो० विरूपाक्ष, डा० विमलाचरण लाहा, जी. सी. जैन प्रभृति विद्वज्जन भी करते हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रमण संस्कृति भारत की एक महान संस्कृति और सभ्यता है जो प्रागैतिहासिक काल से ही भारत के विविध अंचलों में पनपती फूलती रही है । यह संस्कृति वैदिक संस्कृति की धारा नहीं है अपितु एक स्वतन्त्र संस्कृति है । इस संस्कृति की विचारधारा वैदिक संस्कृति की विचारधारा से पृथक है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैन संस्कृति जिसे श्रमण संस्कृति कहा गया है वैदिक और बौद्ध संस्कृति से पूर्व की संस्कृति है और भारत की आदि संस्कृति है ।

कर्मों तथा कषायों (आत्मा के दुर्भावों) को जीतकर परम शुद्ध परमात्मा को "जिन" (जयति इति जिनः - विजेता) कहते हैं। जिन भगवान ने जो आत्मा को शुद्ध करके महात्मा तथा परमात्मा बनाने वाला मार्ग बतलाया उसको जैन धर्म कहते हैं। प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हैं विचार और आचार। जैन धर्म के विचारों का मूल स्याद्वाद और आचार का मूल है अहिंसा। न किसी के विचारों के साथ अन्याय हो और न किसी प्राणी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो। सब सबके विचारों को समझें और सबके जीवनों की रक्षा करें यही उन जिनों के उपदेश का मूल है। इसी से उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है वे किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष या सम्प्रदाय विशेष के हित की दृष्टि से उपदेश नहीं देते वे तो प्राणी मात्र के हित की दृष्टि से उपदेश देते हैं वे केवल मनुष्यों के ही हित की बात नहीं बतलाते, किन्तु जंगम और स्थावर सभी प्राणियों के हित की बात बतलाते हैं। उनका मूल मंत्र ही यह है ——

"माहिंस्यात सर्वभूतानि"

किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो," न वे पशुओं का वध (बध) बतलाते हैं और न किसी वर्ग विशेष को अवध्य, उनकी वीतराग दृष्टि में सब बराबर हैं ऐसे वे जीवन्त वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी "जिन" होते हैं और उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वही जैन धर्म कहलाता है।

जैन परम्परा के अनुसार इस दृश्यमान (दृश्यमान) जगत में कालका (काल) चक्र सदा घूमा करता है। यद्यपि कालका (काल) प्रवाह अनादि और अनन्त है तथापि उस कालचक्र के छः विभाग हैं - 1. अतिसुखमा, 2. सुखमा, 3. सुख-दुःखमा 4. दुःखसुखमा, 5. दुखमा और 6. अतिदुःखमा। जैसे चलती हुई गाड़ी के चक्र का प्रत्येक भाग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता आता है वैसे ही यह छः भाग भी क्रमवार सदा घूमते रहते हैं अर्थात एक बार जगत सुख से दुःख की ओर जाता है तो दूसरी बार दुःख से सुख की ओर मुड़ता है सुख से दुःख की ओर जाने को अवसर्पिणीकाल या अवनतिकाल कहते हैं और दुःख से सुख

की ओर जाने को उत्सर्पिणीकाल या विकास काल कहते हैं । इन दोनों कालों की अवधि लाखों करोड़ों वर्षों से भी अधिक है । प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के दुःख सुखमय भाग में चौबीस तीर्थंकरों का जन्म होता है जो "जिन" अवस्था को प्राप्त करके जैन धर्म का उपदेश देते हैं ।

जैन दृष्टि से इस विश्व के मूलभूत तत्व दो भागों में विभाजित हैं एक जीवतत्व और दूसरा अजीव या जड़तत्व । अजीव एवं जड़ तत्व भी पाँच भागों में विभाजित है -- पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल । इस तरह यह संसार इन छः तत्वों से बना हुआ है इन छयों को ही द्रव्य कहते हैं । इन छै द्रव्यों के सिवा संसार में अन्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उस सबका समावेश इन्हीं छै द्रव्यों में हो जाता है । गुण, क्रिया सम्बन्ध आदि जो अन्य तत्व दूसरे दार्शनिकों ने माने हैं, जैन दृष्टि से तब द्रव्य की ही अवस्थाएँ हैं उनसे पृथक नहीं, क्यों कि जो कुछ सत् है वह सम्बन्ध द्रव्य है । सत् ही द्रव्य का लक्षण है असत् या अभाव नामक कोई स्वतंत्र तत्व जैन दर्शन में नहीं है ।

यह संसार अनादि व अनन्त है जैन दृष्टिकोण इस बात को मानता है कि यह संसार अर्थात इसकी समस्त आत्माएँ व पुद्गल द्रव्य अनादि, अकृत्रिम व अनन्त हैं । अनादि - अन-न आदि — का अर्थ है जिसका कभी आदि-प्रारम्भ - न हुआ हो अर्थात जो सदैव से हो । अनन्त-अन-न अन्त -का अर्थ है जिसका कभी अन्त - विनाश-न हो, अर्थात जो सदैव तक रहे। न तो किसी तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर/ने किसी विशेष समय में इस सृष्टि का निर्माण ही किया था और न इस का कभी विनाश ही होगा । इस संसार की समस्त आत्माएँ सदैव से हैं और वे सदैव तक रहेंगी । वे अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर ग्रहण करती रहती हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख व दुःख भोगती रहती हैं । जब तक उनके कर्म नष्ट नहीं हो जाते, वे कोई - न - कोई शरीर धारण करती ही रहेंगी । जब उनके कर्मों का सर्वथा अभाव हो जायेगा वे मोक्ष में चली जायेंगी । मोक्ष में भी प्रत्येक आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहेगा ।

एक बार मोक्ष प्राप्त कर लेने पर यह आत्मा हमेशा के लिए मोक्ष में ही रहती है । वह फिर कभी लौट कर इस संसार में नहीं आती है । इन आत्माओं के अतिरिक्त जो कुछ भी संसार में है वह सब पुद्गल है । सूक्ष्म पुद्गल भी सदैव से है और सदैव रहेगा । हाँ, कुछ कारण मिलने पर इनका रूप परिवर्तन होता रहता है । इस संदर्भ में तीर्थंकर महावीर का कथन है कि संसार का एक परमाणु न तो कभी नया बना था और न एक ही परमाणु का विनाश ही होगा । हाँ, उनका रूप परिवर्तन अवश्य होता रहता है । इस प्रकार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म का अवलम्बन मानवीय परिधि में लाया जा सकता है तथा मूल्यों की इस निधि का विभाजन पूर्ण सामयिक है ।

प्रत्येक जीव अपने पतन और उत्थान के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है जीव अपने कार्यों से ही बंधता है और अपने कार्यों से ही वह उस बंधन से मुक्त होता है अन्य कोई न उसे बाँधता है और न बंधन से मुक्त करता है वह स्वतः ही भिखारी बनता है और स्वतः ही भिखारी से भगवान बन सकता है । इस संदर्भ में जैन दर्शन प्रत्येक संसारी आत्मा को कर्मों से बद्ध मानता है यह कर्म बंधन, उसके किसी अमुक समय में नहीं हुआ किन्तु अनादि से है । जैसे खान से सोना तुरंत ही निकलता है वैसे ही संसारी आत्माएँ भी अनादि काल से कर्म बंधन में जकड़ी हुई ही पायी जाती हैं ।

संसार में किसी की इच्छाओं और तृष्णाओं की कोई सीमा नहीं है हमारी एक इच्छा पूरी हो नहीं पाती की अन्य अनेकों नई इच्छायें आकर खड़ी हो जाती हैं यही दशा तृष्णाओं की भी है ।व्यक्ति की इच्छाओं और तृष्णाओं का अन्त नहीं है इन्हीं इच्छाओं और तृष्णाओं की पूर्ति के लिये हम दूसरे जीवों पर तरह-तरह के अन्याय व अत्याचार करते हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते हैं । विडम्बना तो यह है कि यह सब अन्याय व अत्याचार करने के पश्चात भी यह निश्चित नहीं होता कि हमारी सभी इच्छायें पूरी हो जायेंगी । इस संदर्भ में जैन धर्म का अपरिग्रह का सिद्धान्त पूर्णतःसही है।

संसार में प्रत्येक प्राणी दुःखी है, कोई कम कोई अधिक। कोई किसी एक कारण से दुःखी है तो दूसरा किसी अन्य कारण से अधिकांश में यह दुःख के कारण स्वयं मैंने ही आ खड़े होते हैं यह आवश्यक नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति किसी को दुखी करे तभी वह दुखी हो। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि सुख पाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो पाता, जबकि कभी बिना विशेष प्रयत्न किये ही उसको सुख प्राप्त हो जाता है। इस तरह संसार में अनेक विषमतायें और विडम्बनायें हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बिना परिश्रम किये तथा दूसरों पर अन्याय व अत्याचार करते हुए भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है जबकि एक अन्य व्यक्ति परिश्रम व ईमानदारी से कार्य करता है और दूसरों का उपकार करने में लगा रहता है फिर भी वह दुःखी रहता है। क्या यह सुख-अन्याय-अत्याचार का कुफल परिणाम है क्या अन्याय व अत्याचार करने वाले व्यक्ति को कभी दण्ड नहीं मिलेगा। क्या परोपकार करने वाले व्यक्ति को अपने अच्छे कार्यों का कभी सुफल नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में तीर्थंकर महावीर ने गहन चिंतन व मनन किया और उन्होंने संसार को बताया कि कोई भी प्राणी केवल वर्तमान में दिखलेवाला स्थूल शरीर ही नहीं है, वास्तविक प्राणी तो उसकी आत्मा है इस आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनन्तकाल तक रहेगा। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नये वस्त्र धारण कर लेते हैं उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार नये - नये शरीर धारण करते रहते हैं। और अपने कर्मों के अनुसार ही वह सुख दुःख भोगता रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में हम जो भी अच्छे व बुरे कार्य कर रहे हैं उनका फल हमें इसी जन्म में मिल जाये वह फल हमको इसी जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्मों में भी मिल सकता है। इस संदर्भ में जैनधर्म मानता है कि यह संसार एक अनादि काल से इसी प्रकार चलता आया है और भविष्य में भी तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा, जब तक हम अपने पुरुषार्थ से अपने समस्त कर्मों को क्षय करके मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते यही पुनर्जन्म का सिद्धान्त है।

संसार में दुखों से बचने और सुख प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा का पालन करने पर सबसे अधिक बल दिया प्राणी जाति के सुख शांति एकता और समता के लिए अहिंसा जैसा मूल मंत्र जैन दर्शन का आधार है इस मत के अनुसार मन से वाणी से और शरीर के द्वारा जानबूझकर तथा असावधानी से भी, किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष व पारोक्षरूप से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये, मानव मन में किसी प्राणी के प्रति स्वार्थ भेड़ना और असहिष्णुता आदि भावनाओं का उत्पन्न होना ही हिंसा है चाहे यह दुर्भावना आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, इसलिये इस सिद्धान्त को "कि स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो" का पालन करके ही विश्व शांति की स्थापना हो सकती है।

जैन दर्शन के अनुसार सब आत्मायें समान हैं और सब अपना विकास करके सर्वज्ञ और ईश्वर बन सकती हैं। आत्मा के गुणों की अपेक्षा से जीव और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं है अन्तर केवल इतना है कि साधारण जीवों में वे गुण प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं और ईश्वर में वे गुण पूर्ण विकास को प्राप्त करके प्रकाशमान होते हैं इस सम्बन्ध में जैन दार्शनिकों ने कहा है कि ईश्वर पद किसी व्यक्ति विशेष के लिये सुरक्षित नहीं है, कोई भी भव्य जीव अपनी आत्मा का विकास करके ईश्वर बन सकता है।

अवतारवाद के संदर्भ में जैन दर्शन की मानता है कि उसका ईश्वर मुक्त होने के बाद कभी भी संसार में लौटकर नहीं आता है वह तो कृतकृत्य हो चुका है। उसे संसार का कोई भी काम करना शेष नहीं रहा, जिसे करने के लिए उसे ऊपर से उतरकर नीचे आना पड़े। अवतारवाद के विपरीत जैन धर्म का सिद्धान्त उत्तारवाद है। अर्थात अध्यात्म के क्षेत्र में जैन दर्शन पूर्णस्वातन्त्र प्रधान करता है ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा से सब जीव समान हैं और वे क्रमशः अपना विकास करके नीचे से ऊपर (संसार से मोक्ष में) पहुँचकर ईश्वर बन सकते हैं। जैसे भारतीय गणतंत्र में भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर शासन में सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार संसार का कोई भी जीव अपने प्रयत्नों से अर्हन्त और सिद्ध पद

को प्राप्त करके ईश्वर बन सकता है । जैन दर्शन में नीचे से ऊपर आने का मार्ग बताया गया है वह मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक चरित्र ।

सृष्टिकर्तृत्व विचारों के बारे में जैन दर्शन की मान्यता है कि यह विश्व अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है और अनन्तकाल तक ऐसा ही बना रहेगा । तब शरीरादि की सृष्टि का कारण क्या है । इस विषय में आचार्य समन्त भद्र ने आप्तमीमांसा में कहा है — कामादि प्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुरूपतः । अर्थात इस संसार में इच्छा, ऐसा शरीर आदि अनेक कार्यों की जो उत्पत्ति देखी जाती है वह जीवों के अपने अपने कर्म के अनुसार होती है संसार का सारा चक्र कर्म के अनुसार चलता है ।

अनेकान्त और स्याद्वाद ही इस देश की संस्कृति का मूल तत्व है । एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, एक ही तत्व के अनेक गुण धर्म हैं । अनेकान्त में वस्तु के सभी को देखा और जाना तो जा सकता है पर शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । शब्द द्वारा एक ही वस्तु के अनेक धर्म को कहने की जो पद्धति है वही जैन धर्म का स्याद्वाद है । सहिष्णुता मानव का अपना गुण है उसको मानव द्वारा मानव हृदय में विकसित करना "अनेकान्त" है । अनेकान्त सर्वांगीण विचार चिन्तन है अनेकान्तवादी, संसार के सभी मतभेदों को मिटाने में सक्षम है । सहअस्तित्व और सह-जीवन का सिद्धान्त जो सब स्वीकारते हैं जैन धर्म का अनेकान्त ही है ।

जैन दर्शन के अनुसार प्राणी स्वयं अपने कर्मों द्वारा सुख दुःख को प्राप्त करता है तथा भगवत्कृपा के बिना ही स्वयं अपने प्रयत्न से अपना विकास करके ईश्वर बन सकता है जो प्राणी कर्म शत्रुओं को जीत कर भगवान या ईश्वर बना है वह हमारे लिए स्तुत्य है, चाहे उनको महावीर बुद्ध, हरि शिव ब्रह्मा, जिन आदि किसी भी नाम से सम्बोधित क्यों न किया जाये ।

जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित अहिंसा तत्व, ब्रह्मचर्य अस्तेय एवं अपरिग्रह ये सभी अनुचित सामाजिक आर्थिक एवं विविध समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकते हैं ।

विश्व की प्रत्येक संस्कृति में "मंत्र" को महत्व दिया गया है । चाहे वह भारतीय संस्कृति हो अथवा विदेशी संस्कृति सब में मंत्र प्रतिष्ठापित है । जैन संस्कृति भी इससे अछूती नहीं रही है । "णमोकार मन्त्र" इस संस्कृति का महामन्त्र है । महानता इसलिए कि इसमें अन्य मन्त्रों की भाँति किसी व्यक्ति- विशेष अथवा शक्ति- सत्ता की उपासना नहीं अपितु आत्मिक गुणों की वन्दना का विधान है । ये गुण प्रत्येक प्राणवन्त जीवधारियों में सदा विद्यमान रहते हैं । जब ये जीव में सुप्तावस्था अथवा काषायिक - आवरणों में प्रच्छन्न रहते हैं तब जीव साधारण कोटि (हृद्मस्थ अवस्था) का कहलाता है किन्तु इन आत्मिक - गुणों के जागने पर यही जीव पूज्य बन जाता है, आराध्य बन जाता है । ब

णमो अरिहंताणं

अरिहन्त भगवन्त अर्थात वे महान आत्माएं जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं, को नमस्कार हो ।

णमो सिद्धाणं

सिद्ध भगवन्त अर्थात वे महान आत्माएं जिन्होंने सर्वथा कर्मनाश द्वारा शुद्ध स्वरूप प्रकट किया हो और पुनर्जन्म से मुक्त हो चुकी हैं, को नमस्कार हो ।

णमो आयरियाणं

संघ के आचार्य महाराज जो स्वयं महाव्रतों का पालन करते हुए अपने अधीन समस्त कि साधु साध्वियों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, को नमस्कार हो

णमो उवज्झायाणं

जो साधु महाराज ज्ञान और क्रिया का अभ्यास करवाते हैं, को नमस्कार हो ।

णमो लोए सव्व साहूणं

पंच महाव्रतों का पालन करने वाले तथा समस्त परिषहों को सहते हुए साधना पथ पर अग्रसर संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार हो ।

एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढ़मं हवइ मंगलं ।।

जैन साहित्य का भारतीय साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है दर्शन, न्याय व्याकरण काव्य नाटक तथा शिल्प मन्त्र तन्त्र वास्तु वैद्यक आदि-आदि अनेकविद्याओं पर प्रचुर प्राचीन जैन साहित्य आज भी उपलब्ध है। भारत के अनेक भाषाओं में जैन साहित्य लिखा हुआ है, जिनमें प्राकृतिक, संस्कृत द्रविडियन भाषाओं का नाम उल्लेखनीय है। जैन धर्म में प्रारम्भ से ही अपने प्रचार के लिए लोक भाषाओं को अपनाया और सभ्य विशेष की प्रचलित लोक भाषा में जैन साहित्य की रचना की। 10 वीं 12 वीं शदी तक अपभ्रंश भाषा को उस समय की जन भाषा भी रचनाएं की गई। वर्तमान में आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैन साहित्य प्रचुरमात्रा में लिखा गया। जैन परम्परा में ज्ञानियों के दो ही पद सबसे महान गिने जाते हैं - प्रत्यक्ष ज्ञानियों में केवल ज्ञानी और परोक्ष ज्ञानियों में श्रुतकेवली। जैन साहित्य विधा में गणधर गौतम, भद्रबाहु, धरसेन, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिद्धसेन, अनन्तवीय वीरसेन, जिनसेन, विमलाङ्क गणि प्रकलंक, पुष्प दन्त आदि आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों का नाम उल्लेखनीय है। जैन साहित्य की कुछ श्रेष्ठतम पुस्तकें निम्न प्रकार हैं - षट्खण्डागमका, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय प्राकृतमीमांसा, हरिवंशपुराण, महापुराण, पद्मचरित, कथा साहित्य के अन्तर्गत आराधना कथाकोश पुण्यास्रवकथाकोश चम्पू काव्य भी जैन साहित्य में बहुत है। नाटकों में विक्रान्त कौरव, मैथिलीकल्याण, अंजनापवनजय आदि है। स्तोत्र साहित्य में विषापहार, कल्याण मन्दिर, इसके अतिरिक्त ज्योतिष, आयुर्वेद व्याकरण कोश छन्द अलंकार गणित और राजनीति विधि आदि विषयों पर भी जैनाचार्यों की अनेक रचनाये उपलब्ध हैं।

जैन संस्कृति का कला और पुरातत्व के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कला की परिभाषा जो "सत्यं शिवम् सुन्दरम्" से की जाती है अर्थात जो सत्य है कल्याणकर है और सुन्दर है वही कला है, यह भावना जैन कला में सुगठित है, क्यों कि जैन धर्म से सम्बद्ध चित्र कला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, सुन्दर होने के साथ ही साथ कल्याणकर भी है और सत्य का प्रतिनिधित्व करती है।

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है अतः प्रारम्भ से लेकर आज तक उसके मूर्ति विधान में प्रायः एक ही रीति के दर्शन होते हैं, जैन तीर्थंकर की मूर्ति विरक्त, शांत और प्रसन्न होती है उसमें मनुष्यहृदय के विकृतियों को स्थान नहीं होता । इससे जैन प्रतिमा उनकी मुखमुद्रा के ऊपर से तुरन्त ही पहचानी जा सकती है । खड़ी मूर्तियों के मुखपर प्रसन्नता और दोनों हाथ निर्जीव जैसे सीधे लटकते हुए होते हैं । बैठी हुई प्रतिमा ध्यानमुद्रा में पद्मासन से विराजमान होती है । दोनों हाथ गोदी में सरलता से स्थापित रहते हैं । 24 तीर्थंकरों के प्रतिमाविधान में व्यक्ति भेद न होने से उनके आसन के ऊपर अंकित चिन्हों से जुदे - जुदे तीर्थंकर जी की प्रतिमा पहचानी जाती है । यथा श्री ऋषभनाथ - बैल, श्री अजितनाथ - हाथी, श्री सम्भवनाथ -- घोड़ा, श्री अभिनन्दननाथ - बन्दर, श्री पद्मप्रभ- कमल, श्री सुपार्श्वनाथ-साथिया, श्री सुमतिनाथ - चकवा, श्री चन्द्रप्रभ-चन्द्रमा, श्री पुष्पदन्त--मगर, श्री शीतलनाथ -कल्पवृक्ष, श्री श्रेयांसनाथ - गैंडा श्री वासुपूज्य- भैंसा, श्री विमल नाथ--शूकर, श्री अनन्तनाथ - सेही, श्री धर्मनाथ -वज्र श्री शान्तिनाथ - हिरण, श्री कुन्थुनाथ - बकरा, अरनाथ - मछली, मल्लिनाथ - कलश, श्री मुनिसुव्रतनाथ - कछवा, श्री नेमिनाथ -शंख श्री नमिनाथ - नीलकमल, श्री पार्श्वनाथ - सर्प, श्री महावीर - सिंह

श्रमण संस्कृति के प्रतिक एवं ज्ञानवैराग्य के प्रेरक स्थल तीर्थ क्षेत्र हैं जैन परम्परा में तीर्थों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है - (अ) निर्वाण क्षेत्र अथवा सिद्ध क्षेत्र (ब) कल्याणक क्षेत्र (स) अतिशय क्षेत्र और (द) कला क्षेत्र ।

(अ) निर्वाण क्षेत्र वह पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ से तीर्थंकर केवली अथवा मुनि ने निर्वाण प्राप्त किया हो ।

(ब) कल्याणक क्षेत्र वह प्रेरक स्थल है जहाँ तीर्थंकर का कोई कल्याणक (गर्भ जन्म तप-केवल ज्ञान) मनाया गया हो ।

(स) अतिशय वह जहाँ कोई देवकृत अतिशय या प्राकृतिक चमत्कार दिखाई पड़ता है

(द) कला क्षेत्र वह जिस क्षेत्र का शिल्प या स्थापत्य कला के विशिष्ट शैली के उपकर प्राप्त हों ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उपर्युक्त क्रम में अभिहित व्याख्याओं का आधार ऐतिहासिक दर्शन तथा तत्कालीन धार्मिक प्रचलनों का माना जा सकता है । यह स्पष्ट होता है कि जैन धर्म का भारत वर्ष में प्रचार तथा प्रसार एक अत्याधिक सीमा तक हुआ है और साथ ही साथ मानकों के प्रसंग में विख्यात दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्री तथा अन्य विद्वानों के शिक्षा विद तथ्य तत्पर रहे हैं । इस प्रसंग में एक उल्लेख और भी किया जा सकता है कि समाज शास्त्रीय अर्थ में वर्तमान प्रसंगों का गुणात्मक मूल्यांकन न किये जाने के कारण यह विषय वस्तु निम्नोक्त परिधि के अन्तर्गत वर्तमान परिवेश्य में अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाई गयी है । प्रो० श्रीनिवास (1952) के द्वारा दक्षिण भारत में कुर्गसमूह पर धार्मिक परिवेश्य में अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक प्रमुख इकाई धार्मिक संस्कारों से युक्त है इस अध्ययन से एक निष्कर्ष यह भी प्राप्त होता है कि सामाजिक सौष्ठवता के प्रसंग में उपयोगी मानक समानान्तर तथा उर्ध्वाधर व्यक्ति क्रम में हो सकते हैं । जाति तथा धर्म से सम्बन्ध रखने वाले उपयोगी अध्ययनों में निकोलस (1967) , अंद्रे बी क टी (1964-65) , हार्पर (1957 अ , 1957 ब, 1959 , 1963 , 1964 स) , माथुर (1964 , गुप्त (1959) तथा स्टीवेन्सन (1954) का उल्लेख किया जा सकता है । भारतीय समाज व्यवस्था , जाति तथा धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने के अभिप्राय से समाज वैज्ञानिक जगत में यह प्रयास किया गया कि उन विशेष घटना क्रमों का मूल्यांकन आवश्यकता से किया जाये जो न्यूनतम आधार पर किसी भी धर्म सम्प्रदाय के धार्मिक आवश्यकता हो सकते हैं इस क्रम में डयुमोंट (1970) , रेडफील्ड एण्ड सिंगर (1954) का उल्लेख किया जा सकता है । उत्तर भारत के किशनगढ़ी गाँव में परम्परागत मूल्यों का अध्ययन मेरियट (1955) द्वारा किया गया इस अध्ययन में सार्वभौमीकरण तथा धर्म निरपेक्षीकरण को अध्ययित किया कया इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि सामाजिक संरचना की एकता के प्रसंग में रेडफील्ड के विचारों में तथा मेरियट एण्ड कोहन (1953) के विचारों में समानता है ।

सिंगर (1955), 1958, 65, 72) ने परम्परागत मूल्यों का अध्ययन इस तात्पर्य से किया कि सामाजिक संघटन में इनकी उपादेयता भली भाँति स्थापित की जा सके।

भारतीय संस्कृति और दर्शन के सम्बन्धित साहित्य का विमोचन करने से कुछ ऐसे शोध कार्य प्राप्त हुए जिनका उल्लेख वर्तमान प्रसंग में उपेक्षित नहीं किया जा सकता, और इसक्रम में कर्वे (1961), विद्यार्थी (1961), कपाड़िया (1946), तथा घुरिये (1946) आदि प्रमुख हैं। उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वह धर्म जो हिन्दू धर्म पद्धति से संलग्नित है। उदाहरणार्थ जैनिज्म, सिक्खिज्म तथा बौद्धज्म उनके व्यवस्थित समाजशास्त्रीय अध्ययन कम मात्रा में उपलब्ध हैं। दार्शनिक एवं ऐतिहासिक केन्द्रण के प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि बुद्धज्म अवधारणा को तिब्बत के क्षेत्र में समायोजित किया गया। जैन धर्म समुदाय का अन्तरविवाही समूह के रूप में समाजशास्त्री अध्ययन सनगेव (1969), मेनडिलबाम (1970) द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत प्रसंग में संदर्भित शोध अध्ययनों के अन्तर्गत तुलनात्मक विवेचना करने पर यह स्पष्ट होता है कि बीसवीं शताब्दी के सम्पूर्ण अवधि में संकलित किये गये अधिकांश शोध पत्रावलियाँ सीमित अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों को पुष्टांकित करती हैं। धर्म की न्यायोचित मान्यतायें प्रचलन की दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था की वह घूट इकाइयाँ हैं जिनका सतप्रतिशत विमोचन समाज वैज्ञानिक अर्थ में संभव नहीं हो सकता है और इस कारण ऐसा माना जा सकता है कि वर्तमान भारतीय समाज में धर्म निर्पेक्षता की पद्धतियों में जो अनिश्चय की स्थिति निर्मित हो रही है उसका यदि सामायिक निराकरण न किया गया तो स्पष्टरूप से सम्पूर्ण मानव समाज के लिए एक ऐसी किंम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का निर्माण होगा जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विपल्व हो जाने का खतरा है।

इस प्रकार वर्तमान शोध कार्य का इस अवधि में किया गया समाजशास्त्रीय प्रयास पूर्णतया सामायिक एवं वांछित है तथा इस अभिप्राय की पूर्ति हेतु लक्षों का निर्धारण समाज वैज्ञानिकक्रम में व्यवस्थित रूप में किया गया है इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि विगत दशक में अन्तर विषयी शोध कार्यों में

अत्यधिक प्रसार हुआ है । लेकिन स्पष्टतया से जैन धर्म के समाजशास्त्र तथा विशेषतया से मध्य प्रदेश प्रान्त के भिण्ड जनपद के जैनों के प्रसंग में कोई सटीक शोध कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया । इस आधार पर वर्तमान शोध अध्ययन के समाज शास्त्रीय सामयिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है ।

§ ८ § वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य

सामान्य विवरणों के आधार पर यह विदित निर्मित होती है कि प्रस्तुत स्वभाव वाले शोध शीर्षक के प्रसंग में जो भी सूचनायें साहित्य में उपलब्ध हैं उनमें एक उपयोगी निवेश बेंच के रूप में वर्तमान शोध कार्य के उद्देश्यों को समायोजित किया जा रहा है । सम्बन्धित सूचनाओं से जो निष्कर्ष प्रोत्साहित होते हैं, उस विषय में यह माना जा सकता है कि अन्य धर्मों के व्यक्तियों की तुलना में जैन धर्म के व्यक्तियों का समाज-आर्थिक योगदान जनपद भिण्ड में उल्लेखनीय योगदान रखता है । इस विषय पर दीर्घकालिक एवं समाज वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन के बहुत आवश्यकता है ।

वर्तमान समाज शास्त्र शोध कार्य के लिए जो प्रस्तावित उद्देश्य निर्मित किये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. जनपद भिण्ड में जैन धर्म की स्थापना ,
2. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों की जन संख्या,
3. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों की सामाजिक व्यवस्था,
4. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों की आर्थिक व्यवस्था ,
5. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों का समाज - आर्थिक समन्वय,
6. अन्य उपयोगी सूचनाओं का विवरण एवं
7. समीक्षा ।

(ङ) वर्तमान शोध अध्ययन के सम्भावित उपयोग

वर्तमान शोध कार्य के द्वारा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को यदि पूर्वानुमानित किया जाये तो यह माना जा सकता है कि भारत वर्ष में क्षेत्रीय जातीय समाज आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण के क्रम स्पष्ट रूप से राष्ट्रधारा से संलग्नित रहते हैं । इसलिये इनके सामयिक उचित अध्ययन एवं सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिये वर्तमान प्रकृति के समाजशास्त्रीय शोधकार्य की अत्यधिक उपयोगिता है । इसके समक्ष धर्मनिरपेक्षता की सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दुरूहताओं का निराकरण वर्तमान स्वरूप वाले शोध आयामों की परिधि में सम्भावित है । उपर्युक्त उपयोगों की पृष्ठभूमि को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, पुनः उपयोग बताया जा सकता है एवं क्रमानुसार निष्कर्षों का क्रम शोध प्रबन्ध के आद्योपरांत सम्भव होगा । परन्तु यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन प्रतीकात्मक स्वरूप में शोधकार्य की गुणवत्ता के आधार पर समाजवैज्ञानिक क्षेत्रों के लिये उचित आधार निर्मित करने में सहयोगी भूमि का कानिर्माण कर सकता है, — ऐसी कल्पना की जा सकती है और सम्भवतः यह अतिशयोक्ति भी नहीं होगा ।

—— xxx ——

द्वितीय अध्याय

अध्ययन पद्धति

अ) अध्ययन क्षेत्र
ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ
स) आदर्श आकार
द) प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य
य) सारणीयन
र) सांख्यिकी विश्लेषण
ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

द्वितीय अध्याय

अध्ययन पद्धति

(अ) अध्ययन क्षेत्र

(ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ

(स) आदर्श आकार

(द) प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य

(य) सारणीयन

(र) सांख्यिकी विश्लेषण

(ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

अध्याय - 2

अध्ययन पद्धति

(अ) अध्ययन क्षेत्र

(ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ

(स) प्रश्नों आकार

(द) प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य

(य) सारणीयन

(र) सांख्यकीय विश्लेषण

(ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

§अ§ अध्ययन क्षेत्र

समाज शास्त्रीय सर्वेक्षण को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्र का चयन करना नितान्त आवश्यक है। किसी भी अध्ययन पर भौगोलिक कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल सामाजिक सम्बन्धों, संस्थाओं, और समूहों पर ही पड़ने वाला प्रभाव नहीं है अपितु वह यह भी स्पष्ट करता है कि सामाजिक प्रक्रियायें, प्रेरणायें एवं मूल्यों की धारणा किस तरह अपना परिवर्तनीय रूप प्रकट करती है। यह भौगोलिक दृष्टिकोण एवं ऐतिहासिक घटनाओं का पारस्परिक प्रभाव है जिसे ध्यान में रखना अध्ययन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। अतः अध्ययन विषय के लिए जिला नगर का चुनाव किया गया।

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम सीमान्त पर स्थित है। इसके उत्तर में छतरपुर, उत्तर पश्चिम में सागर पश्चिम में मुरैना, दक्षिण में ग्वालियर, दक्षिण पूर्व में दतिया एवं पूर्व में जालौन जबलपुर की सीमायें लगी हुई हैं। इस जबलपुर के भौगोलिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की दृष्टि से विचार करने पर इसे तूर्यसेन प्रदेश का एक जिला स्वीकार करने का कोई संदेह नहीं रह जाता है। रामायण एवं महाभारत में इस जबलपुर का उल्लेख हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह जबलपुर अस्तित्व में था। मनु स्मृति में भी इस प्रदेश का नाम शूरसेन जबलपुर ही था। सदावर की सीमायें इसी जबलपुर से जुड़ी हुई थी इस कथन की पुष्टि रामायण एवं महाभारत दोनों ही ग्रन्थों में शूरसेन के साथ आये शूद्र के एवं शूद्रका शब्द से हो जाती है जिसे कुछ विद्वान सदावर का ही प्राचीन पर्याय मानते हैं। एक अन्य मत के अनुसार सदावर जबलपुर शूरसेन जनपद का ही अंग था। आदि ब्रह्मम पुराण के अनुसार - शौरीपुर के शासक वसुश्रेष्ठ की पत्नी शूद्रा के नाम पर इस क्षेत्र को सदावर नाम से सम्बोधित किया जाने लगा परन्तु उपर्युक्त मतों से कौन सा मत समाधीन है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

मेरे विचार से यह क्षेत्र बहुत दिनों तक भदौरिया शासकों के अधीन रहा इसलिए इस क्षेत्र को भदावर नाम से जाना जाता है । डा० शिवशंकर कटारे ने "भदावर के इतिहास" में इसकी सीमाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि भदावर की सीमायें उत्तर-प्रदेश में आगरा जिले की बाह एवं इटावा तहसील है, मध्य प्रदेश में भिण्ड जिले की मेहगाँव और अटेर तहसीलें और राजस्थान में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा भू-भाग तक फैली हुई हैं । इस प्रकार जनपद भिण्ड भदावर का ही एक हिस्सा ठहरता है यही कारण है कि आज भी इसे भदावर धार के नाम से सम्बोधित किया जाता है । एक अन्य अवधारणा के अनुसार भिण्ड जनपद का निर्माण भदावर, तबरधार, कछवायधार एवं बुन्देलखण्ड आदि पाँच प्राचीन जनपदों के कथिपय अंशों को लेकर हुआ है । यही कारण है कि इस जनपद के उत्तरी पश्चिमी अंचल में कन्नौजी मिश्रित ब्रज भदावरी, पश्चिमी अंचल में तबरधारी, दक्षिणी अंचल में जटवारी, दक्षिण पूर्व अंचल में बुन्देलखण्डी तथा पूर्वी भाग में कछवायधारी की बोली का प्रभाव दृष्टि गोचर होता है ।

ऐतिहासिक लेखों तथा वृद्ध जनों की सुनी-सुनाई के मुताबिक भिण्ड नगर का नामांकन विभाडक मुनी के नाम पर हुआ था, ऐसी किंवदन्ति है कि महाभारत काल में विभाडक इस क्षेत्र में आये थे और यहीं वियावन जंगल में तपस्या करते-करते समाधि में लीन हो गये थे । कालांतर में उनका नाम अपभ्रंश होते होते भिण्डी ऋषि हो गया । अतः हम इस क्षेत्र को भिण्डी ऋषि की तपोभूमि भी कह सकते हैं । यहाँ पर मौजूद भिण्डी ऋषि मन्दिर भिण्ड नगर को उनकी तपोभूमि होना दर्शाता है ।

यह जनपद-- 25.55 से 26.48 उत्तरी अक्षांश तथा 78.12 से 79.10 पूर्व देशान्तर के मध्य स्थित है । इसका कुल क्षेत्रफल 4452 वर्ग किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का (1.01) प्रतिशत है क्षेत्रफल की दृष्टि से इस जनपद का मध्य प्रदेश में 42 वाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से 25 वाँ स्थान है । समुद्र तल से 152.183 मीटर ऊँचाई पर बसे इस जिले में मैदानी क्षेत्र के अलावा - चम्बल, कुवारी, वेसली, कालीसिन्ध एवं पहुज नदियों के आस - पास बीहड़ क्षेत्र हैं । जिले की जलवायु ग्रीष्म में अत्याधिक गर्म तथा शीतकाल में ठण्डी होती है

तापक्रम 2 से 45 डिग्री सेन्टी ग्रेड तक रहता है ।

भिण्ड जिले की जनसंख्या जनगणना 1991 के अनुसार 12,14,480 है इसमें से 8,63,492 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं । नगरीय जनसंख्या 2,50,998 है । जिले की कुल जनसंख्या में से 6,66,645 पुरुष तथा 547535 स्त्रियाँ हैं । 1991 में भिण्ड जिला चार मुद्दों को लेकर उभरा है जिले में कार्यशील जनसंख्या (26.05) मध्य प्रदेश में न्यूनतम है तथा अकार्यशील जनसंख्या (72.99) मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है । इस जिले में प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे केवल 822 महिलायें ही हैं यह अनुपात मध्य0 के अन्य जिलो की तुलना में न्यूनतम है । इसी प्रकार भिण्ड जिले में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत भी म0प्र0 में न्यूनतम है ।

जनपद भिण्ड में कृषि आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार है भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 66 प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है । फसलोत्पादक क्षेत्र कुल भूमि का मात्र 960 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है । जिले की मुख्य फसलें गेहूँ, तरहनों, ज्वार, बाजरा, अरहर हैं गोहद तथा भेहगाँव विकास खण्ड के कुछ क्षेत्रो में धान की फसल भी अच्छी होती है । इसके अतिरिक्त उड़द मूँग अलसी की पैदावार भी जनपद में होती है । जिले के लगभग सभी भागों में कछारी मिट्टी पाई जाती है । दोमट एवं चिकनी मिट्टी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ है । नदियों के किनारे की मिट्टी रेतीली होने के कारण वर्षा में कटकर गहरे बीहड़ों में परिवर्तित हो रही है । सिंचाई के लिए जिले के कृषक मुख्यतः कुओं, नलकूपों एवं नालों पर निर्भर रहते हैं ।

आर्थिक प्रगति यातायात के साधनों पर निर्भर होती है । भिण्ड जनपद में प्रति 100 किलो मीटर पर 12.33 किलो मीटर लम्बी सड़क है जबकि राज्य में यह लम्बाई 12.06 कि0मी0 है लेकिन जनपद भिण्ड की जनसंख्या के अनुमान से राज्य की तुलना में सड़क की लम्बाई बहुत कम है

रेलवे लाइन नेटवर्क प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 पर 1.88 कि0 मी0 की लम्बाई रखती है जबकि राज्य में यह लम्बाई 1.29 कि0मी0 है । प्रमुख सड़क मार्ग छः हैं— 1. भिण्ड ग्वालियर मार्ग 2. भिण्ड आलमपुर मार्ग 3. भिण्ड अटेर मार्ग 4. भिण्ड इटावा मार्ग 5. भिण्ड अमायन मार्ग एवं 6. एक दूसरा मार्ग भी है जिस पर भिण्ड फूफ, तुरपुरा, प्रतापपुरा और अटेर स्थित है । रेलवे मार्ग केवल भिण्ड ग्वालियर है ।

भिण्ड जनपद के व्यापार को कृषि उत्पादनों पर आधारित माना जाता है । कृषि उत्पादन के विक्रय के लिये छः मण्डियाँ हैं, इनमें भिण्ड लहर तथा गोहद की मण्डियाँ बड़ी हैं । मेहगाँव, मौ एवं मिहोना आलमपुर की मण्डियाँ छोटी हैं । निर्यात होने वाली वस्तुओं में तीव्रेन्द्र दवाईयाँ तरलों एवं तरलों का तेल और अनेक खाद्यान्न भी सम्मिलित हैं । इसके अलावा भिण्ड से बारदाना और गोंद भी निर्यात होती हैं । आयात वस्तुओं की सूची लम्बी है जिनमें मिट्टी का तेल डीजल, नमक, कपड़ा, रसायनिक उर्वरक, आधुनिक कृषि उपकरण, रेडियो टी. वी. तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुयें सम्मिलित हैं ।

खनिज उत्पादन की दृष्टि से भिण्ड जनपद अत्यन्त महत्वहीन है । मुख्यरूप से खनिज दो प्रकार के होते हैं— प्रमुख और गौड़, भिण्ड जिले में प्रमुख खनिज नहीं पाये जाते हैं । गौड़ खनिजों में पत्थर, मुरम और ईंट मिट्टी ही जनपद में पाई जाती है ।

जनपद भिण्ड की जनसंख्या की ओर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि जिले की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है । सन् 1981 में जिले की जनसंख्या 9.73 816 थी और घनत्व प्रतिवर्ग कि0मी0 219 व्यक्ति था, लेकिन सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 12, 14, 430 तथा घनत्व प्रति वर्ग किला मी0 व्यक्ति हो गया ।

उद्योगों की दृष्टि से यह जनपद पिछड़ा हुआ है लेकिन उद्योग के विकास के रूप में आलमपुर उद्योग क्षेत्र जो भिण्ड जिले में ही आता है एक महत्व-पूर्ण देन सांकित हुई है ।

भारत वर्ष के मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद कन्नौद के परिपेक्ष्य में उपलब्ध ऐतिहासिक भौगोलिक सामाजिक एवं प्रशासनिक तथ्यों (तालिका सं० 1 एवं 2) का विमोचन करने से यह स्पष्ट होता है कि इस जनपद में विकास की गति अत्याधिक उल्लेखनीय नहीं है । वस्तुतः एक मिश्रित सी समाज व्यवस्था का स्वरूप विद्यमान है । जैन धर्म सम्प्रदाय के समर्थक सदस्य लगभग 20-25 हजार के मध्य है और इनमें व्यवसायिक कार्यक्रम प्रमुख रूप से संचालित किये जा रहे हैं । तुलनात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जनपद कन्नौद में जैन धर्मावलम्बी की जनसंख्या घनत्व निश्चितरूप से महत्वपूर्ण है । प्रारम्भिक सर्वेक्षण में प्राप्त किये गये अतिविशिष्ट ऐतिहासिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भावनाओं का उल्लेख अध्याय विशेष के प्रसंग में किया जायेगा । जनपद कन्नौद की साक्षरता प्रतिशत में परिवर्तनीय स्थिति है । (तालिका संख्या - 3) एक प्रशासनिक आधार पर प्राप्त सूचना का विवरण संलग्नित किया जा रहा है जिसमें जनपद कन्नौद की तहसीलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । (तालिका संख्या- 4)

सामान्य सूचनाओं के प्रसंग में प्राप्त तथ्यों का विवरण तालिका संख्या - 5) में अंकित किया गया है और प्रस्तुत प्रसंग में व्यक्त की गई सूचनायें पूर्णतः सामाजिक है । स्थानीय प्रशासनिक माध्यमों से प्राप्त जनपद कन्नौद के विधान सभाओं का विवरण (तालिका संख्या - 6) में प्रस्तुत किया गया है । और इस तालिका के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जनपद कन्नौद में मात्र एक विधान सभा क्षेत्र गोदहद अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है जबकि पाँच विधान सभा क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिये है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद कन्नौद तथा जनपद दतिया संलग्नित करके एक लोक सभा क्षेत्र का निर्माण किया गया है ।

वर्तमान प्रसंग में प्रशासनिक आधारों पर प्राप्त अनेक प्रकार की उपजों का वर्गीकरण (तालिका संख्या- 7) में प्रस्तुत किया गया है । तथा इस तालिका का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक है जबकि मक्का की उपज न्यूनतम है ।

तालिका संख्या - (1)

जनपद भिण्ड की जनसंख्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधारित (वर्ष 1901 - 1991)

क्र. सं.	वर्ष	जनसंख्या
1.	1991	1214480
2.	1981	973816
3.	1971	796935
4.	1961	641169
5.	1951	566970
6.	1941	494059
7.	1931	430376
8.	1921	395849
9.	1911	412684
10.	1901	432266

स्रोत:- राष्ट्रीय सर्वेक्षण पत्रिका भारत सरकार

तालिका संख्या- 12

जनपद भिण्ड का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या घनत्व

क्र. सं.	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)		जनसंख्या घनत्व
1.	4452		252
2.	4452		218
3.	4492		178
4.	4462	1901—1991	144
5.	4462		118
6.	4462		111
7.	4462		96
8.	4462		88
9.	4462		92
10.	4462		97

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण पत्रिका भारत सरकार

तालिका संख्या - (3)

जनपद भिण्ड में साक्षरता का प्रतिशत

क्रम संख्या	वर्ष	साक्षरता		कुल प्रतिशत
		महिला	पुरुष	
1.	1971	9.55	55.15	23.55
2.	1981	14.56	44.81	31.07
3.	1991	19.00	51.25	33.10

स्रोत : राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या - (4)

जनपद भिण्ड की तहसीलों का विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	जनसंख्या	जनसंख्याघनत्व	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)
1.	मेहगाँव	196190	202	969
2.	भिण्डोना	89385	260	425
3.	लहार	142420	217	656
4.	अटेर	146300	151	696
5.	भिण्ड	219001	320	685
6.	गोहद	180495	175	1028
7.	रौन	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या- 15

जनपद भिण्ड का उपयोगी स्त्रोतों में व्याख्या

क्र. सं.	स्त्रोत	विवरण
1.	वाणिज्य बैंक	36
2.	कार्यशील व्यक्ति	255784
3.	कृषक	197613
4.	कृषि श्रमिक	33912
5.	ग्रामीण शिल्पी	2297
6.	अन्य कार्यों में	21892
7.	पंचायतों की संख्या	366
8.	गाँव की संख्या	925
9.	नगरपालिकायें	11
10.	विकास खण्ड	6

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या- 16

जनपद झिण्ठ की विधान सभाओं का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वरूप
1.	गोहद	अनुसूचित जाति
2.	भेहगाँव	सामान्य
3.	अटेर	सामान्य
4.	झिण्ठ	सामान्य
5.	रौन	सामान्य
6.	लहार	सामान्य

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या – 17

जनपद भिण्ड की प्रमुख उपजों का विवरण

क्र. सं.	फसल	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	उत्पादन (हजार मी. टन)
1.	तरतों	69200	51.72
2.	अलसी	1172	0.49
3.	धान	5344	9.06
4.	जौ	12760	22.04
5.	तिल	2231	0.77
6.	सोयाबीन	491	0.38
7.	मसूर	29593	14.97
8.	चना	21625	53.48
9.	ज्वार	21413	25.98
10.	बाजरा	35754	37.65
11.	गेहूँ	85356	208.94
12.	मक्का	113	0.92

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

(ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ

वर्तमान शोध अध्ययन के प्रसंग में प्रारम्भिक अवधि में किये सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया था कि तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची तथा सहभागी अवलोकन द्वारा किया जायेगा तथा इसकी स्वीकृति विषय विशेषज्ञों से भी प्राप्त की गयी । जनपद भिण्ड का विस्तार शहरी एवं ग्रामीण परिवेश्य में अत्याधिक है और साक्षात्कर्ता की इकाई उत्साह वर्धक नहीं है इसलिये साक्षात्कार अनुसूची प्रणाली तथा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप से आधार प्रदत्त करती है । उन अनेक प्रकार के अवयवों के एकत्रीकरण के लिए जो प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के क्रम में वांछित है । साक्षात्कार अनुसूची पद्धति के अन्तर्गत यह प्रावधान प्राप्त हो जाता है कि सम्बन्धित समस्या के अनेक मूल्यों एवं कठिनाइयों का निराकरण उत्तरदाता से प्राप्त किया जा सकता है । और इस प्रकार वर्तमान शोध अध्ययन में प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची पद्धति समाज वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतया उपयोगी है । इसके समक्ष सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग इस अभिप्राय से किया गया है जिससे कि उन अवरोध मानकों का मूल्यांकन किया जा सके जो उत्तरदाता प्रायः सामान्य वैचारिक आदान प्रदान में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं इस प्रकार तदानुसार सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग समाजवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः सामयिक एवं उचित है । पी.वी. यंग (1956) का उल्लेख करते हुए यह वर्णन किया जा सकता है कि धर्म सम्प्रदायों के मानकों का विमोचन साक्षात्कार पद्धति द्वारा तथा अवलोकन पद्धति द्वारा अत्याधिक सीमांकन किया जा सकता है । क्यों कि एक मात्र रूप से वर्तमान अध्ययन में ऐतिहासिक सूचनाओं को व्याख्या का अभिकट केन्द्र बिन्दु नहीं बनाया गया है । तथा अन्य पद्धतियों द्वारा प्रस्तुत प्रकार के मानकों का वांछित एकत्रीकरण तथा विश्लेषण उचित समाज वैज्ञानिक परिधि में सम्भावित प्रतीत नहीं होता है । इस विचार की संस्तुति पाल (1953) ने भी की है ।साक्षात्कार पद्धति में यह विशेषता है कि सर्वेक्षण के पूर्व सम्पूर्ण स्थिति को नियोजित किया जाता है तथा संग्रहित किए जाने वाले मानक तथ्यों को व्यापक आधार पर प्रस्तुत भी किया जाता है । इसके समक्ष अवलोकन पद्धति के प्रसंग में मर्टन (1949) , बर्नार्ड (1934) का उल्लेख किया जा सकता है ।

इन समाज वैज्ञानिकों ने वर्तमान शोध स्वभाव वाले अध्ययनों के लिए अवलोकन पद्धति की संस्तुति की है ।

प्रारम्भिक शोध सर्वेक्षण की अवधि में एकत्रित की जाने वाली वांछित सूची का प्रज्ञातिक निर्माण किया गया और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक महत्व के प्रश्नों को समुचित हस्तांतरित किया गया । इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन की द्वितीयक सर्वेक्षण में समायोजित प्रश्नों की साक्षात्कार अनुसूची से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त हुआ इस प्रसंग में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन के सम्पूर्ण अवधि में दैनिक डायरी अंकित की है और इसमें उन अपरोक्ष सूचनाओं का अधिक संकलन किया गया जो सर्वेक्षण अवधि में उत्तरदाता साधारण रूप में व्यक्त नहीं करते है । समाज वैज्ञानिक क्रम में साक्षात्कार अवलोकन तथा डायरी पद्धति से एकत्रित सूचनाएं शक्तिशाली रूप में मौलिक, विश्वसनीय, सामयिक तथा वैज्ञानिक चिन्तन के लिए उपयोगी है । साक्षात्कार सूची का प्रारूप वर्तमान शोध प्रबंध के अंतिम चरण में संलग्नित किया जा रहा है ।

§ ८ § आकार

वर्तमान शोध अध्ययन में निर्धारित अनेक प्रकार के उद्देश्यों की परिधि में यह आवश्यक था कि आर्द्रा संख्या को इस प्रकार प्रभावी सीमा तक विकसित किया जाये जिससे कि समाज वैज्ञानिक महत्व की सूचनाओं का संकलन विस्तृत रूप से हो सके ।

वर्तमान शोध अध्ययन के क्रम में प्रारम्भिक परिकल्पना का निर्माण यह किया गया कि " क्षेत्रीय समाज - आर्थिक गतिविधियां आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होती हैं ।" इसक्रम में जनपद सिरोंज का जैन समाज कोई अपवाद नहीं है । इसके अतिरिक्त एक परिकल्पना और भी निर्धारित की गई कि " जैन धर्म का प्रमुख अवलम्बन मूल मान्यताये हैं तथा इनका समानुपातिक स्वरूप जनपद के अन्य धर्मों को भी प्रभावित कर रहा है ।" वस्तुतः इन दोनों परिकल्पनाओं की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध अध्ययन की अवधि में एकत्रित तथ्यों का स्वरूप तथा विश्लेषणात्मकात्मक

चिन्तन की परिधि में उस विशेष प्रकार की अलौकिक कड़ी के समान हो सकते हैं जिसने मानव समाज की स्थापना करने के क्षणों में यह विचार प्रवाह किया होगा कि आचार संहिता का प्रमुख केन्द्र बिन्दु धर्म है अथवा इसके प्रतीक की प्रचलित मान्यतायें ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए जनपद झिंझड में निवास करने वाले 1000 जैन व्यक्तियों का चयन "रेण्डम सैम्पलिंग" प्रणाली के द्वारा किया गया और धर्म के आधार पर वर्गीकृत इस संख्या का विवरण तालिका संख्या 8 में प्रस्तुत किया गया है ।

वर्तमान शोध अध्ययन के प्रतीक में संकलित उत्तरदाताओं का प्रारम्भिक वर्गीकरण पर्यावरण के आधार पर किया गया और इसक्रम की सूचनाओं का विवरण तालिका संख्या - 9 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जैन सम्प्रदाय के व्यक्तियों की संख्या नगरीय क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक मात्र इस से यह जैन व्यक्ति निवास कर रहे हैं जो परम्परा - गतशावातीय स्थान तथा कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व में है ।इस प्रकार यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि संकलित उत्तरदाताओं में नगरीय प्रतिशत की अधिकता यह निर्दिष्ट करती है कि जैन समाज के व्यक्तियों का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहा है इस क्रम में उल्लेख किया जा सकता है कि जैनसमाज में विद्यमान वर्गीकरण के अनुपालन में प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषित उल्लेख अध्याय विशेष के प्रतीक में किया गया है

(ङ) प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य

वर्तमान शोध अध्ययन के क्रम में प्राप्त अभिलेखों एवं ऐतिहासिक विवरणों को द्वैतीयक तथ्य के रूप में प्रयुक्त किया गया, जबकि इसके सापेक्ष प्राथमिक तथ्य के प्रतीक में आंकड़ों की कुल संख्यायें 1000 हैं । समाजवैज्ञानिक शोध कार्यों में प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्यों का स्थापत्य एक विषय गत मान्यता है और इसका निर्वाह वर्तमान शोध कार्य के परिवेश में पूर्णतः किया गया है इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जैन धर्म के अनेक ऐसे सामाजिक अभिलेख प्राप्त होते रहे जिनके विभाजन से उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई और इन्हे उचित सीमा के अन्तर्गत वर्णन के क्रम में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका संख्या- 10

जनपद झिण्ड में संकलित उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरुष	624	62.4
2.	महिला	376	37.6
	कुलयोग :-	1000	100.00

तालिका संख्या - (9)

जमाद मिण्ड में संकलित उत्तरदाताओं का पर्यावरण के आधार पर वर्गीकरण

क्र. सं.	पर्यावरण	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	27
2.	नगरीय	73
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

(ग) सारणीयन

वर्तमान शोध अध्ययन के क्रम में एकत्रित तथ्यों को साधारण द्विकारक एवं बहुकारक सारणियों में परिवर्तित किया गया । यह क्रम विश्लेषण की दृष्टि से आधारभूत मान्यता का है ।

(घ) सांख्यकीय विश्लेषण

समाज साहित्य में विद्यमान समाज वैज्ञानिक विश्लेषण की सांख्यकीय विधियों का मूल्यांकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि वर्तमान स्वभाव वाले शोध कार्य के मानकों की विवेचना प्रस्तावित पद्धति द्वारा की जा सकती है और इस प्रकार आद्योपांत विवेचना में प्रस्तावित प्रणाली बहुलांश रूप से तथ्यों का उचित विश्लेषण करने में सक्षम भी रही है । अवधि तथा कोशों की न्यूनता के कारण प्रस्तुत शोध कार्य के न्यादर्शों की विवेचना जटिल सांख्यकीय संक्रमों में नहीं की जा सकी है । दैनिक डायरी से प्राप्त सूचनाओं का अन्तर्वस्तु अध्याय विश्लेषण के प्रतिमों में भी किया गया । इस प्रकार सांख्यकीय विश्लेषण का उपक्रम वर्तमान समाज वैज्ञानिक क्रम में पूर्णतः उपयुक्त है ।

(ङ) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

प्रस्तुत शोध कार्य में सामयिक एवं आर्थिक सीमा के कारण तथ्यों का विश्लेषण जटिल सांख्यकीय पद्धतियों में न किया जाना मात्र एक सीमा है । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि समाजवैज्ञानिक प्रयास में कोई त्रुटि है । समाजवैज्ञानिक क्षेत्र में उपलब्ध अनेक शोध पत्रों के क्रम में स्पष्ट की गयी सूचनाओं के आधार पर यह वर्णित करने में कोई झिझक नहीं है कि संकलित आदर्शों की 1000 संख्या जो शोध अवधि की प्रारम्भिक स्थिति में स्वीकृत की गयी थी वह शोध अभिप्राय की दृष्टि से उपयुक्त तो लेकिन यदि समाज वैज्ञानिकों के मिश्रित

प्रयास द्वारा जनपद सिरोंज के समस्त जैन व्यक्तित्वों का अध्ययन किया जाता तो सांख्यिकीय महत्व की ओर भी अधिक सूचनाएं एकत्रित हो सकती थी ।

—— xxx ——

तृतीय अध्याय

सामाजिक व्यवस्था

(अ) जैन धर्म का विकास

(ब) जनपद भिण्ड में जैन जनसंख्या

(स) सामाजिक घटनाक्रम

(द) समीक्षा

अध्याय - 3

सामाजिक व्यवस्था

(अ) जैन धर्म का विकास

(ब) जनपद किण्ड में जैन जनसंख्या

(स) सामाजिक घटना क्रम

(द) समीक्षा

§3§ जैन धर्म का विकास

सामाजिक व्यवस्था तथा संबंधित गतिविधियों के प्रसंग में जैन धर्म की स्थापना भिन्न जनपद के प्रसंग में एक वैचारिक परिवर्तन की क्रियावस्तु कालांतर में रही है। वस्तुतः सामाजिक आचार संहिता एक ऐसे मानसीय परिधि में उचित माना गया हो। अतः जैन धर्म के के विकास की सामान्य छायाओं का अवलोकन करने से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जनपद भिन्न में इस धर्म की स्थापना लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई होगी और इस आशय के शिलालेख क्षेत्रीय क्रम में देखे जा सकते हैं। जनपद भिन्न में जैन धर्म की प्रमुख अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों का उल्लेख प्रस्तुत समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों के उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह पता चलता है कि विक्रम की दूसरी शताब्दी में विशाल भेनसंघ स्पष्टतया से दो भागों में विभाजित हो गया और विभाग का मूल कारण साधुओं का वस्त्र परिधान था जो पक्ष साधुओं की नग्नता का पक्षपाती था वह दिगम्बर कहलाया और जो पक्ष वस्त्र पात्र का समर्थन करता था वह श्वेताम्बर कहलाया किन्तु बाद में उनमें भेद की अन्य सामग्री भी जुटती गयी और धीरे - धीरे दोनों सम्प्रदायों में भी अवान्तर पन्थ हो गये किन्तु भेद के कारणों पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि जैन धर्म के विभिन्न सम्प्रदाय में तात्विक दृष्टि से भेद नहीं है बल्कि जो कुछ भेद है वह अधिकांश में व्यवहारिक दृष्टि से ही है सभी जैन सम्प्रदाय और पन्थ अहिंसा और अनेकांतवाद के अनुयायी हैं आत्मा परमात्मा, मोक्ष/संसार प्राप्ति के स्वरूप के विषय में कोई भेद नहीं है। विश्लेषण की दृष्टि से प्रत्येक सम्प्रदाय और उसके अवान्तर पन्थों का परिचय निम्न प्रकार है —

§1§ दिगम्बर सम्प्रदाय :— दिगम्बर सम्प्रदाय के साधु नग्न रहते हैं। वे जीव-जन्तु को दूर करने के लिए मोरपंख की एक पीछी रखते हैं और मल - मूत्र आदि की बाधा के लिए एक कमण्डलु रखते हैं, जिसमें प्रासुक जल रहता है दिन में एकबार खड़े होकर अपने हाथ में ही भोजन लेकर आहार लेते हैं। दिगम्बर साधु यह स्वरूप

प्रारम्भ से प्रायः ऐसा ही चला आ रहा है । समय के साथ दिगम्बर संघ में भी भेद उभरने लगे और आचार प्रक्रिया को लेकर कुछ संघों का उदय हुआ ।

§2§ मूलसंघ :— इसकी उत्पत्ति का स्थान और समय अज्ञात है परन्तु इसका सम्बन्ध विशेषतः कुन्द - कुन्द आचार्य से रहा है । कुन्द कुन्द का समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना गया है शिथिलाचारी साधुओं के विरोध में विशुद्धतावादी साधुओं ने जिस आन्दोलन को चलाया उसे मूलसंघ कहा गया है ।

3§ यापनीय संघ :— यह सम्प्रदाय दिगम्बर श्वेताम्बर के बीच की एक कड़ी थी इसकी स्थापना वि0सं0 205 में श्री कलशनाम के श्वेताम्बर साधु ने की थी यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आस पास प्रभावशाली रहा ।

§4§ द्रविड़ संघ :— इस का सम्बन्ध द्रविड़ देश से है द्रविड़ देश में रहने वाले जैन समुदाय का नाम द्रविड़ संघ है दर्शनसार के अनुसार इस संघ की स्थापना पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दि ने वि0सं0 526 में दक्षिण मथुरा में की ।

§5§ कूर्चक संघ :- कर्नाटक प्रान्त में ईसा की पाँचवी शताब्दी में जैनों का एक सम्प्रदाय कूर्चक नाम से था यह साधुओं का ऐसा सम्प्रदाय था जो दाढ़ी मूँछ रखता था इस कारण कूर्चक कहलाता था ।

§6§ काष्ठा संघ :— इस संघ की उत्पत्ति मथुरा के समीपवर्ती काष्ठा ग्राम में हुई दर्शनसार के अनुसार इस संघ की उत्पत्ति वि0सं0 653 में दक्षिण प्रांत में विजय सेन के शिष्य कुमार सेन द्वारा की गई थी उन्होंने बर्कश देश और गौ की पूँछ ग्रहण करके सारे देश में उन्मार्ग चलाया ।

§7§ गौड़ संघ :— इस संघ का उल्लेख एक ही लेख में मिलता है गौड़ संघ के आचार्य सोमदेव के लिए चालुक्य राज्य वदिग द्वारा शुभ धाम जिना लय के बनवाने का उल्लेख है ।

§ब§ श्वेताम्बर सम्प्रदाय :— इस सम्प्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनके पास चौदह उपकरण होते हैं — 1. पात्र 2. पात्रबन्ध 3. पात्रस्थापन 4. पात्र प्रमार्जनिका 5. पटल 6. रजस्त्राण 7. गुच्छक 8. 9. दो चादरे 10. ऊनी वस्त्र §कम्बल§ 11. रजोहरण 12. मुखवस्त्र 13. मात्रक 14. चोलपट्टक ।

इनके सिवाये अपने हाथ में एक लम्बा डण्डा भी लिये रहते हैं । श्वेताम्बर मत के अनुयायी जिन मूर्तियों को वस्त्र आभूषणों से सजाते है । दिगम्बर सम्प्रदाय की तरह श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी विभेद हैं

1. पुजेरा या मूर्ति पूजक या साधु मार्गी —— इस मत के व्यक्ति मूर्ति पूजा करते है मूर्तियों को शृंगार चढ़ाते है साधु श्वेत वस्त्र धारण करते है बोलते समय मुँह पर सफेद पट्टी लगाते हैं ।

2. ढूंढिया या स्थानकवासी :—— इस मत के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते । इनके साधु मुँह पर सफेद पट्टी रखते हैं बदन पर केवल सफेद वस्त्र धारण करते हैं ।

3. तेरह पंथ :—— इस पंथ की स्थापना भीकम जी महाराजा ने वि०सं० 1817 में की थी ये तेरह सिद्धान्त - पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति पर अधिक जोर देते हैं इस कारण तेरह पंथ कहलाया ।

4. तारण पंथ :—— परवार जाति के एक व्यक्ति ने जो बाद में तारण तरण स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ईसा की पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त में इस पंथ को जन्म दिया यह पंथ मूर्ति पूजा का विरोधी है इनके उपासना स्थल को चैत्यालय कहा जाता है और उनमें मूर्ति की जगह शास्त्र विराजमान रहते हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है किन्तु द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता ।

5. नवीन मत :——वर्तमान में दिगम्बर सम्प्रदाय में एक नया उपभेद स्थापित हुआ जो "कानजीपंथ" के नाम से प्रचलित हो रहा है इस मत में कुन्द कुन्द स्वामी के विचारों को प्रधानता दी गयी ।

इस विवेचन विवेचन में यह स्पष्टरूप से देखने में आया कि जैन धर्म मुख्यरूप से दो शाखाओं में विभाजित हुआ । और पीछे से प्रत्येक में उप सम्प्रदाय उत्पन्न हुए । फिर भी सभी मत और उनके अनुयायी एक वीतरागदेव को ही मानते हैं ।

झिन्झ नगर से उत्तर दिशा में झटावा राजमार्ग पर बरही गाँव स्थित है यह गाँव झिन्झ से लगभग कि० मी० दूर चम्बल नदी के किनारे

बसा हुआ है गाँव के पश्चिम दिशा में एक ऊँचे टीले पर प्राचीन जैन मन्दिर बना हुआ है यह सिद्ध क्षेत्र है । बताया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी का समवशरण पहले झिण्ड जिले के बरातो गाँव में रुका । फिर चलकर सहरी गाँव में आया । समवशरण के रुकने के स्थान पर सहरी गाँव में जैन मन्दिर की स्थापना हुई की गई । जिसका निर्माणकाल ढाई हजार वर्ष पूर्व का हुआ बताया जाता है । सरई का प्राचीन नाम वल्कीपुर माना जाता है । पुरातत्वीय शोध के बीच में प्राचीन भग्न एक हजार वर्ष का प्रतीत होता है इस अतिशय क्षेत्र पर प्राप्त जिन प्रतिमाएँ 10 वी ।।वी शताब्दी की हैं । बरातो गाँव भी समवशरण क्षेत्र बताया जाता है आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर का समवशरण यहाँ कुछ समय के लिए रुका था । जिस स्थान पर समवशरण रुका । उसी स्थान पर बेड़ा बेतवा नदी के किनारे मन्दिर का निर्माण कराया गया । इस मन्दिर में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है । इसके अतिरिक्त जैन तीर्थंकरों की लगभग 20 प्रतिमाएँ रखी हुई हैं । जिनमें से एक ।।वीं सदी के मध्य की है ।

झिण्ड सहार मार्ग पर प्रतीत कि0मी0 की दूरी पर रौन कलवा स्थित है यह ग्राम बहुत प्रचीन बताया जाता है इसी ग्राम के बीच में एक प्राचीन जैन मन्दिर है इसके पास जैन जनों की बस्ती होने से यह जैन ओडल्या कहलाता है । इस मन्दिर में अजनार ग्राम से ई0 1956 में 13वें जैन तीर्थंकर भगवान विमल नाथ की एक भव्य प्रतिमा भुगर्भ से प्राप्त हुई थी । जिसकी प्रतिष्ठापना मूर्ति पर अंकित धारलेख के अनुसार उज्जयनी के नरेश महाराजा भोज ने वीर सं0 1305 में कराई थी । अनवद झिण्ड से प्रतीत कि0 मी0 की दूरी पर पिपलपुरा चौराहा मिलता है इस चौराहे से पश्चिम दिशा की ओर तीन कि0 मी0 की दूरी पर ग्राम पावई पड़ता है इसी ग्राम के उत्तर दिशा में एक प्राचीन जैन मन्दिर है, जो ग्यारहवीं शताब्दी का बना बताया जाता है ।झिण्ड डबरा राजमार्ग पर झिण्ड से 13 कि0 मी0 पर पूछ नगर उत्तर दिशा में स्थापित है । यहाँ से पश्चिम उत्तर दिशा में तीन कि0 मी0 पैदल मार्ग द्वारा ग्राम पावली होकर बहेरी पहुँचते हैं इसी ग्राम की उत्तरी दिशा में समीप ही एक प्राचीन जैन मन्दिर स्थापित है । मन्दिर की प्राचीनता 200-300 वर्ष

पुरानी बतायी जाती है । एक मान्यता जनपद में ऐसी है कि भिण्डी ऋषि जिनके नाम पर इस जनपद का नाम भिण्ड पड़ा है यह जैन ऋषि थे । जनपद भिण्ड के निकट ही एक स्थान शोरीपुर है जिसे भगवान नेमिनाथ की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है । जनपद भिण्ड की सीमा से सटा हुआ नगर फिरोजाबाद है इस नगर इस से 6 कि0 मी0 दूर यमुना तट पर चन्द्रवार नगर स्थित है इस नगर की स्थापना वि0 सं0 1052 में चन्दपाल नाम के एक दिगम्बर जैन राजा की स्मृति में की गयी थी ।

बरही में श्री 1008 श्री अजितनाथ भगवान का भव्य जिनालय चैत कृष्ण द्वितीय गुरुवार वीर सम्वत 1520 को देवो द्वारा निर्मित किया गया है । ऐसी मान्यता प्राचीन समय से है । ऐतिहासिक दृष्टि से जनपद भिण्ड में शैवमत और जैन मत ही प्रभावशाली रहे । भिण्ड जिले की अटेर तहसील में एक ग्राम जमसारा है । यह ग्राम बहुत पुराना बताया जाता है यहाँ पर एक पुराना जैन मन्दिर पन्द्रहवी शताब्दी का बना बताया जाता है । यहाँ पर स्थापित सोने चाँदी की जैन मूर्तियों की पूजा अर्चना वर्षों होती रही ।

धार्मिक प्रसंग में प्राप्त ऐतिहासिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि जनपद भिण्ड में शैवमत सम्प्रदाय तथा जैन मत सम्प्रदाय अत्याधिक प्रभाव शील रहे क्यों कि नगर एवं उसके आस पास शैव एवं जैन मन्दिरों की अधिकता है । सामान्य सर्वेक्षण की अवधि ने व्यक्तिगत रूप से यह अवलोकित किया गया कि भिण्ड के प्रत्येक ग्रामीणक्षेत्र परम्परागत जैन मन्दिर स्थापित है इसक्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्दिष्ट होता है कि जैन धर्म का लमेचु वर्ग लगभग 800 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया और इस वर्ग के सदस्य वर्तमान समय में जनपद भिण्ड में सर्वत्र वितरित है । ब्रिटिश कालीन मध्य प्रान्त के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जैन धर्म के प्रसंग में एक निर्देशन यह भी प्राप्त होता है कि मध्य प्रान्त का सबसे बड़ा राज्यवंश कलचुरीवंश का था जो जैन धर्म का समर्थक माना जाता था । ऐतिहासिक विवरणों के प्रसंग में किये गये तुलनात्मक विवेचन से एक सूचना प्राप्त हुई और वह

इस प्रकार है — आचार्य अकलंक द्वारा भारतीय बुद्धि पर प्रतिष्ठित की विवेचना धर्म के रूप में अहिंसात्मक अवधारणा के अन्तर्गत की तथा इसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में सुखी रह सकता था और कालान्तर में मोक्ष भी प्राप्त कर सकता था। वस्तुतः इस सिद्धान्त के माध्यम से एक विशेष प्रकार की संस्कृति का निर्माण हुआ और उसे जैन दर्शन में श्रमण संस्कृति माना जाता है। इस संस्कृति के प्रमुख पोषक के रूप में आचार्य अजित नाथ सहित समस्त जैन समाज को माना जाता है।

धार्मिक प्रसंग में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वस्तुतः जैन धर्म के समस्त अवधारणायें एवं सिद्धान्त इस प्रतिमान रूप में भारतीय है। इस धर्म में अहिंसावादी मार्ग का प्रचलन इस अभिप्राय से प्रतिपादित किया गया है कि ईश्वर द्वारा सृजित प्रत्येक जीव सदा की रक्षा की जा सके। पाप और पुण्य के विकल्प व्यवस्था के अन्तर्गत एक ऐसे कार्य शैली निर्मित करने के अभिप्राय से स्वीकृत किये गये, जिससे कि धार्मिक गतिविधियों के प्रवाह में निरन्तरता रहे। अजर अमर आत्मा का सिद्धान्त भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम धरोहर है और इसका समर्थन जैन सम्प्रदाय द्वारा भी किया गया। व्यक्ति समाज में रह कर नीति निर्धारक तत्वों का अनुपालन एवं प्रसार करे — यह मानवतावादी पक्ष है और इसकी पुष्टि अनेक कालों में जैन महर्षियों द्वारा सम-सामयिक रूप से की है। जनपद झिन्झु में विद्यमान एक शिवालय अत्यधिक प्राचीन है और वर्तमान समय में इस मन्दिर पर दर्शनार्थ श्रद्धालु भक्तों का बहुत बड़ा समूह प्रतिदिन एकत्रित होता है, तथा इसकी व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा सक्रिय सहयोग दिया जाता है।

धार्मिक प्रसंग में जनपद झिन्झु के स्थापना के परिप्रेक्ष्य में एक दृष्टान्त इस प्रकार प्राप्त होता है कि कई हजार वर्ष पूर्व झिन्झी ऋषि का आगमन इस स्थान पर हुआ और उनके द्वारा कई वर्षों तक यहाँ तप कार्य किया गया। इस प्रकार इस तपोभूमि का नाम कालान्तर में झिन्झु पड़ गया। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुरूप जनपद झिन्झु में धार्मिक गतिविधियों का जो सिलसिला प्राचीन समय से प्रारम्भ हुआ वह निरन्तर चल रहा है। धार्मिक प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जिस प्रकार वैदिक आचार संहिता होती है का निर्माण सम्बन्धित मनीषियों ने किया उसका अधिकांश

प्रतिशत वर्तमान समय में प्रचलित है उदाहरणार्थ दैनिक कर्म, मन्त्रों का उच्चारण, पानी छानकर पीना तथा सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के अनेक अवसर जिन्हु जनपद में वर्तमान जैन समाज में एक उल्लेखनीय मौलिकता है । जैन धर्म की मूल आत्मा चेतन और अचेतन अवधारणों में है । धर्म के तात्पेक्ष प्राप्त समाज सांख्यीय सूचनाओं का विवरण समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है, और इसका कारण यह हो सकता है कि समानान्तर तुल्यधिर विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं । जनपद जिन्हु में निवास करने वाले जैन सम्प्रदाय के व्यक्तियों से प्राप्त सामान्य धार्मिक दृष्टिकोणों को परीक्षित किया गया और उनका विश्लेषण तालिका संख्या - 10 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि शतप्रतिशत उत्तरदाताओं ने जैन धर्म की महत्वता को स्वीकृत किया है । इसका अभिप्राय यह है कि सर्वेक्षण में संकलित समस्त उत्तरदाता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग में विश्व के विभिन्न समाजों में हिंसा के धर्म का अनुपालन करने का जो प्रचुर प्रसार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जनपद जिन्हु का जैन समाज कैसे अपवाद रह सकता था । इसके समक्ष संविधानिक रूप से जब धार्मिक अनुपालन की पूर्ण स्वतंत्रता है तो व्यक्ति द्वारा स्वतः के धर्म को अनुपालित किया जाना सामाजिक एवं वैधानिक हित में है । प्रस्तुत प्रसंग में समीपवर्ती प्राप्त सूचना - जैन धर्म के विभाजन के प्रसंग में पक्ष एवं विपक्ष में 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत मानक में प्राप्त हुई है । इस तथ्य का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि धार्मिक सम्प्रदाय के विभाजन परम्परात्मक आधारों पर है और इसका निर्वाह सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं के एक बड़े प्रतिशत द्वारा किया जा रहा है । तदोपरान्त प्राप्त उधार के प्रसंग में सूचना निर्दिष्ट करती है कि 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार धर्म के माध्यम से उधार हो सकता है जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अस्वीकृति दी है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है कि संख्यता न्यून प्रतिशत वाले उत्तरदाताओं के व्यक्तित्व पर आधुनिक

तालिका संख्या- 4.16

उत्तरदाताओं के मतानुसार जैन धर्म का दृष्टिकोण

क्र. सं.	दृष्टिकोण	विचार हाँ	नहीं	कुलप्रतिशत
1.	जैन धर्म महत्वपूर्ण है	100	---	100
2.	जैन धर्म के सिद्धान्त उचित हैं	80	20	100
3.	धर्म के माध्यम से उद्धार हो सकता है	98	2	100
4.	जैन धर्म में आडम्बर महत्वपूर्ण है	95	5	100

सामाजिक शक्तियों का प्रभाव हो । क्योंकि इसके पश्चात आयु होने के प्रसंग में प्राप्त 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्वीकृति निर्विवाद रूप से यह सम्मति है कि धार्मिक प्रसंग के मूल्य वर्तमान जैन समाज में आज भी उपलब्ध है । इस प्रकार वर्तमान तालिका की उपलब्धियाँ धार्मिक परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः गुणात्मक एवं अत्याधिक उल्लेखनीय है । तालिका संख्या - 11 में धार्मिक कार्यों से सम्बन्धित माध्यमों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । वस्तुतः यह तालिका सम्यक पुष्टि के उद्देश्य से निर्मित की गयी है इसप्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि भजन कीर्तन , कथा , यक्ष वस्त्र पहनना , माला जपना आदि आदि कार्यक्रमों में उत्तरदाताओं की शतप्रतिशत स्वीकृति प्राप्त हुई है , जो पुनश्च यह पुष्टि करती है कि जनपद झिरुड में निवास करने वाला जैन सम्प्रदाय का प्रतिनिधि निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन करता है प्रस्तुत प्रसंग में साधारण अवलोकन से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से भी यह पुष्टि होती है कि जनपद झिरुड में निवास करने वाला जैन सम्प्रदाय की धार्मिक गतिविधियों का संचालन अनेक प्रकार के माध्यमों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और दैनिक कार्यक्रम के अन्तर्गत इनका समावेश जैन प्रतिनिधियों में है । धर्म सम्प्रदाय की संचालन की पद्धतियों का प्रभाव प्रत्येक सामाजिक व्यक्तित्व पर पड़ता है मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अन्तर्गत इस बात के प्रमाण अनेक एक है कि सामाजीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत जिन बुराइयों का बाहुल्य होगा उन्हीं का सापेक्ष प्रचलन कालान्तर मेंव्यक्ति द्वारा किया जायेगा । एशिया महाद्वीप में जहाँ क्षेत्रीयता के सापेक्ष धार्मिक मान्यताओं को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है , उसी स्थान परभव्य प्रदेश प्राप्त का जनपद झिरुड संविधानिक गरिमा के अनुरूप ऐसे जैन प्रतिनिधियों से परिपूर्ण है जिनमें उदारवादी प्रकृति वर्तमान सर्वेक्षण में 89 प्रतिशत प्राप्त हुई हैं औरइसका प्रदर्शन तालिका संख्या- 12 में किया गया है कट्टर वादी धर्म सम्बन्धी के रूप में 11 प्रतिशत उत्तरदाता संकलित किए गये हैं और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है कि संभवता इस वर्ग के प्रतिनिधियों के मन में परम्परागत मान्यताओं का सर्वाधिक प्रभाव है वर्तमान प्रसंग में

तालिका संख्या - 111

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यमों का विवरण

क्र. सं.	माध्यम	प्रतिशत
1.	भजन कीर्तन	100
2.	कथा	100
3.	यज्ञ	100
4.	ध्वज चढ़ाना	100
5.	माला जपना	100
6.	अन्य	100

तालिका संख्या- 112

उत्तरदाताओं के सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति का विवरण

क्र. सं.	प्रवृत्ति	प्रतिशत
1.	कट्टर पंथी	11
2.	उदार	89
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

प्रश्न कट्टरवादी एवं उदारवादी दृष्टिकोण का यह नहीं है कि जैन धर्म समाज के मूल मान्यता कट्टरवादी है, लेकिन परिवर्तित वर्तमान सामाजिक आयामों में संक्षमता प्राप्त उदारवादी है। दृष्टि कोण व्यवहारिकता का परिणाम है। इस प्रकार धार्मिक सम्प्रदाय की सामान्य गतिविधियों का संचालन त्रिपक्षीय अर्थ में — व्यक्ति, सिद्धान्त एवं व्यवहारिकता के वशीभूत होकर किया जा रहा है और वस्तुतः यह क्रमांक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय उपयोगिता का है। तालिका संख्या- 13 में धार्मिक गतिविधियों के नियन्त्रण के अभिप्राय से प्राप्त सूचनाओं का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में प्राप्त तथ्य निष्कर्ष करते हैं कि धार्मिक गतिविधियों के संचालन की इकाईयां पारस्परिक सामंजस्य में हैं। इस वर्ग में संकलितात्मक वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है और प्राप्त निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि जनपद जिन्द में निवास करने वाले जैन प्रतिनिधियों के विचारों पर परम्परागत मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव है।

धार्मिक क्रियाकलापों की विविध अभिलक्षियों का मूल्यांकन वर्तमान सर्वेक्षण में किया गया और इसकी गुणात्मक इकाईयों को तालिका संख्या - 14 में संकलित किया गया है। जैन धार्मिक क्रियाकलापों के अनुपालन की स्वीकृति 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दी इसके अलावा शतप्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह भी व्यक्त किया है कि धार्मिक कार्यक्रमों में कोई आडम्बर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शतप्रतिशत उत्तरदाता इस धारणा के भी हैं कि धर्म और विश्वास एक दूसरे के पूरक है और शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार शुभ कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व मूर्ति दिखाना आवश्यक है। समीपवर्ती सूचना में समीपवर्ती अनुपात प्राप्त हुआ है कि दूसरे धर्म के व्यक्तियों से सामंजस्य उचित है। इस प्रसंग में परम्परागत मान्यता का एक परीक्षण और भी किया गया जिसमें प्राकृतिक आपदा के निराकरण में धर्म का योगदान मूल्यांकित किया गया और इस क्रम में 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया तथा 9 प्रतिशत उत्तरदाता नकारात्मक मत के प्राप्त हुए। वस्तुतः वर्तमान तालिका के कुछ भागीय आयाम पारस्परिक रूप से कदापि विरोधाभासी नहीं हैं और तालिका में व्यक्त समस्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त

तालिका संख्या - (13)

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक गतिविधियों के संचालन का विवरण

क्र. सं.	संचालन का प्रकार	हाँ	नहीं	कुल प्रतिशत
1.	पिता द्वारा	50	50	100
2.	माता द्वारा	58	52	100
3.	स्वयं द्वारा	10	90	100
4.	दादा - दादी द्वारा	50	50	100
5.	पुजारी द्वारा	100	—	100

तालिका संख्या -(14)

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक क्रिया कलापों की अभिलक्षियों का विवरण

क्र. सं.	अभिलक्षि	हाँ	नहीं	कुलयोग
1.	जैन धार्मिक क्रिया कलापों का पालन करते हैं	98	2	100
2.	धर्म में आडम्बर आवश्यक है	—	100	100
3.	धर्म एवं विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं	100	—	100
4.	शुभ कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मुहूर्त दिखाना आवश्यक है	100	—	100
5.	दूसरे धर्म के व्यक्तियों से सामंजस्य उचित है	56	44	100
6.	प्राकृतिक आपदायें धर्म के माध्यम से कभी निराकृत की जा सकती हैं	91	9	100

के जनपद भिण्ड में जैन धार्मिक गतिविधियों का सम्पूर्ण क्रियान्वन परम्परात्मक शैली में हो रहा है और जहाँ कहीं भी न्यूनांश विचलन है वह मात्र आकस्मिक अपवाद स्वरूप है ।

(ब) जनपद भिण्ड में जैन जनसंख्या

वर्तमान शोध प्रबन्ध की अवधि में प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर जनपद भिण्ड की जैन जनसंख्या एकत्रित की गयी और इसका प्रदर्शन तालिका संख्या-15 में किया गया है, इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1981 से लेकर 1991 की अवधि में लगभग 6 हजार व्यक्तियों की वृद्धि जैन धार्मिक वर्ग में हुई है । एक अपरोक्ष सूचना के आधार पर यह भी प्रमाण मिला कि पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 1:1.6 है, जो यह निर्दिष्ट करता है कि जनपद भिण्ड में जैन सम्प्रदाय के अन्तर्गत महिला सदस्यों की अधिकता है । पुरुष एवं महिला सदस्यों का प्रमाणिकता के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए उसे वर्तमान तालिका में अंकित नहीं किया गया है ।

(स) सामाजिक घटनाक्रम

वर्तमान शोध प्रबन्ध में क्रम में सामाजिक घटनाक्रमों का उल्लेख इस अपेक्षा से किया जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के उन देदीप्तमान मानकों की व्याख्या सम्भव हो जो आदि काल में स्थापित किये गये थे । व्यक्ति एवं समाज की सम्यकता को मेकाइवर एवं पेज जैसे समाजशास्त्रीयों द्वारा स्थापित किया गया जो दर्शन में सामाजिकता का प्रसंग दो पक्ष में स्पष्ट किया गया है — व्यक्ति की मूल उत्पत्ति तथा सामाजिक संरचना में इसके उत्तरदायित्व । इनकी मिश्रित समीक्षा प्रस्तुत प्रसंग में इसलिये की जा रही है जिससे कि विषयगत धारणाओं का वास्तविक विमोचन हो सके । परस्पर सहयोग, समन्वय, सद्भाव और एकता समाज की अभ्युन्नति का अवलम्बन है । जैन धर्म समाज व्यवस्था आत्मानुशासन पर केन्द्रित है ।

जैन संस्कृति और उसकी व्यवस्था एक क्रांतिकारी दर्शन लिए हुए है । उत्तराध्यन

तालिका संख्या -(15)

जनपद भिण्ड में जैन समाज की जन संख्या का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जनसंख्या
1.	1981	36342
2.	1991	42001

स्रोत :- राष्ट्रीय सर्वेक्षण, भारत सरकार

में स्पष्ट कहा गया है कि — कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से शूद्र होता है जाति की कोई महिमा नहीं, महिमा केवल की । प्रत्येक व्यक्ति आत्मा सर्वोच्च विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है इसमें वर्ण, जाति, गोत्र का कोई बन्धन नहीं । जैन संस्कृति की यह कर्मणा व्यवस्था बहुत समय तक नहीं चल सकी । उत्तरकाल में यह वैदिक संस्कृति से प्रभावित होगेलगी और आठवीं शताब्दी के आते आते जैन धर्म ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को इसी आधार में स्वीकार कर लिया । यह व्यवस्था सामाजिक दृढ़ता बनाये रखने के लिए स्वीकार करली गई । इस प्रकार जैन धर्म में समाज व्यवस्था कर्मणा रहते हुए जन्मना की ओर झुकने लगी ।

जैन जातियों का निर्माण कब और कैसे हुआ इसका इतिहास मौन में है निर्माणकाल को लेकर विद्वानों के विचारों में अनुरूपता दिखाई नहीं देती है । इस सम्बन्ध में कुछ विद्वान, जातियों की स्थापना छठवीं शताब्दी में मानते हैं । जबकि अन्य विद्वान विक्रम की प्रथम शताब्दी में मानते हैं । और प्रथम शताब्दी से ही जाति निर्माण की प्रक्रिया को मानते हैं । इस सम्बन्ध में सिद्धांताचार्य पण्डित फूलचन्द शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ में शास्त्री जी ने अपने एक लेख "पोरवाट(परवार) अन्वय(में अपने विचार प्रस्तुत किये है कि दो हजार वर्ष पूर्व में मानव समाज अनेक भागों में विभक्त हो गया था । वर्तमान में जो अनेक उपजातियां दृष्टिगोचर होती हैं उनकी नींव बहुत पहले पड़ गई थी और उस समय जैन धर्म जो जाति प्रथा का विरोधी था वह इस दोष से अपने को नहीं बचा सका । इस सम्बन्ध में शीरीपुर(बेटवा) से प्राप्त आचार्य पट्टावली है, इसके कुछ अंश इस प्रकार है — " विक्रम सम्वत् 26 में कुटिल गुप्त क्षयो जाति के पमार विक्रमेश के नातीताने 52 धोलपुर में सहस्त्र परिवार पाये की जिन सेन ने खण्डेला में खण्डेलवाल पाये बहोरा में श्री होडाचार्य ने बघेरवाल पाये । श्री मानतुंग ने झाझड़ में झाझड़िया पाये । स्थूल भद्र ने ओसा में ओसवाल पाये । जैसलमेर में जैसवाल पाये । पुरपट्टन में पोरवाड़ पाये । हेमाचार्य ने पल्लीवाल पाये । इतीक्रम में महावीर कीर्ति के गुटके में एक पट्टावली है, जो नेमीचन्द ज्योतिषाचार्य द्वारा रचित "तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा नामक पुस्तक में प्रकाशित है ।"

इस पट्टावली में आचार्यों की जन्म तिथि, नाम जाति, गृहस्थ वर्ष, दीक्षा वर्ष, पट्ट वर्ष, सर्व वर्ष दिये हैं। जब शौरीपुर में प्राप्त पट्टावली और महावीर कीर्ति के गुटके में प्रकाशार्थ पट्टावली का मिलान होता है तो स्पष्ट होता है कि विक्रम की प्रथम शताब्दी से ही जाति निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया था।

उपजातियों के इतिहास के सम्बन्ध में शास्त्रों में उल्लेख नहीं है जाति निर्माण के सम्बन्ध में सबसे अधिक सप्रमाण कथन आदि पुराण में पाया जाता है, मगर उसमें उपजातियों का कहीं भी नाम नहीं है यथा -

भरते पंचमे काले नानासंघसमाकुलम्।
वीरस्य शासनं जातं विचित्राः कालशक्तयः ॥2॥
स्वर्गं गते विक्रमार्के भद्रबाहौ च योगिनि।
प्रजाः स्वच्छन्दचारिण्यो बभूवुः पापमोहिताः ॥3॥
यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां परमार्थविदामपि।
स्वापराध्यवसायत्वमाविरासीदतिक्रमम् ॥4॥
तदा सर्वोपकाराय जातिसंकर भीरुभिः।
महर्द्धिकैः परं चक्रे ग्रामाद्यभिधया कुलम् ॥5॥

— नीतिसार।

अर्थात पंचम काल में वीर भगवान का शासन (जैनधर्म) नाना संघों में विभाजित हो गया। काल की शक्ति ही कुछ विचित्र है विक्रमादित्य और भद्रबाहु के स्वर्ग चले जाने के बाद प्रजा एकदम स्वच्छन्द हो गई, और लोग पापमुग्ध हो गये। मुनिजन भी स्वपर का विवेक भूल गये और उनकी वृत्ति बिगड़ गई उस समय जाति संकरता के डरसे कुछ प्रभावक लोगों ने ग्रामादिक के नाम से जातियों की रचना कर डाली।

नीति शास्त्र के इस कथन से स्पष्ट होता है कि ग्रामादिक के नाम पर जातियों की रचना कर दी गई थी, इसलिए उन्हें अनादि या स्थाई नहीं माना जा सकता है। इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है। जैन समाज के लिये 84 जातियों के दृष्टान्त साहित्य में मिलते हैं, परन्तु व्यवहारिक रूप से इन समस्त 84 जातियों के

प्रचलन वर्तमान समय में नहीं देखे जा सके । इन 84 जातियों का विवरण-तालिका संख्या 16 में देखा जा सकता है । जनपद भिण्ड में सभी उपजातियों का समावेश तो देखने को नहीं मिलता है लेकिन कुछ प्रमुख जातियां जिनका जनपद भिण्ड में ही सबसे अधिक बाहुल्य है- भिण्ड भिण्ड के अलावा अन्य क्षेत्रों एवं प्रदेशों में इनका रूप कम देखने को मिलता है । उनका उल्लेख एवं विवरण दिया जा सकता है-

1. गोलश्रंगार (गोलसिंगारे)
2. खरोबा
3. लेवेचू
4. गोलालारे

गोलालारे और खरोबा की जातियों के सम्बन्ध में अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि पहले सिर्फ एक जाति "गोला लारे" थी और "खरोबा" उसका गोत्र थी । (अलीगंज के मन्दिर में मंत्र नं. 2 में गोलालारे खरोबा वंशसाहु उदेराज" ऐसा उल्लेख है यह लेख संवत 1684 का है तथा जसवन्त नगर के मंत्र नं. 5 से संवत 1691 में भी खरोबा गोत्रे ऐसा उल्लेख है, तथा मंत्र नं. 10 में गोलाराला खरोआ वंशे" संवत 1684 लिखा है, तथा इससे भी प्राचीन हम्मिकांट की प्रतिमाओं में मात्र गोला लारे जाति का उल्लेख है) इन सब प्रमाणों से प्रगट है कि गोलालारे जाति का खरोबा एक गोत्र है । इस जाति में खरोबा और मिठोवा भेद भी हैं । इस संदर्भ में ऐतिहासिक विवेचन यह है कि इक्ष्वाकुवंशी महाराजाधिराज भानु प्रताप जो इतिहास में भानुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है पूर्वी मालवा अमरावती में इनका राज्य शासन था । मालवा का ही एक अंग गोलाकुण्ड था इनके ही वंश में गुलाबचन्द थे । जो गोल कुण्ड में आकर परिजनों सहित रहने लगे, गोलाकुण्ड से जब भी बाहर जाते थे तो उन्हें गोलालार वाले (अर्थात गोलाकुण्ड के निकट रहने वाले) नामसे जाना जाता था । मालवा के समीप को लार कहा जाता है । अतः गोलकुण्ड के समीप बसने वाले गुलाबचन्द के वंशज "गोलालारे" कहलाये । इन्हीं के वंशज में ताराचन्द हुए जिन्होंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में वि० स० 791 में पावई नामक नगर बसाया और एक बड़ा जिनालय बनाकर प्रतिष्ठा कराई थी इनके दो पुत्र

तालिका संख्या - [16]

जैन समाज में जातियों का सामान्य वर्गीकरण

क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम
1.	खण्डेलवाल	15.	श्रीमाल	29.	खेरवाल
2.	टूटतवाल	16.	मेटतवाल	30.	पूकरवाल
3.	मगलवाल	17.	अग्रवाल	31.	ओसवाल
4.	जैसवाल	18.	डोसावाल	32.	करवाल
5.	रायकवाल	19.	अधीतवाल	33.	श्रीमाली
6.	जायसवाल	20.	नानावाल	34.	कारवाल
7.	गुरुवाल	21..	पल्लीवाल	35.	अठसमयपरवार
8.	पुरवार	22.	मूरीवार	36.	पद्मावतीपुरवाल
9.	सारठिया, पूरवार	23.	दशारापूरवार	37.	मालीपोरवार
10.	जांगरा पोरवाल	24.	हरसोर	38.	अनदोरा
11.	हरदोरा	25.	खवनोरा	39.	दसोरा
12.	सोहोरा	26.	घीतोरा	40.	नटेरा
13.	सेठेरा	27.	जलहरा	41.	लम्बूसरा
14.	मखवारा	28.	साधोरा	42.	नरसिंहपुरा

क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम
43.	गोलापूरब	57.	गोलालारे	71.	गोलसिंगारे
44.	बरैया	58.	तेरहिया	72.	नागरिया
45.	करहिया	59.	करनतिया	73.	गहपाताया
46.	बड़बड़	60.	नारायण	74.	दूतरे
47.	कठनेरे	61.	डेटू	75.	बताकमकोमटी
48.	अकना	62.	यवपड़ा	76.	जेहराना
49.	माड़ाहाड़ा	63	लाडू	77.	घनोरा
50.	कांथड़	64.	गंगरानी	78.	खडायत
51.	बजव	65.	घड़ी	79.	नीवा
52.	[illegible] धारक	66.	तहेलवा	80.	लमेचू
53.	हूमड़	67.	भटनागर	81.	कपोल
54.	गोढ़	68.	श्रीगोढ़	82.	श्री श्रीमाल
55.	चतुर्थ	69.	पंचम	83.	कजपुरी
56.	नागदह	70.	कजपुरी	84.	नागदह

खेस्साह और मिठ्ठूसाह हुए इन दोनों में किसी कारण को लेकर मत भेद हो गये थे और राज्य दोभागों में बँट गया — तत्पश्चात दोनो भाइयों ने पावई में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई । पावई वर्तमान में भिण्ड जिले में है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर पर जल व्यवस्था हेतु अपने - अपने क्षेत्र में दोनों भाइयों ने दो कुँये खुदवाये । खेस्साह के कुँए का पानी खारा निकला इस कारण उनकावंश खरोवा कहलाया । मिठ्ठूशाह ने जो कुँआ खुदवाया उसका पानी मीठा निकला , इस कारण उनका वंश मिठोआ कहलाया इस प्रकार गोला लारे समाज के अंग के रूप में जाने जाते थे । एक समय ऐसी स्थिति आई कि खरोवा गोत्र रूप में जाने जाना लगा । वि० सं० 1686 में यह गोला-लारे समाज के अंगग होकर एक स्वाधीन जाति बन गया । दोनों के गोत्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । रहन - सहन एकता है फिर भी आपस में बेटी व्यवहार नहीं करते हैं ।

लेवेचु लोग राजपुरोहित पटिया लोगों की बहियों से तथा परम्परा के पुराने लोगों के कथन से यह विदित है कि यदुवंशी जैन क्षत्रिय हैं और लम्बकाँचन देशु राजा लम्बकणे या लोमकरण राजा ने बसाया । उसके रहनेवाले लम्बकंचुक का अपभ्रंश लेवेचु कहलाये । लवेचु जाति वंशावली (श्रीयुत पं. उल्फातिराय जी संघी अटेर भिण्ड निवासी) से प्राप्त — से पता चलता है श्री नेमिनाथ स्वामी के बाड़े में नेमिनाथ व श्री कृष्ण वंश में राजा लोमकरण भये तिन से लम्बकाचंन देश प्रख्यात भया इसी से लम्बेचु वंश कहाये तिनके नाम प्रथम सोनी , बजाज रपरिया चँदवरिया राउत वकेवरिया मुजवार , सोहाने चौसठधारी , बरोलिहा , पचोलये , कुअरभरये , ये द्वादश गोत्र सन्तान प्रति सन्तान राजा लोमकरण के वंशधर द्वादस पुत्रों से भये । - गोलश्रगार , कोलसिंघाड़े — जनपद भिण्ड में जैन धर्म मानने वाली इस उपजाति की संख्या सबसे अधिक है यद्यपि गोलश्रगार जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ठोस साहित्य उपलब्ध नहीं है । लेकिन इस जाति के संदर्भ में भिण्ड में बहुत सीकिवदन्तियाँ हैं , और इस जाति के अनुयायीओं के विचार भी इन

किंवदन्तियों से मिलते हैं । किंवदन्ती के अनुसार जनपद सिध्द से 20 कि० मी० दूर बरासो ग्राम में भगवान महावीर का समोशरण आया था वहाँ एक धर्म सभा का आयोजन किया गया । जिसमें समाज के सभी वर्गों ने चाहे वह किसी भाग या जाति के ही समान रूप से भाग लिया — धर्मप्रवाह के वशी भूत होकर भगवान्के आदेश से सभा में आये धर्मावलम्बीयों ने जैन धर्म अंगीकार किया । तथा इस पंथका अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प लिया । इन्हीं धर्मावलम्बियों को गोलालारे के नाम से जाना जाताहै । इनके गोत्रों से पता चलता है कि इस जाति में बहुत सी जातियों के गोत्रों का मिश्रण है । इन प्रमुख जातियों के अतिरिक्त जनपद सिध्द में अन्य जैन उपजातियाँ जैसे श्वेताम्बर , बायसवाल , अग्रवाल , पोरवाल , परवार आदि प्रतिनिधित्व करती हैं । जिनकी संख्या बहुत कम है , इन जातियों के संबंध में कहा जा सकता है कि जीवको पार्जन या व्यावसायिक या नौकरी जैसे कारणों के कारण आवासीय में निवास करने लगे । जैन समाज में प्रचलित परम्परागत जातियों के सापेक्ष वर्तमान सर्वेक्षण में जो जातियाँ प्राप्त हुई हैं उनका वर्गीकरण तालिका संख्या-17 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में संकलित समस्त उत्तरदाताओं में सर्वाधिक उत्तरदाता 59 प्रतिशत गोल-सिंगाड़े वर्ग में प्राप्त हुए हैं और लेबिल बरोवा गोलालारे वर्ग में इनका प्रतिशत क्रमशः 20 व 13.5 है जबकि श्वेताम्बर तथा परवार समाज में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 1: 2 है । इस विश्लेषण का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद सिध्द में जैनजातियों के अनेक वर्गों के मध्य आनुपातिक विकेन्द्रीकरण है । इसका तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक प्रवृत्ति में केन्द्रीयता होने के कारण सकल समुदायके व्यक्तियों का संक्रमतः सिध्द क्षेत्र से पलायन होता गया । जाति एवं उपजातीय प्रणाली के प्रसंग में समस्त उत्तरदाताओं के मत में एक समान सहमती है । जिसकी तुलना वर्तमान सर्वेक्षण की अवधि में दैनिक डायरी में अंकित की गयी और जो प्रस्तुत प्रसंग में ठोस पृष्टिका आधार बनाया जा रहा है इस तालिका की उपलब्धियों में एक तथ्य प्रकाश में आता है , वह इस प्रकार है कि बरोवा, गोलालारे तथा लेबिल वर्ग

तालिका संख्या - 17

उत्तरदाताओं की जाति का वर्गीकरण

क्र. सं.	जाति	प्रतिशत
1.	गोलसिंघाड़े	59
2.	लेंघु	20
3.	धरीता	13
4.	गोलालारे	5
5.	श्वेताम्बर	1
6.	परवार समाज	2
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

के अतिरिक्त अन्य जैन जातियों के व्यक्तियों की स्थानीय उपस्थिति के कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हुए हैं । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि जन्मद जिला में निवास करने वाली जैन जातियों के व्यक्तिगत धार्मिक स्थान पूर्णतः अलग तौर के रूप में विद्यमान हैं । इस संदर्भ में यह भी वर्णन किया जा सकता है कि जातियों के विभेदीकरण के बावजूद भी समस्त सदस्यों में पारस्परिक सौहार्दता स्थापित है ।

उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनकी शैक्षणिक स्तरों का वर्गीकरण तालिका संख्या 18 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अशिक्षित वर्ग में 10 प्रतिशत उत्तरदाता हैं तथा इसके सापेक्ष प्राथमिक एवं हाईस्कूल स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओं का समान रूप से 18 प्रतिशत प्राप्त हुआ है । अन्य प्रकार के शिक्षा वर्गीकरणों में जैन समाज के सदस्यों का प्रतिशत यह निर्दिष्ट करता है कि जिला जन्मद में साक्षरता प्रतिशत सम्भवतः विकसित हो रहा है । शिक्षा सामाजिकअभिकरण के रूप में विकास का माध्यम है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि इसके उद्देश्य के बारे में जन्मद जिला का जैन समुदाय भलीभांति अवगत है । साधारण सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि व्यवसायिक क्षेत्र में प्रखरता के लिये प्रारम्भिक शिक्षा का योगदान आवश्यक है और जो तथ्य प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की अवधि में प्राप्त हुये हैं उनसे इस आशय की सशक्तिकरण पुष्टि होती है । प्रत्येक समाज व्यवस्था की गतिविधियों का सामान्य संचालन विचारों के आदान - प्रदान से होता है और इसका परम आवश्यक यंत्र भाषा है । कदाचित प्राचीनतम समाज व्यवस्था में जो भी अवलम्बन रहे हों उनकी सशक्तता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है परन्तु वर्तमान समाज में व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रमुख केन्द्रण भाषा द्वारा होता है । इस आशय की प्राप्त सूचनाओं का विवरण तालिका की संख्या 19 में प्रस्तुत किया गया है ।इस तालिकाका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि हिन्दी वर्ग में 78 प्रतिशत , अंग्रेजी वर्ग में 10 प्रतिशत , क्षेत्रीय

तालिका संख्या - [18]

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता का वर्गीकरण

क्र. सं.	शैक्षणिक स्तर	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	10
2.	प्राथमिक	18
3.	जूनियर हाईस्कूल	7
4.	हाई स्कूल	11
5.	इण्टरमीडियट	9
6.	इंजीनियरिंग	6
7.	चिकित्सक	4
8.	स्नातक	18
9.	परास्नातक	12
10.	अन्य प्रशिक्षण	05
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या- (19)

उत्तरदाताओं के परिवार में भाषा के प्रचलन का वर्गीकरण

क्र. सं.	भाषा	प्रतिशत
1.	हिन्दी भाषा	78
2.	अंग्रेजी भाषा	10
3.	क्षेत्रीय भाषा	10
4.	उर्दू भाषा	2
	कुलयोग :—	100 प्रतिशत

भाषा वर्ग में 1प्रतिशत तथा उर्दू भाषा वर्ग में 2 प्रतिशत उत्तरदाता संकलित किये गये हैं कि- इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि आवागमन के साधनों में विकास होने के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रसार हुआ होगा तथा अन्य भाषायी वर्ग सैद्धान्तिक रूप से स्थानीय जनभाषा के लिये परम्परात्मक एवं क्षेत्रीय देन है । अध्य भारत का सम्पूर्ण क्षेत्र हिन्दी भाषी होने के कारण एक समान दिखाई देता है, लेकिन इसमें अत्याधिक सूक्ष्मात्मक दृष्टि से देखा जाये तो कुछ विशेष प्रकार की क्षेत्रीय भाषायें भी देखी जा सकती हैं । इसका प्रमाण जनपद छिन्द के जैन समाज में भी देखा गया क्योंकि इन समाजों के व्यक्ति बुन्देलखण्डी आदि जैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं । वस्तुतः जनपद छिन्द के जैन समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं के प्रचलन वर्तमान शोध सर्वेक्षण की अवधि में देखे गये तथा यह तथ्य उनकी बौद्धिक अथवा व्यवहारिक प्रवृत्ति की क्षमता की पुष्टि कर सकते हैं ।

समाज वैज्ञानिक साहित्य में विद्यमान अनेक प्रकार की सूचनाओं पर यह निर्देशित किया गया कि सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से सत्ता का स्वरूप निर्धारित किया जायेगा और इसकी अनिवार्यता के बारे में भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के किसी भी समाज में कोई अपवाद नहीं होगा । सत्ता का निर्धारण परम्परा के आधार पर किया जाता है लेकिन आधुनिक समाज व्यवस्था में इसका निर्धारण जनसंख्या घनत्व एवं जनमत के आधार पर हो सकता है । इस शिक्षा में विचारों का प्रवाह किसी भी दिशात्मक व्यक्त किया जा सकता लेकिन इसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि वर्तमान सर्वेक्षण में 100 प्रतिशत उत्तरदाता पितृसत्तात्मक परिवारों के हैं और इस आशय के तथ्यों का प्रदर्शन तालिका संख्या 20 में प्रदर्शित किया गया है । यद्यपि वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था में मातृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन आज भी है लेकिन वह सांस्कृतिक परिधाटी में संलग्नित योजना है । जनपद छिन्द के जैन समाजों में सत्ता का स्वरूप एवं पारिवारिक संरचना हिन्दू समाज व्यवस्था के अनुसार ही अवलोकित की गई है क्यों कि तालिका संख्या 21 में वर्णित तथ्य स्पष्ट करते हैं कि इस भौगोलिक क्षेत्र में 31 प्रतिशत संयुक्त 18 प्रतिशत केन्द्रीय तथा 1प्रतिशत विस्तृत प्रकार के परिवारों का विद्यमान होना स्वयं में एक ठोस प्रभाव है इस

तालिका संख्या - 120

उत्तरदाताओं की पारिवारिक सत्ता का वर्गीकरण

क्र. सं.	सत्ता का स्वरूप	प्रतिशत
1.	पितृसत्तात्मक	100
2.	मातृसत्तात्मक	———
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - §21§

उत्तरदाताओं के परिवारिक स्वरूप का वर्गीकरण

क्र.सं.	परिवार का स्वरूप	प्रतिशत
1.	संयुक्त	81
2.	केन्द्रीय	18
3.	विस्तृत	01
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

अभिप्रायः का कि जैन समाज तथा हिन्दु समाज सांस्कृतिक विरासत में समानुपातिक हैं इस वर्ग में प्राप्त । प्रतिशत विस्तृत परिवारों वाले प्रतिनिधि पूर्णतः अकेले जीवन यापन कर रहे हैं । इनके परिवार में कोई अन्य सदस्य जीवित नहीं है । साधारण सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि इस वर्ग के व्यक्ति व्यवसायों में कार्यरत हैं तथा अपनी आमदनी का सर्वाधिक प्रतिशत धार्मिक कार्यों पर खर्च करते हैं । वर्तमान में उल्लेख किया जा सकता है कि अनेक सदस्यों की संख्या के कारण पारिवारिक संरचना का स्वरूप तथा आर्थिक अधिकारों का दायित्व कम बढ़ा हो सकता है तथा इसका समाज शास्त्रीय मूल्यांकन करने के अभिप्राय से सामान्य विवरण प्राप्त किया गया । जिसका उल्लेख तालिका सं. 22 में किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दो से पांच सदस्यों के वर्ग में ३.8 प्रतिशत, पांच से दस सदस्यों के वर्ग में ५। प्रतिशत प्राप्त हुआ है यदि इन दोनों वर्गों को मिश्रित कर दिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि जनपद झिन्झु के जैन परिवारों में सदस्य संख्या 2 - 10 में सर्वाधिक प्रतिशत है । इसके समकक्ष न्यूनतम दो सदस्यों के वर्ग में तथा दस सदस्यों से अधिक के वर्ग में जो प्रतिशत प्राप्त हुआ है वह 2:। है। इस प्रकार गुणात्मक व्याख्या के प्रसंग में जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष व्यक्त किया जा सकता है वह इस प्रकार है कि पारिवारिक सदस्यों आधार पर संरचनात्मक सापेक्षिक वस्तुनिष्ठता हिन्दु समाज व्यवस्था से मिलती जुलती है और पुनः यह विचार व्यक्त किया जा सकता है कि जनपद झिन्झु के जैनों की पारिवारिक व्यवस्था तथा हिन्दु पारिवारिक व्यवस्था में स्पष्ट संरचनात्मक समन्वय स्थापित है । सामाजिक पक्ष में सत्ता निर्धारण एक अभिप्राय था तो दूसरे पक्ष में इसकी व्यवहारिकता को मूल्यांकित किया जाना अत्याधिक आवश्यक है । इसका समाजशास्त्रीय मूल्यांकन तालिका संख्या 23 में प्रदर्शित किया गया है । इस तालिका के तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में परिवार प्रमुख पिता को माना गया है । ।। प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यवहारिक कार्यों के संचालन के लिए माता को परिवार का प्रमुख माना है । परिवर्ग

तालिका संख्या - (22)

उत्तरदाताओं की पारिवारिक संरचना का वर्गीकरण

क्र. सं.	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1.	2 सदस्य	14
2.	2 से 5 सदस्य	38
3.	5 से 10 सदस्य	41
4.	10 से अधिक	7
	कुल योग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या §23§

उत्तरदाताओं के परिवार प्रमुख का वर्गीकरण

क्र. सं.	प्रमुख	प्रतिशत
1.	पिता	59
2.	माता	11
3.	पति	20
4.	दादा	06
5.	दादी	02
6.	अन्य कोई सदस्य	02
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

में यह तथ्य 20 प्रतिशत प्राप्त हुआ है और दादा प्रमुख वर्ग में 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी है जबकि दादी एवं अन्य किसी सदस्य की प्रमुखता के प्रसंग में समान्य राशि में 2 प्रतिशत प्राप्त हुए है। इन तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद छिन्द के जैन समाज में व्यवहारिक प्रचलन की दृष्टि से परिवार प्रमुखता उत्तरदायित्व अनेक प्रकार के व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान नीति निर्धारक तत्व व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को निश्चित करने में सक्रीय योगदान करते हैं। जनपद छिन्द में जैन समाज के सदस्यों के आत्मनिर्भरता का प्रसंग तालिका संख्या 24 में प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के अनुसार 63 प्रतिशत परिवारों में सदस्यों की आत्मनिर्भरता है जबकि 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों में आश्रित सदस्यों की संख्या अधिक है। वस्तुतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। कि समाज आर्थिक परिवेक्ष्य में जनपद छिन्द के जैन परिवारों की स्थिति सन्तोषजनक है। इसका तथ्योपरान्तमूल्यांकन विधिवत रूप से किया गया और शिक्षा, व्यवसाय एवं मासिक आय वर्ग के प्रसंग में प्राप्त सूचनाओं का संकलन तालिका संख्या 25 में किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित, 78 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसायिक दृष्टि से सेवारत तथा 83 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुये हैं जिनके परिवारों के सदस्यों की मासिक आय 2000 हजार रूपये से अधिक है।

समाज व्यवस्था में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप से कुछ विशेष प्रकार के अवयवों में पूर्ण समन्वय स्थापित होता है। इस प्रसंग में विवाह व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है वर्तमान परिवेक्षण में उत्तरदाताओं की प्राप्त वैवाहिक स्तर का विवरण तालिका संख्या 26 में प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 13 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित, 71 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित, 8 प्रतिशत उत्तरदाता विधुर एवं 8 प्रतिशत विधवा वर्ग में हैं। वस्तुतः तलाकशुदा वर्ग में कोई उत्तरदाता प्राप्त नहीं हुआ है।

तालिका संख्या - 24

उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की स्थिति का वर्गीकरण

क्र. सं.	स्थिति	प्रतिशत
1.	आत्मनिर्भर	63
2.	आश्रित	37
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - 125

उत्तरदाताओं की सामान्य सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण

क्र. सं.	स्थिति		प्रतिशत	कुलप्रतिशत
1.	शिक्षा	शिक्षित	60	100
		अशिक्षित	40	
2.	व्यवसाय	सेवारत	78	100
		असेवारत	22	
3.	मासिकआय वर्ग	500 से कम	2	100
		500 से 1000 तक	5	
		1000 से 2000 तक	10	
		2000 से अधिक	83	

[illegible] तालिका संख्या - 126

उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्तर का वर्गीकरण

क्र. सं.	वैवाहिक स्तर	प्रतिशत
1.	अविवाहित	13
2.	विवाहित	71
3.	विधवा	8
4.	विधुर	8
5.	तलाकशुदा	——
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

जिसका यह निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः जैन समाज में तलाकप्रथा विद्यमान नहीं है अथवा इसके प्रतिशत की न्यूनता है । सामान्य सर्वेक्षण की अवधि में इस प्रकार की सूचनाएं प्रकाश में आयी कि अधिकांश उत्तरदाताओं के मतानुसार विवाह एक संस्कार गत प्रक्रिया है और इसका सफल संचालन उन्हीं पारिवारिक परिस्थितियों में संभव है जबकि धार्मिक संचालित व्यवस्था का उचित सम्मान किया जाय । जैन समाज में वैवाहिक प्रसंग में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है और इसमें गोत्र प्रमुख अवलम्बन है जो सम्पूर्ण घटनाक्रम का निर्धारण करता है । समीपवर्ती प्रसंग में उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया इसमें सर्वेक्षित सम्पूर्ण उत्तरदाताओं पारिवारिक सदस्यों की स्थिति का विमाचन किया गया , जिसका विवरण तालिका संख्या- 27 में अंकित किया गया है । वर्तमान प्रसंग में 18 प्रतिशत अविवाहित 53 प्रतिशत विवाहित 17 प्रतिशत विधवा 12 प्रतिशत विधुर सदस्यों का वर्ग प्राप्त हुआ है तथा तलाक शुधा वर्ग में सम्पूर्ण उत्तरदाताओं के परिवार में कोई भी सदस्य प्राप्त नहीं हुआ , जो पुनः पूर्ववर्ती विचार की पुष्टि करता है जनपद भिण्ड के जैन समाज में तलाक प्रथा संज्ञाहीन है । वर्तमान प्रसंग में उत्तरदाताओं को मनोवैज्ञानिकविश्राम देने के अभिप्राय से पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभिरुचि का विकल्प रक्खा गया , तथा इसका विवरण तालिका संख्या - 28 में प्रदर्शित किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से यह निर्देशित होता है कि 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अभिरुचि पारिवारिक सदस्यों के प्रति है , 10 प्रतिशत उत्तरदाता असमान्य वर्ग में है और 18 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ न कहने वाले वर्ग में दृष्टिगत होती हैं । प्रस्तुत प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि यदि असमान्य एवं कुछ न कहने वाले वर्ग को मिश्रित कर दिया जाये तो संभवता यह युग्मक उन प्रतिनिधियों का होगा जिनके परिवारों में आधुनिकीकरण की प्रतिस्पर्धा के कारण विरोधी भाषी वक्तव्य दिये जाते हों । प्रस्तुत पक्ष में यह निष्कर्ष समायोजित किया जा सकता है कि भिण्ड जनपद के जैन परिवारों में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव आवश्यक रूप से हुआ है । तालिका संख्या- 29 में उत्तरदाताओं के परिवारों में प्रचलित भोजन पद्धति का विवरण प्रस्तुत

तालिका संख्या - §27§

उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

क्रम सं.	वैवाहिक स्थिति	प्रतिशत
1.	अविवाहित	18
2.	विवाहित	53
3.	विधवा	17
4.	विधुर	12
5.	तलाकशुदा	——
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - §28§

उत्तरदाताओं की पारिवारिक मूल्यों के प्रति अभिरुचि का वर्गीकरण

क्र. सं.	अभिरुचि	प्रतिशत
1.	सामान्य	72
2.	असामान्य	10
3.	कुछ नहीं कह सकते	18
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

सारिणी संख्या - (29)

उत्तरदाताओं के परिवारों में भोजन स्वरूप का वर्गीकरण

क्र. सं.	भोजन स्वरूप	प्रतिशत
1.	शाकाहारी	100
2.	मांसाहारी	———
3.	मिश्रित	———
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

किया गया है । इसतालिका में व्यक्त सूचनायें स्पष्टकरती है कि उत्तरदाता शाकाहारी वर्ग के हैं । सामान्य सर्वेक्षण की अवधि में इस प्रवृत्ति के बारे में अपरोक्ष सूचना के आधार पर इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन के स्वरूपों की चर्चा देखने को मिली है । लेकिन सर्वेक्षण कर्ता के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है । तालिका संख्या 30 में उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियों को अनेक विकल्पों में मूल्यांकित करते हुये उल्लेख किया गया है कि व्यवसायिक वर्ग में सर्वाधिक अभिरुचि है । यह वस्तुतः उत्तरदाता को सामान्य अवसर प्रदत्त किया गया था कि वह सहजता से पारिवारिक सदस्यों के प्रसंगों की सूचनायें प्रदत्त करें । आवासीय सुविधा का विवरण तालिका संख्या 31 में प्रदत्त किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास निजी आवासीय सुविधा है और 32 प्रतिशत उत्तरदाता किराए के मकान में रहते हैं । इसके सम्बन्ध तालिका संख्या 32 में प्रदर्शित तथ्य स्पष्ट करते हैं कि 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास पक्के निवास है तथा 8 प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे मकानों में निवास करते हैं । सामाजिक प्रसंग में वेशभूषा का उल्लेखनीय महत्व होता है और इस प्रसंग में उत्तरदाताओं के अभिमत में यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके पारिवारिक सदस्य किस प्रकार के वस्त्रों का अत्याधिक पसन्द करते हैं । इस संदर्भ की सूचना तालिका संख्या 33 में प्रदर्शित की गयी है । सर्वेक्षण के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई उसका क्रम इस प्रकार है सूती 30 प्रतिशत, रेशम 20 प्रतिशत, टेरीकोट 20 प्रतिशत और मिश्रित प्रकार के वर्ग में 30 प्रतिशत उपलब्धता रही है । इसका तात्पर्य यह है कि जन्मद जिलों में निवास करने वाले जैन समाज के व्यक्तियों में मिश्रित प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन है ।

सामाजिक व्यवस्था में प्रथा का सर्वाधिक योगदान होता है और इसका समाज शास्त्रीय मूल्यांकन विवाह पद्धति के प्रसंग में किया गया, जिसकी सूचना तालिका संख्या 34 में प्रदत्त की गयी है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक विवाह प्रणाली को स्वीकृत किया है, जो कि सामाजिक सूचक इस अभिप्राय का है कि जैन धर्म के अनुसार मात्र एक विवाह

तालिका संख्या - (30)

उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियाँ

क्र. सं.	पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियाँ	प्रतिशत
1.	शिक्षा	14
2.	व्यवसाय	63
3.	धार्मिक	13
4.	सामाजिक	8
5.	मिश्रित	2
6.	अन्य कोई	———
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (31)

उत्तरदाताओं के परिवार में आवासीय सुविधा का वर्गीकरण

क्रम सं.	आवासीय स्थिति स्वरूप	प्रतिशत
1.	निजी मकान	68
2.	किराये का मकान	32
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - §32§

उत्तरदाताओं की आवासीय सुविधाओं के प्रकार का वर्गीकरण

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार	प्रतिशत
1.	कच्चा आवास	8
2.	पक्का आवास	92
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - §33§

उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक सदस्यों की वस्त्र अभिरुचि का विवरण

क्र. सं.	अभिरुचि	प्रतिशत
1.	सूती	30
2.	रेशम	20
3.	टैरीकाट	20
4.	मिश्रित	30
5.	अन्य कोई	—
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (अ)

उत्तरदाताओं के परिवार में विवाह पद्धति का विवरण

क्रम सं.	विवाह का प्रकार	प्रतिशत
1.	एक विवाह	100
2.	बहु पत्नि प्रथा	———
3.	बहु पति प्रथा	———
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

ही वेध है । इस प्रसंग में प्रथा का मूल्यांकन पुन/ किया गया और दहेज प्रथा के प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या 35 में प्रदर्शित किया गया । तालिका में प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक मत व्यक्त किया है 16 प्रतिशत उत्तरदाताओंने नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया और इसके समक्ष 2 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुये हैं जिन्होंने किसी पक्ष के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने में असमर्थता प्रकट की है । प्रस्तुत पक्ष में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुतः विवाह के समय किये जाने वाले धार्मिक संस्कारों के अन्तर्गत कुछ राशि दान के रूप में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, और यदि यह दहेज है तो जनपद झिन्झु को जैन समुदाय अपवाद नहीं है, यह बात अलग है कि वर्तमान समय में दिये जाने वाले आर्थिक दानक ा स्वरूप इतना विकसित हो गया है कि यह समाज के लिए अत्याधिकव्यापक है । प्रत्येक प्रथा का संचालन निश्चित मानक के अन्तर्गत होता रहता है और इस ा संक्षिप्त सार तालिका संख्या 36 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 62 प्रतिशत उत्तरदाता गोत्र के अन्तर्गत, 8 प्रतिशत उत्तरदाता गोत्र के बाहर और 30 प्रतिशत उत्तरदाता मिश्रित प्रक्रिया द्वारा वैवाहिक प्रक्रिया को निर्धारण करते है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि गोत्र के स्वतन्त्र वैवाहिक निर्धारण करने वाले उत्तरदाता संभवतः आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप सैद्धान्तिक मान्यता से अलग हो । प्रत्येक समाज व्यवस्था में गोत्र की अभिव्यक्ति किसी विशेष प्रकार के आधार पर की जाती है और इस परिपेक्ष्य मे प्राप्त सूचनाओं का विवरण तालिका संख्या 37 में दिया गया है ।इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार गोत्रका प्रचलन देवी - देवता के नाम के आधार पर है, जबकि इसके सापेक्ष इस अभिप्राय के लिए 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वनस्पतिजन्य एवं प्राकृतिक संरचना पर गोत्र प्रचलन की स्वीकृति दी है । वर्तमान तालिका की कुल उपलब्धियों का अर्थ यह है कि जनपद झिन्झु के जैन समाज में स्पष्ट गोत्र प्रथा का प्रचलन विद्यमान है । तालिका संख्या- 38 में पर्दा प्रथा का प्रचलन दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट

तालिका संख्या - (35)

उत्तरदाताओं के आधार पर दहेज प्रथा का विवरण

क्रम सं.	मत	प्रतिशत
1.	हाँ	82
2.	नहीं	16
3.	कुछ नहीं कह सकते	2
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - §36§

उत्तरदाताओं के आधार विवाह का निर्धारण गोत्र के आधार

क्रम सं.	मत	प्रतिशत
1.	गोत्र के अन्तर्गत	62
2.	गोत्र के अन्यत्र	8
3.	मिश्रित प्रक्रिया	30
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (37)

उत्तरदाताओं के मतानुसार गोत्र प्रचलन के आधारों का विवरण

क्रम सं.	गोत्र प्रचलन का आधार	प्रतिशत
1.	देवी-देवताओं के नाम पर आधारित	91
2.	वनसम्पदा/प्राकृतिक संरचना पर आधारित	9
3.	अन्य कोई प्रचलन	------
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (39)

उत्तरदाताओं के मतानुसार पर्दा प्रथा का विवरण

क्रम सं.	पर्दा प्रथा	प्रतिशत
1.	हाँ	51
2.	नहीं	49
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

होता है कि पर्दा प्रथा के पक्ष एवं विपक्ष में समानुपातिक प्रवृत्ति है । समाज शास्त्रीय प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि संभवता इस प्रथा पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के कारण किसी सीमा तक प्रभाव पड़ा है । परम्परागत मन्त्रों एवं संस्कारों की उपयोगिता के प्रसंग में विश्वास का दृष्टिकोण तालिका संख्या 39 में अंकित किया गया है । इस संदर्भ में परीक्षित विकल्प के प्रति 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है, जबकि इसके सापेक्ष 9 प्रतिशत उत्तरदाता असहमति व्यक्त करते है । यह पुनः निर्दिष्ट करता है कि मन्त्रों एवं संस्कारों की अवधारणाओं में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के कारण परिवर्तन आया है । इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और इस तालिका सं०40 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत उत्तरदाताओं मत में विवाह एक सामाजिक बन्धन एवं संस्कार है तथा 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार व्यवहारिक जीवन में विवाह से कोई कठिनाई नहीं आती है, 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों की स्वीकृति दी है और शत प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार वंश चलने के लिए कम से कम एक पुत्र की आवश्यकता को स्वीकृत किया गया है, जन्मपत्री के मिलान के प्रसंग में 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी है, और इसके समकक्ष विवाह के समय 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह के समय आडम्बरों के प्रचलन को उचित बताया है जबकि 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असहमति प्रकट की है । प्रस्तुत वर्ग में प्राप्त समस्त सूचनाओं का निरूपण करने पर यह स्पष्ट होता है कि शैक्षान्तिक आधारों की उपलब्धता के बावजूद भी व्यवहारिक परिपेक्ष्य में अनेक प्रकार के समन्वय जनपद भिण्ड के जैन समाज में सम-सामायिक रूप से स्थापित किये जा रहे है जो परोक्ष तथा अपरोक्ष अर्थ में यह संस्तुति करने में बाध्य करते है कि सामाजिक शक्तियों का प्रादुर्भाव इस क्षेत्र में हो चुका है जो समाज वैज्ञानिकों के लिए यह एक ठोस आधार है कि वह एकमत होकर इनका विश्लेषण करें ।

तालिका संख्या - (39)

उत्तरदाताओं के मतानुसार विकारों एवं मंत्रों की उपयोगिता में विश्वास का विवरण

क्रम सं.	मत	प्रतिशत
1.	सहमत	93
2.	असहमत	7
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - [40]

उत्तरदाताओं की सामान्य अभिरुचियों का वर्गीकरण

क्रमसं.	अभिरुचि	विचार		कुलयोग प्रतिशत
		हाँ	नहीं	
1.	विवाह एक सामाजिक बंधन है	100	—	100
2.	विवाह एक धार्मिक संस्कार है	100	—	100
3.	व्यवहारिक जीवन में विवाह से कोई कठिनाई नहीं होती	95	5	100
4.	परिवार नियोजन के प्रसंग में रुचि	54	46	100
5.	वंश चलाने के लिये एक पुत्र आवश्यक है	100	—	100
6.	जन्म पत्रिका मिलान उपयोगी है	73	27	100
7.	विवाह के समय अनेक आडम्बरों का प्रचलन उचित है	12	88	100

(ङ) समीक्षा

समाज वैज्ञानिक दर्शन में अध्ययन विशालता के और इसका सीमांकन कदापि संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि विचारों के क्रम के एवं विश्लेषण के प्रवाह को स्पष्ट योजना के अन्तर्गतसंमेकित किया जाय। इसलिए वर्तमान अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियों को समाजशास्त्रीय प्रसंग में परखने की आवश्यकता है। सामाजिक व्यवस्था का शीर्षक हिन्दु धर्म आचार संहिता का निर्यायक है जबकि इसके अपेक्षा जाति, परिवार, वंश, विवाह, गोत्र, प्रभाव आचार संहिता के आवश्यक मानक है। इस इन अभीष्ट लक्ष्यों के प्रसंग में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं वह समाजवैज्ञानिक प्रसंग में सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय है। जनपद झिन्झु के जैन समाज में सैद्धान्तिक मान्यता के अन्तर्गत धार्मिक विचार धाराओं का प्रचलन है जिसकी स्वीकृति परीक्षण किए गये अनेक विकल्पों में उत्तरदाताओं ने दी है। इस प्रसंग में व्यवहारिक परिवर्तन का स्वरूप प्राप्त हुआ है वह कदाचित वर्तमान समाज वैज्ञानिको के लिए पूर्णतः नवीन है। वर्तमान अध्याय के प्रसंग में जाति, परिवार, विवाह तथा अन्य अनेक समाजीय प्रसंगों में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक जो समीकरण प्राप्त हुए है उन्हें वर्तमान शोध प्रबन्ध की वस्तुनिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक रूप से संदर्भित करना पड़ा। यह विदित है कि एक प्रक्रियादि से लेकर अबतक अनेक स्थानों से निकलती है और इस व्यवस्था में वह विशेष उल्लेख के होतो हैं जहाँ पर व्यवस्था का पड़ाव स्थिकर प्रसंगों में हो। इस मनोभावना के अन्तर्गत वर्तमान शोध अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियों का आंकलन करने पर समाज शास्त्रीय उपयोगिता का यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जनपद झिन्झु के जैन समाज में व्यवस्थित सैद्धान्तिक अवधारणाओं का प्रचलन एक विशेष सीमा तक ही है, इसके सापेक्ष अनेक कार्यों में परिवर्तनीय स्थितियों के लिए सामाजिक शक्तियाँ उत्तरदायी हैं। तुलनात्मक समीक्षा की दृष्टि से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जनपद झिन्झु के जैन समाज में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक मान्यताओं का समन्वय एक ऐसी स्थिति में है जिसे कदाचित किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठतम

सामाजिक तदन्य इस अवधारणा के हैं कि धार्मिक क्रिया कलापों के संचालन को यदि बुद्धि एवं विवेक के आधार पर संयोजित नहीं किया जाता है तो इससे सर्वाधिक खतरा सांस्कृतिक अस्मिता को है और जो पूर्णतः सामाजिक अवधारणा के अन्तर्गत धर्म, जाति, परिवार, वंश, विवाह, गोत्र, प्रथाओं के विकल्प में विद्यमान है तथा जनपद भिण्ड का जैन समाज इसका अपवाद नहीं है। समाज वैज्ञानिक विवेचना की संतुष्टि किसी एक स्तर पर करना अत्यधिक आवश्यक है इसलिये प्रस्तुत अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियों को क्रमशः में व्यक्त करते हुये यह अपेक्षा की जा सकती है कि सामाजिक विचारधारा के क्रम में शत प्रतिशत रूप से यह सैद्धि अपनी योगदान करने में सक्षम होंगी।

———xxx———

चतुर्थ अध्याय

सांस्कृतिक व्यवस्था

(अ) जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

(ब) समीक्षा

अध्याय - 4

सांस्कृतिक व्यवस्था

(अ) जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

(ब) समीक्षा

§ 3§ जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

वर्तमान अध्याय में मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर में निवास करने वाले जैन समाज की मूलमान्यताएँ एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश इस अभिप्राय से किया जारहा है कि संकेतात्मक शैली में इन अंकित अवधारणाओं की उपादेयता को मूल्यांकित किया जा सके । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारानुसार प्राप्त विवरण अंकित है :- साहित्य में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जैन धर्म की मूलमान्यतायें निम्न प्रकार व्यक्त की जा सकती हैं :-

1. सार्वभौमिक सत्य के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह लोक अनादि है तथा अचेतन एवं चेतन वर्ग में विभिन्न रूप में छः द्रव्य विद्यमान है ।

2. प्रत्येक द्रव्य प्राकृतिक स्वभाव में प्रतिदिन नवीन है ।

3. सांसारिक जीवन में यह माना जाता है कि पुण्ययुक्त कार्यों द्वारा जड़ एवं चेतन का वर्गीकरण किया जा सकता है ।

4. प्रत्येक सांसारी जीव वर्ग के माध्यमसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।

5. परमात्मा समाज के किसी भी सदस्य को दुःख नहीं देता है । अपितु यह प्रकृति जन्य उपलब्धि है ।

6. जीव तथा परमात्मा पूर्णतः अनन्त है तथा इनका सांसारिक अवस्था में स्थानान्तरण अत्याधिक दुष्कर है ।

7. सामाजिक जीवन में निवास करने वालाव्यक्ति स्वयं का परिमार्जन भक्ति द्वारा कर सकता है और इसमें यह भावना प्रबल होना चाहिए कि फल प्राप्ती की अभिलाषा के लिए कर्तव्य च्युत न हो ।

8. राग द्वेष मोह का त्याग करना चाहिये ।

9. जीव हत्या उचित नहीं है ।

10. मांसाहारी भोजन वर्जित है तथा पानी वस्त्र से छानकर प्रयुक्त करना चाहिए ।

11. माया लोभ क्रोध एवं मान का विनाश किया जाना आवश्यक है ।

12. भक्ति पुरुषा के छः कार्य है - ध्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना, एवं

ममता का त्याग कायोत्सर्ग ।

13. गृहस्थ आश्रम में छः कार्य हैं - देव पूजा, शास्त्रपठन पाठन, तप, संयम, दान एवं गुरुसेवा ।

14. पाँच प्रकार के महाव्रत हैं जो योगी पुरुष करते हैं - अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह त्याग ।

इस प्रकार समस्त वर्णित मूलमान्यताओं के अतिक्रम में व्यक्ति की सांसारिक एवं दैनिय गतिविधियों को निर्देशित किया गया है और इसकाअक्षरतः अनुपालन जैन समाज में हो रहा अथवा नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है । सम्बन्धित साहित्यका अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि धर्म का प्रसार एवं प्रचार एक शक्तिशाली भाषा के माध्यम से किया गया और इसमें जीवन दर्शन की अनेक अनुकृतियाँ हैं । सामाजिक कायाकल्प में धर्म, संस्कृति, सामाजिक प्रवृत्ति इत्यादि समानार्थक प्रत्यय के रूप में माने जाते हैं, जैन दर्शन में विकास के क्रम में अनेक दृष्टांत उल्लेखित किये गये हैं औरउचित संकेतों का समायोजन प्रस्तुत प्रसंग में प्रमाणिकता के आधार पर किया जायेगा । सांस्कृतिक दर्शन की गरिमा निश्चित रूप से आदिकाल में किसी भी प्रकार से दुविधा की स्थिति में नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में इस स्थिति पर जो कुठाराघात हुआ है वह समाज वैज्ञानिकों के लिए सर्वाधिक भाव में चुनौती पूर्ण है । जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषा में अपने साहित्य की रचना की जिससे लोक भाषाओं का विकास हुआ । अधिकांश जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुई । दक्षिण भारत में जैन विद्वानों ने ग्रंथों की रचना कन्नड़ भाषा में की ।हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा को समुचित प्रदान की । प्राकृत अपभ्रंश और कन्नड़ भाषाओं के अतिरिक्त जैन आचार्यों ने तमिल तेलुगु और तेलुगु साहित्य को भी सम्पन्न बनाया है । संस्कृत भाषा में भी अनेक जैन ग्रन्थों की रचना की गई है और इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है —

1. कलाक्षेत्र — इस क्रिया में जैन धर्म ने भवन निर्माण, स्थापत्य, मूर्ति निर्माण और चित्रकला को प्रोत्साहन दिया । मध्य प्रदेश सौराष्ट्र और राजस्थान में अनेक

कलाओं से पूर्ण जैन मन्दिर आज भी विद्यमान है जिसमें भारतीयकला के सर्वोत्कृष्ट प्रमाण व उपस्थित है मध्य प्रदेश के अन्तर्गत देवगढ़ ग्वालियर तथा खजुराहो भी जैन कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

ब) दर्शन क्षेत्र —— दर्शन के क्षेत्र में जैन आचार्यों ने अनेक नये और मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । उदाहरणार्थ सत्य की खोज के लिए जिस स्याद्वादका प्रतिपादन किया वह अमूल्य देन है । कोई भी विचार सत्य के एकांगी रूप को ही व्यक्त करता है, कोई भी पूर्णत्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मत आंशिक रूप में ही सत्य होते हैं।" जब यह भावना दृढ़ हो जाय तो संसार में द्वेष, संघर्ष आदि बहुत कम हो जाय ।" अहिंसा के सिद्धान्त को भी जैन धर्म ने सर्वाधिक प्रचारित किया । विश्व में अकेले जैन दर्शन की ही यह विशेषता है कि वो यह मानता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है । उसके लिए इसने एक निश्चित मार्ग भी निर्देशित कर रखा है । तो है "सम्यक् दर्शन, ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्गः ।" जिस आत्मा में यह रत्नत्रय मौजूद हैं वह परमात्मपद प्राप्त कर सकती है । हम सांसारिक जीवों की आत्मा के ऊपर अनेकों आवरण पड़े हुए हैं उन आवरणों को हटाकर शुद्धात्म तत्व के दर्शन करना एक लम्बी प्रक्रिया है । चित्त को निर्मल करने की प्रक्रिया को अपना कर हम लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही सुखों को प्राप्त कर सकते हैं । चित्त को निर्मल करने की इस प्रक्रिया का नाम है पर्युषणपर्व या दशलक्षण पर्व जो यूं तो निरन्तर चलती रहती चाहिए परन्तु जैसे किसी उद्देश्य विशेष के लिए वर्ष में कोई दिन, सप्ताह या पखवाड़ा आदि मनाने का लोकाचार है उसी परम्परा में जैन मतावलम्बी पर्युषण पर्व के रूप में दिगम्बर समाज भाद्रपद की शुक्ल की पंचमी से चतुर्दशी तक एवं श्वेताम्बर व स्थानकवासी समाज भाद्र पद वदी 13 भाद्र पद शुक्ल की पंचमी मनाते हैं । पर्युषण चित्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण शाश्वत है अतः इसे पर्वराज की संज्ञा भी दी जाती है । उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव शौच सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य एवं ब्रह्मचर्य में आत्मा के स्वभाव हैं इन स्वभावों में ही इस संसार की काजल भरी कोठरी में रहते विचरते अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे काम, क्रोध, मान, लोभ, कषाय, मायाचार आदि विकृतियाँ उत्पन्न होकर मनोवृत्ति को दूषित करती हैं । इन दस

धर्मों के चिन्तन व आचरण करने से मनुष्य सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है । इनके प्रकट में व अन्तर में आचरण करने से समभाव निश्छलता की वह निर्मलधाराअन्तरंग बाह्य में प्रवाहित होती है जो समस्त व्याप्त कलुषता को धो देती है । इसके प्रतीकात्मक वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा है —

1. उत्तम क्षमा
2. उत्तम मार्दव
3. उत्तम आर्जव
4. उत्तम सत्य
5. उत्तम शौच
6. उत्तम संयम
7. उत्तम तप
8. उत्तम त्याग
9. उत्तम आकिंचन , एवं
10. उत्तम ब्रह्मचर्य

समाजशास्त्रीय प्रसंग में प्रस्तुत वर्गीकरण को संकेतित रूप से इसलिये प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसके आधार पर सम्पूर्ण व्यक्तियों की मानवीय क्रियाओं का संचालन जैन धर्म में अपेक्षित किया गया है ।सांस्कृतिक दर्शन में विद्यमान तुलनाओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि महान पर्युषण पर्व जैन मन्दिरों में विशेषरूप से सजावट की जाती है प्रातः पूजन शाम आरती प्रवचन एवं भजनों के कार्यक्रम होते हैं । और नर नारी व्रत रखते हैं दस दिन तक हरी सब्जीयों का ग्रहण नहीं करते तथा नियम पूर्वक एक या दो बार भोजन करते हैं या निराहार भी रहते हैं अष्टमी का दिन विशेष महत्व का माना जाता है दशमी तिथि धूप दशमी के रूप में मनाते हैं । सभी जैन अन्य मन्दिरों में जाकर धूप अग्नि में समर्पित करते हैं षोडस व्रतों का अंतिम दिन होता है इस दिन अधिकांश नर नारी निराहार रहते हैं और प्रातः से सभी जैन मन्दिरों में दर्शनार्थ जाते है । इन दशदिनों में नगर सांस्कृतिक उल्लास और रंग में लीन रहता है तथा पर्युषण के तुरन्तबाद जैन भावलम्बी क्षमावाणी दिवस मनाते हैं । यह कार्यशयन

की अत्यन्त उपयोगी पद्धति है जिसका कि आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि समस्त विश्व कलह, कषाय व हिंसा में लिप्त है, इसपर्व के अन्तर्गत क्षमा, मार्दव, अहंकार का त्याग आर्जव (छलकपट का त्याग), सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन्य (सन्तोष) और ब्रह्मचर्य की उपासना में पवित्र अन्तर लिए सभी जैन बन्धु अपने परिचितों-अपरिचितों और सम्पर्क में आने वालों से श्रावक क्षमा याचना करते हैं। शुद्ध मन से क्षमा करते भी हैं। प्राचीन संस्कृत-प्राकृत श्लोक -

" खामेकि सव्वेजीवे, सव्वेजीवा खमंतु मे।
मित्ती मे सव्वं भूयेसु, वेरं मज्झंण केणवि ।।

— मैं करता हूँ क्षमा सभी को, मुझको भी सब क्षमा करें। वैर विहीनपूर्ण वसुधा पर मैत्री का अमृत बिखरे। इस प्रकार दश लक्षण पर्व व क्षमावाणी की उच्चभावना का पालन व प्रचार कर राष्ट्र के नैतिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। वर्तमान समाज शास्त्रीय शोध अध्ययन की अवधि में यह अवलोकित किया गया कि भिण्ड जनपद में सांस्कृतिक गुणवत्ता के क्रम में जैन समाज को सक्रीय योगदान है इस क्रम में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाए, औषधालय तथा धर्मशालाए, वाचनालय इत्यादि विद्यमान हैं, तथा इनका सम्यक विश्लेषण अपरिहार्य प्रतीत होता है। सामाजिक संस्करण की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण यह है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले अन्य जातिओं का अध्ययन किया जाय जिसका विवरण तालिका संख्या 41 में प्रदत्त किया गया है प्रस्तुत तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में धर्म निर्पेक्षता का प्रतिनिधित्व प्रचुर मात्रा में है क्यों कि सर्वेक्षित किए गये क्षेत्र में हिन्दु, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और बौद्ध धर्म के व्यक्ति निवास कर रहे हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में यह भी अवलोकित किया गया कि इन धर्म समूहों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक समन्वय स्थापित है इस प्रसंग में सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सामान्य ज्ञान में यह भी बात आई है कि विगत लगभग सौ वर्षों में कोई भी जाति, वर्ग, एवं धर्म सहर्ष जनपद भिण्ड में नहीं हुआ है और जिसके परिनाम स्वरूप वर्तमान अवधि में पूर्ण सौजन्यता स्थापित है, जो कि भारत वर्ष की वर्तमान क्षेत्रीय समस्याओं के सापेक्ष समाजवैज्ञानिक हित में

तालिका संख्या - [4.1]

जनपद मिर्जापुर में अन्य जातियों की सामाजिक स्थिति

क्र. सं.	जाति	क्र. सं.	जाति
1.	अहीरिया	14.	जैन
2.	नरवरिया	15.	कायस्थ
3.	ब्राह्मण	16.	खत्री
4.	मुसलमान	17.	पंजाबी
5.	सिक्ख	18.	काछी
6.	क्षत्रिय	19.	कुम्हार
7.	भोथी	20.	भेहतर
8.	तुनार	21.	चमार
9.	भन्हार	22.	कहार
10.	बढ़ई	23.	लुहार
11.	माली	24.	कंजर
12.	धोबी	25.	धानुक
13.	अग्रवाल	26.	बौद्ध

सर्वाधिक प्रशंसनीय है । जैन धर्मावलम्बियों द्वारा संचालित औषधालयों का सामान्य विवरण तालिका संख्या 42 में प्रदत्त किया गया है । इन औषधालयों का भौतिक संचालन जैन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है और आधुनिक, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक आदि चिकित्सा सुविधाएं अवरत व्यक्तियों को उपलब्ध हो रही है । इन औषधालयों के प्रशासनिक नियंत्रण का सामान शास्त्रीय सर्वेक्षण किया गया और यह तथ्य प्रकाश में आये कि यह औषधालय पूर्णतः जन कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं । प्रत्येक समाज व्यवस्था की सम्पूर्ण गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक अभिकरण के रूप में कुछ विकल्प निर्मित किये जाते हैं और इसक्रम में समाज सेवी संस्थाओं का प्रचलन प्राचीन समय से विद्यमान है और उसका विवरण तालिका संख्या 43 में अंकित किया गया है । सामाजिक विचारधारा के अन्तर्गतयह माना जाता है कि समानुपातिक इकाईयों में यदि दूरदर्शता विद्यमानहै तो इनके लक्ष्य भावात्मक हो सकते हैं इस प्रकार सांस्कृतिक महत्व की समाज सेवी संस्था जनपद भिण्ड की सृजनात्मक इकाइयों हैं ।इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जैन समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सामाजिक उत्तरदायियों का निर्वाह प्रसंसनीय रूप में किया गया वर्तमान परिपेक्ष्य में उल्लेख किया जा सकता है कि अन्य धर्मों के सांस्कृतिक पर्वों पर जैन समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सामान्य जलपान की व्यवस्थास्वयं की ओर इसके अतिरिक्त कई अनेक अवसरों में इनका सक्रीय योगदान रहता है ।

समाज मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति की सामाजिकता उचित संस्कारों की पृष्ठभूमि में संभव है । प्राचीन अवधि से लेकर वर्तमान अवधि तक इस सिद्धान्त की सार्थकता को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सका और उसके अनेका एक कारण हैं । व्यक्ति समाज से क्या करेगा, समाज व्यक्ति के लिए क्या योगदान देगा -- वास्तव मे यथार्थवादी चिन्तन की प्रमुख विषय वस्तु है । कालान्तर में इस दिशा का उन्नयन शिक्षा के माध्यम से समायोजित किया गया । सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्यतः उचित पद्धति की है, यह आवश्यक नहीं है कि इसका संचालन विशेष व्यक्ति द्वाराकिया ज्ञानपिपासा की पूर्ति करने वाला व्यक्ति भिन्न है उन चेतनाओं से जो दैवीय संरचित है और इनकी सामाजिक उपस्थिति

तालिका संख्या - §42§

जनपद भिण्ड में जैन समाज के धर्मार्थ औषधालय

क्रमांक	नाम
1.	श्री दिगम्बर जैन धर्मार्थ औषधालय,
2.	स्व: श्रीचन्द छोटे लाल जैन आयुर्वेद औषधालय,
3.	धर्मार्थ औषधालय श्री दिगम्बर जैन नार्झेयाजी,
4.	श्री आदिनाथ चौपालय दिगम्बर जैन औषधालय,
5.	1008 श्री पार्श्वनाथा दिगम्बर जैन होम्यो धर्मार्थ औषधालय,
6.	श्री गोपीचन्द जैन द्वारा संचालित होम्यो औषधालय,
7.	श्री 1008 विमलसागर जी महाराज धर्मार्थ औषधालय,
8.	श्री नेमी चन्द जैन होम्यो औषधालय,
9.	चौधरी वृन्दावन अग्रवाल स्मृति औषधालय एवं
10.	श्री नन्द लाल धर्मार्थ औषधालय।

इन औषधालयों के अलावा कतिपय महानुभाव अपने निजी प्रयत्नों द्वारा होम्यो पैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निःशुल्क वितरण करते हैं जो निम्न है :—

§1§श्री शान्ति किशोर जैन तोडाने हाउसिंग कॉलोनी, भिण्ड
§2§श्री सत्यदेव जैन डी.एच.बी. महावीर चौक, भिण्ड
§3§राम बाबू वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भिण्ड

तालिका संख्या - §43§

जनपद भिण्ड में जैन समाज सेवी संस्थाएं

क्रम सं.	नाम
1.	जैन मिलन।
2.	जैन विकास समिति
3.	जैन मित्र मण्डल।
4.	श्री दिगम्बर जैन महा सभा भिण्ड।
5.	अखिल विश्व अंहिसा जैन विज्ञान केन्द्र भिण्ड।
6.	श्री दिगम्बर जैन समाज कल्याण महासमिति भिण्ड।
7.	जैन नव युवक सेवा संघ।
8.	सेंवधु जैन युवा कॉन्फ्रेंस।
9.	जैन शांति दलब , एवं
10.	जैन युवा विज्ञान भिण्ड ।

सम सामयिकरूप से निर्धारित हो सकती है । इस प्रकार परोक्ष भाव में शिक्षा के समाज शास्त्र का उपन्नयन संस्कार किया गया प्रत्येक समाज वैज्ञानिक अध्ययन में शिक्षा की महत्ता को प्राथमिकस्तर स्वीकृत करते हुए अध्यानित किया जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में यह एक विशेष प्रकार का आधार पटल है । सांस्कृतिक समवन्य के अनेक मिश्रणों को एक-एक बूंद के रूप में मूल्यांकित एवं परिष्कृत किया जा सकता है । जनपद भिण्ड के क्षेत्र में जैन समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख तालिका संख्या 44 में किया गया है । वर्तमान विवरण के अन्तर्गत यह उल्लेखनीय है कि क्रम-संख्या 1 - 6 तक की शिक्षण संस्थाए समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए संचालित है और इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रतिबन्ध अध्ययन के लिए नहीं लगाया गया है । जैन महाविद्यालय, कुसुम बाई कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत अनेक छात्र विभिन्न धर्मों के शोध कार्य की अवधि में दृष्टिगत किए गये और यह सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण प्रसंग है कि समाज सांस्कृतिक सामंजस्य का अनोखा प्रचलन जनपद भिण्ड में विद्यमान है । इसके समकक्ष क्रम सं. 7-14 तक वर्ग संचालित पाठशालाओं में पूर्णतः जैन दर्शन को शिक्षा व्यवस्था एक मात्र रूप से जैन समाज के व्यक्तियों में निर्धन क्षेत्र के लिए सुख सुविधा तथा छात्रवृत्ति इत्यादि का प्रयोजन पूर्णतः नियमानुसार किया जाता है । प्रस्तुत क्रम में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड में मुख्यालय पर एक वाचनालय जैन समाज द्वारा स्थापित किया गया है और इसे श्री नन्दलाल जैन दिगम्बर वाचनालय के नाम से जाना जाता है तथा यह बतासा बाजार में स्थित है । इस वाचनालय [illegible] हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा के पत्र एवं पत्रिकाए नियमितीयरूप से अर्जित की जाती हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतिबन्ध नहीं है । शिक्षा के समकक्ष कार्यशैली का अत्याधिक योगदान है और प्रत्येक समाज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में सउद्देश्य योजना के अन्तर्गत कुछ भूमिकाए विशेष उल्लेखनीय होती हैं । ब्रिटिश उपनिवेश से जर्जर होती हुई भारतीय समाज की दुर्दशा की अवधि में मध्य प्रदेश प्रान्त का जनपद भिण्ड भी अछूता नहीं था । इसका सास्वत मूल्यांकन प्रस्तुत शोध प्रबंध की अवधि

~~परिशिष्ट~~ तालिका संख्या-[५५]

जनपद भिण्ड की जैन शिक्षण संस्थाएं एवं वाचनालय

क्रम सं.	शिक्षण संस्था का नाम	स्थान
1.	जैन महाविद्यालय भिण्ड	स्टेशन रोड
2.	कुसुम बाई जैन कन्या महाविद्यालय भिण्ड	गोल मार्केट
3.	जैन हायर सैकेन्डरी स्कूल भिण्ड	स्टेशन रोड
4.	जैन नर्सियां स्कूल भिण्ड	स्टेशन रोड
5.	पार्श्वनाथ दिगम्बर मिडिल स्कूल भिण्ड	महावीर चौक भिण्ड
6.	सम्यक ज्ञान शिशु मन्दिर	झलवाई थाना बताशाबाजार
7.	श्री 1008 विद्यासागर जी सम्यक ज्ञान पाठशाला	झलवाई थाना बताशाबाजार
8.	श्री शांति नाथा पाठशाला	दिवनगर कालोनी
9.	श्री 1008 शांति नाथ दि0 जैन पाठशाला	महावीरगंज
10.	श्री 1008 चन्द्रप्रभु दि0 जैन पाठशाला	परेड जैन मन्दिर
11.	श्री समन्त भद्र दि0 जैन विद्यापीठ	महावीर गंज भिण्ड
12.	श्री नन्दलाल जैन दिगम्बर वाचनालय	बताशा बाजार

142

114

में किया गया । कुछ ऐसे जैन समाज के वरिष्ठतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका उल्लेख करना समाज वैज्ञानिक प्रसंग में महत्वपूर्ण है । एक व्यावर्त द्वारा कृतार्थ का कार्य यदि शाब्दिक विवेचना की परिधि ससमोजित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अध्ययन एवं चिन्तन का कोई उपयोग नहीं है जैन धर्म प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों का विवरण तालिका संख्या 45 में प्रदत्त किया गया है । प्रस्तुत प्रसंग पंडित शिखरचंद जी का उल्लेख किया जा सकता है जिनके धार्मिक एवं रचनात्मक कार्यों से सम्पूर्ण समाज लाभान्वित हुआ है । जनपद भिण्ड में जैन धर्म द्वारा संचालित धर्मशालाए प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं और इनका विवरण तालिका संख्या 46 में व्यक्त किया गया है ।

ऐतिहासिक विवरणों को तुलनात्मक समाज वैज्ञानिक प्रसंग में मूल्योकित करने पर अनेक प्रकार की उपयोगी संरचनाएं प्रकाश में आई हैं सास्कृतिक गरिमा के वस्तुनिष्ठता किसी विशेष प्रकार के अवलम्बन द्वारा दीर्घ अवधि के लिए सुरक्षित रक्खी जा सकती हैं समाज ऐतिहासिक दर्शन में कला की उपयोगिता को सर्वाधिक रूप से स्वीकृति के आवश्यक प्रतीकों को धार्मिक प्रसार के अन्तर्गत व्यक्त किया जाता रहा और इस प्रकार सामाजिक धरोहर के रूप में कलात्मक विकल्प सृजन का आधार बने । जनपद भिण्ड का सर्वेक्षण करने पर महत्व के अनेक आयाम प्राप्त हुये और इनका विवरण तालिका संख्या 47 में अंकित किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में ऐतिहासिक महत्व के कई दुर्ग, सरोवर विद्यमान हैं और विभिन्न धार्मिक महत्व के स्थल उपलब्ध हैं वर्तमान प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित एकपुरातत्व संग्रहालय भी विद्यमान है । वर्तमान प्रसंग में यह भी प्रसंग दिया जा सकता है कि वनखण्डेश्वर देवालय एक विशाल पूजा स्थल है जिसमें प्रत्येक धर्म का व्यक्ति दर्शनार्थ प्रवेश कर सकता है । इस देवालय की स्थापना के प्रसंग में स्थानीय रचनाओं के आधार से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि इसकी आधार शिला पृथ्वीराज चौहान द्वारा रक्खी गयी थी । वरासो एवं वरई अतिशय क्षेत्र के प्रसंग में विवरण प्राप्त हुआ है कि इनका निर्माण रात्रि के प्रथम दो पहर में ही हो गया था और जैन धर्मालम्बियों को इस पूजा स्थल में नियमित रूप से जाना है । इन देवस्थलो के निर्माण में देवो का योगदान प्रचलित किवदन्तियों के

तालिका संख्या - (45)

जनपद भिण्ड में जैन सम्प्रदाय के स्वतन्त्रता सेनानी

क्रमांक	स्वतन्त्रता सेनानी
1.	भानु कुमार जैन
2.	ठाकुर लक्ष्मी चन्द जैन
3.	प्रभू दयाल जैन
4.	नेमी चन्द जैन
5.	वीर सैन जैन
6.	घूरामन जैन
7.	शांति किशोर तोडाने
8.	चन्द्रसैन जैन कुरीसिया
9.	सौभाग्यमल जैन
10.	सम्पतराम गोदिया

तालिका संख्या- (46)

जनपद भिण्ड की जैन धर्मशालाएँ

क्रमा. सं.	नाम	स्थान
1.	श्री 1008 पार्श्वनाथ दि0 जैन धर्मशाला	हलवाई थाना
2.	श्री दि0 जैन धर्मशाला(श्री भगवानदास पटैया)	लश्कर रोड
3.	श्री दि0 जैन नाशिया धर्मशाला	पुस्तक बाजार
4.	श्री बाहुबलि दिगम्बर जैन धर्मशाला	पुस्तक बाजार
5.	श्री धनवंतरि धार्मशाला	बताता बाजार
6.	श्री नेमीनाथ मन्दिर की धर्मशाला	बजरिया भिण्ड
7.	श्री आदिनाथ मन्दिर की धर्मशाला	किला रोड भिण्ड
8.	श्री महावीरपेटवालय की धर्मशाला	रामकुमार की कोठी
9.	जैन धर्मशाला	जैन कालेज के पीछे

भिण्ड - क्षेत्रीय स्थापत्य एवं कला

क्र. सं.	नाम	
1.	भिण्ड का दुर्ग	
2.	वन खण्डेश्वर देवालय	
3.	गोरी सरोवर	
4.	अटेर का दुर्ग	
5.	अटेर का महल	
6.	भिण्डी ऋषि की समाधि स्थल	
7.	चक्रपाणि की मूर्ती	
8.	राम मन्दिर और गणेश प्रतिमा	
9.	गोरी तटका शिवालय	
10.	बरासो का जैन मन्दिर	अतिशय क्षेत्र
11.	बरई का जैन मन्दिर	अतिशय क्षेत्र
12.	पावई का जैन मन्दिर	अतिशय क्षेत्र
13.	जमसारा का जैन मन्दिर	
14.	रौन का जैन मन्दिर	
15.	पुरातत्व संग्रहालय	

आधार पर माना जाता है ।

जनपद भिण्ड के मुख्यालय में स्थित जैन मन्दिरों का विवरण तालिका संख्या 48 में दर्शाया गया है, इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में जैन धर्म के अत्याधिक प्राचीन स्थल विद्यमान हैं और इनका संचालन पूर्ण स्वायत्तता के आधार पर किया जा रहा है । इन देव स्थलों में नियमित वैदिक कार्यों का संचालन पुजारी द्वारा किया जा रहा है । इन देवस्थलों में नियमित सम्बन्धित धर्म के व्यक्ति नियमित उपस्थिति से स्वयं को कृतार्थ करते हैं । सम्पूर्ण धार्मिक पृष्ठभूमि में कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं और जिनका अनुपालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किया जाता है । इसका प्रदर्शन तालिका संख्या 49 में किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष पर्यन्त अनेक प्रकार के त्योहार प्रस्तावित किये गये हैं और इनका संचालन जनपद भिण्ड के वर्तमान जैन समाज में निरन्तर रूप से किया जाता है । वस्तुतः संस्कारजन्य इस प्रणाली में अत्याधिक धार्मिक गहराई है और इसका सीधा सम्बन्ध जैन समाज के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में है । तालिका संख्या 50 में जनपद भिण्ड के जैन समाज के सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख समाज शास्त्रीय मानक के रूप में किया गया है । इसमें अनेक महत्वपूर्ण पर्वों के आयोजन को अभिसिंचित किया गया है । जैन दर्शन के आधार पर यह निष्कृष्ट किया गया है कि जीवात्मा की उत्पत्ति तथा उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों के महज सांस्कृतिक गतिविधियों का सेतु विद्यमान होता है और सजीव एवं निर्जीव भेद, पाप और पुण्य में अन्तर तथा अच्छाई और बुराई में अन्तर का भाव क्रियान्वित हो सकता है । यद्यपि जैन दर्शन की मूल मान्यता है कि पूर्णतः शाकाहारी भोजन प्रयुक्त किया जाना लेकिन व्यवहारिक परिपेक्ष्य में रूपांतरण प्रासंगिक प्रतीत होता है । जैन समाज में धार्मिक पर्वों के अन्तर्गत अलौकिक विलक्षणता है जो एक विशेष प्रकार की संस्कृति की धौतम हैं । तालिका संख्या 51 में जनपद भिण्ड में संचालित होने वाले जैन मेलों का विवरण प्रस्तुत किया गया है । जनपद भिण्ड में वार्षिक मेले का आयोजन भूलास्मृति के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है ।

तालिका संख्या- (48)

जनपद भिण्ड के जैन मन्दिर

क्र. सं.	नाम	स्थान
1.	श्री महावीर स्वामी दि० जैन नशियाजी	रेलवे स्टेशन
2.	श्री विमलनाथ जी का मन्दिर	अटेर रोड
3.	श्री बाहुबली स्वामी जी बड़ा मन्दिर	पुराना बस स्टेण्ड
4.	श्री चन्द्र प्रभु स्वामी	पुराना बस स्टेण्ड
5.	श्री आदिनाथ का विशाल चैत्यालय मन्दिर	झम्मन लाल का बाजार
6.	श्री पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मन्दिर	महावीर गंज
7.	श्री नेमीनाथ जी का बड़ा मन्दिर	बड़ा डाकखाना
8.	श्री आदिनाथ का बड़ा मन्दिर	कोठी नरसिंगराव
9.	श्री महावीर स्वामी का मन्दिर	तटगौरी तलाव
10.	श्री अजितनाथ जी का मन्दिर	कन्या महाविद्यालय
11.	श्री विमलनाथ जी जती का विशाल मन्दिर	पुराना हलवाईखाना
12.	श्री महावीर स्वामी का चैत्यालय	बम्बई वाले पचासालेन
13.	श्री पार्श्वनाथ जी का चैत्यालय	महावीर गंज
14.	श्री विमलनाथ जी का चैत्यालय	पुरानी चुंगी नाका

क्र. सं.	नाम	स्थान
15.	श्री 1008 बाहुबलि दिगम्बर चैत्यालय मन्दिर	पुस्तक बाजार
16.	श्री 1008 चन्द प्रभु दि0 जैन मन्दिर	पुस्तक बाजार
17.	श्री 1008 महावीर स्वामी दि0 जैन चैत्यालय	हजरिया मार्केट
18.	श्री 1008 शांतिनाथ दि0 जैन मन्दिर	गर्ल्स स्कूल के पास
19.	श्री पार्श्वनाथ जी बड़ा मन्दिर	पुराना हलवाईखाना
20.	पदमावती माँ का मन्दिर	कृष्णा टाकीज के पीछे
21.	श्री शांतिनाथ जैन मन्दिर	

तालिका संख्या- [49]

जनपद भिण्ड में जैन धार्मिक क्रियाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम
1.	महावीर जयन्ति चैत्र सुदी 13
2.	अक्षय तृतीया - चैत्र सुदी 3
3.	श्रुत पंचमी - जेठ सुदी 5
4.	ऋषभ जयन्ति - अषाढ़ वदी
5.	अष्ठानिहका- अषाढ़ कार्तिक फागुन सुदी 8 से 15 तक तीन बार
6.	वीर शासन जयन्ति - सावन वदी 1
7.	मोक्ष सप्तमी - सावन सुदी 6
8.	रक्षाबन्धन - सावन सुदी 15
9.	षोडस कारण - भादों माह फागुन अन्त के 16 दिन
10.	श्रुतस्कन्धव्रत - भादों वदी 1
11.	रविव्रत - अषाढ़ सुदी का अंतिम रविवार
12.	मेघमाला व्रत - भादों सुदी प्रतिपक्ष में आशिन सुदी प्रतिपक्ष
13.	लब्धि विधानव्रत - भादों मांह चैत्र सुदी 1 से 3

क्र. सं.	नाम
14.	त्रिलोक तीज व्रत - भादों शुक्ल 3
15.	ऋषि पंचमी -भादों सुदी 5
16.	निर्दोष सप्तमी - भादों सुदी 6
17.	निःशल्य अष्टमी - भादों सुदी 8
18.	मौन एकादशी - भादों सुदी 11
19.	द्वादशी व्रत - भाद्रपद सुदी 12
20.	रत्नत्रय - भाद्रपद सुदी 13 से 15
21.	अनन्त चौदस - भाद्रपद सुदी 14

तालिका संख्या- §50§

जनपद सिरोंज के जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	गजरथ महोत्सव	10.	महावीर जयन्ति
2.	पंच कल्याणक §गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान निर्वाण§	11.	पर्यूषण पर्व
3.	क्षमावाणी पर्व§भेंटी दिवस§	12.	विमानोत्सव
4.	संत वर्णी जयन्ती	13.	रक्षाबन्धन उत्सव
5.	दीपावली -महावीर निर्वाण	14.	भक्तामर पाठ
6.	निर्वाण लाडू§भगवान के जन्म उत्सव§	15.	सिद्धचक्र विधान
7.	इन्द्रध्वज विधान	16.	त्रैलोक्य विधान
8.	वृहद पूजन विधान	17.	णमोकारमंत्र का जाप
9.	ज्ञानज्योति	18.	शांतिपाठ

तालिका संख्या - (51)

जनपद भिण्ड में जैन मेलों का विवरण

क्र. सं.	नाममेला	समय हिन्दी अंग्रेजी माह	अवसर	समयावधि दिन में	व्यवस्था
1.	बरई	आश्विन सुदी 7 सित०- अक्टूबर	जैन मेला	6	स्थानी जैनव्यक्ति
2.	भिण्ड नसिया अक्टूबर, नवम्बर	कार्तिक सुदी 8-15	जैनमेला	8	जैन समिति
3.	मौ	प्रत्येक तीसरे वर्ष दिसम्बर, जनवरी	जैन मेला	2	जैन समिति
4.	बरातों	कार्तिक सुदी 2अक्टूबर- नवम्बर	जैन मेला	6	स्थानीय व्यक्ति
5.	रोन	भादों मास-अगस्त, सित.	जैन मेला	2	स्थानीय व्यक्ति

उपर्युक्त विवेचना में सांस्कृतिक गतिविधियों के तीनिक पक्षों का उल्लेख किया गया है और इसका समाज शास्त्रीय मूल्यांकन करने से स्पष्ट होता है कि जैन धर्म की गतिविधियों में क्रियान्वयन सम सामाजिक रूप से हो रहा है । वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रतंग संकलित सांस्कृतिक अभिरुचियों का विवरण तालिका संख्या 52 में प्रदर्शित किया गया है इस तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार में समाज सांस्कृतिक गतिविधियों बौद्धिक दृष्टि से आज भी है और इनके माध्यम से वैमनस्य कम होता है । प्रस्तुत वर्गीकरण चिन्तन की अपूर्व पराकाष्ठा पर है क्यों कि भारत वर्ष के अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीयता एवं अन्य कारणों से धार्मिक उन्माद विकसित हुआ है और फिर हाल जनपद झिण्ड के जैन समाज की गरिमा के कारण इस क्षेत्र में ऐसी कोई सांस्कृतिक विषमता नहीं है । प्रस्तुत प्रतंग में उत्तरदाताओं को यह अवसर दिया गया कि वह सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवार के सदस्यों के योगदान का विवरण दे । इसका प्रदर्शन तालिका संख्या 53 में किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के परिवार के 80 प्रतिशत सदस्यों का योगदान सामान्य वर्ग में है 10 प्रतिशत सदस्यों का योगदान अधिकतम वर्ग में है और 10 प्रतिशत योगदान न्यून वर्ग में है । इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वह पूर्ण परम्परात्मक प्रतिमानों के द्वारा संचालित हो रहा है । जो व्यक्ति सांस्कृतिक गतिविधियों में कम योगदान दे पा रहे हैं उनका सीमितता कारण व्यवसायिक जटिलता है और इसके अन्तर्गत कुछ प्रतिशत में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव भी हो सकता है ।

प्रत्येक समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को सार्वभौमिक रूप से परिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है और जनपद झिण्ड के जैन समाज में जब सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को परीक्षण किया गया (तालिका सं० 54, तो धनात्मक पक्ष में 51 प्रतिशत तथा ऋणात्मक पक्ष में 49 प्रतिशत उत्तरदाता संकलित किये गये वस्तुतः यह पक्ष समानुपातिक है इसलिए इसे सामाजिक विवेचन में सहजरूप से स्वीकृत किया जा सकता है सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं को उचित स्थान देने की संस्तुति प्रत्येक धर्म करता है तथा इस प्रकार प्रस्तुत विवरण सैद्धान्तिक

उत्तरदाताओं के मतानुसार सांस्कृतिक अभिरुचियों का विवरण

क्र. सं.	अभिरुचि	हाँ	नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि	100	—	100
2.	सांस्कृतिक गतिविधियों से सामाजिक स्तर बढ़ता है	100	—	100
3.	सांस्कृतिक गतिविधियां मनोरंजन का साधन हैं	100	—	100
4.	सांस्कृतिक गतिविधियों से बौद्धिक स्तर बढ़ता है	100	—	100
5.	सांस्कृतिक गतिविधियों से वैमनस्य कम होता है	100	—	100

तालिका संख्या– 153

उत्तरदाताओं के मतानुसार सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवार के सदस्यों के योगदान का विवरण

क्र. सं.	योगदान	प्रतिशत
1.	सामान्य	80
2.	अधिकतम	10
3.	कुछ	10
4.	नगण्य	——
	कुलयोगः–	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (5५)

उत्तरदाताओं के आधार तांत्रिक गतिविधियों महिलाओं की भागीदारी का विवरण —

क्र. सं.	दृष्टि कोण	प्रतिशत
1.	सहमत	51
2.	असहमत	49
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

दृष्टि के अन्तर्गत माना जा सकता है । धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में अभिरुचि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और इसके आधार पर प्राप्त सूचनायें तालिका संख्या 55 में दर्शायी गयी है । धार्मिक प्रसार की दृष्टि से सांस्कृतिक माध्यम उपयोगी हो सकते है, इसमें 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार से सहमत नहीं थे । समीपवर्ती मूल्यांकन में यह देखा गया कि अन्य धर्मों के सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने वाले एवं न लेने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 1:1 में है प्रस्तुत मूल्यांकन के क्रम में पुनः मानव कल्याण का प्रसंग परीक्षित किया गया और इसमें शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी । इस तालिका का कुल निष्कर्ष इस प्रकार हो सकता है कि जनपद झिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्म के व्यक्तियों को सांस्कृतिक गतिविधियों से अनेक प्रकार की प्रत्याशाएं हैं और संभवता इसी जिज्ञासा से अन्त पर्यन्त अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों में विभिन्न माध्यमों से संलग्नित रहते हैं । समाज वैज्ञानिक प्रत्यय के विश्लेषण को वैज्ञानिकक्रम में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया और इस प्रसंग के प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या 56 में अंकित किया गया है । सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में अधिक राशि के व्यय को 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृत किया है जबकि 70 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार से सहमत नहीं है । समीपवर्ती परिधि में पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया से जैन धर्म के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया और शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जनपद झिण्ड के जैन समाज के मूल्यों पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव पड़ा है । चिंतन की परिधि में जैन संस्कृति, त्याग की भावना और पुनर्जन्म आदि अवधारणाओं को विश्लेषित किया गया जिसके अन्तर्गत 1:1:1 का सामाजिक समीकरण प्राप्त हुआ है । इसका तात्पर्य यह है कि धर्म एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यवहारिक स्वरूपों में कुछ परिवर्तन अवश्य उत्पन्न हुआ है और संभवता इस विभाजन निर्माण एक मात्र रूप से आधुनिक सामाजिक शक्तियों के कारण माना जा सकता है ।

तालिका संख्या- 155

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक - तांत्कृतिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में अभिरुचि

का विवरण :—

क्र. सं.	अभिरुचि	मत		कुलयोग प्रतिशत
		हाँ	नहीं	
1.	धार्मिक गतिविधियाँ तांत्कृतिक माध्यम से संचालित की जायें तो धर्म का प्रसार अधिक हो सकता है	60	40	100
2.	अन्य धर्मों के तांत्कृतिक समारोहों में भाग लेते हैं	50	50	100
3.	जैन धर्म की तांत्कृतिक गतिविधियाँ मानव कल्याण के लिये उपयोगी है	100	—	100

पंचम अध्याय

आर्थिक व्यवस्था

(अ) प्राचीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप

(ब) वर्तमान अर्थव्यवस्था का स्वरूप

(स) आर्थिक विस्तार

(द) समीक्षा

अध्याय - 5

आर्थिक व्यवस्था

(अ) प्राचीन अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

(ब) वर्तमान अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

(स) आर्थिक विस्तार

(द) समीक्षा

§ ३ § प्राचीन अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

दुबे §1974§ ने आर्थिक विकास के समाजशास्त्र का समाज वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया और इस अध्ययन के माध्यम से अनेक प्रकार के आर्थिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता के आधार पर विश्लेषित भी किया साधारणतः स्वतंत्रता प्राप्ती के वर्षों को मध्यस्थ मानते हुए स्वतंत्रता पूर्व की आर्थिक गतिविधियों को तथा स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात की योजनाओं को श्रेणीबद्ध विश्लेषित किया गया । उनके मतानुसार समाज की न्यून एवं व्यायक अवधारणाओं का विकास अनेक प्रकार के आर्थिक प्रयोजन द्वारा अर्जित किया जा सकता है भारतीय समाज व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से अत्याधिक विकसित न होने के कारण अन्तराष्ट्रीय मानक पर वांछित स्तर अर्जित नहीं कर सकी और इसके परिणाम स्वरूप भारत वर्ष के अनेक क्षेत्रों में आर्थिक समस्याओं के चिन्ह दिखाई देते हैं । तत्कालीन समाज व्यवस्था में सम्पूर्ण परिस्थियों की संरचना निश्चित उद्देश्यों के सापेक्ष प्रस्तावित की गयी थी और इसका प्रचलन इस अभिप्राय से था कि समाज में आसन्न प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक विकास गतिविधियों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रसंग में लाभान्वित होगा । आर्थिक विकास के प्रसंग में भारत वर्ष एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार की संकाल्पनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत तो किया जाता है लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन न होने के कारण उचित स्थिति वर्तमान समय तक अर्जित नहीं की जा सकी इस प्रकार क्वालिटी तथा क्वांनटिटी में उचित समायोजन नहीं हो सका । इस प्रसंग में पीयर्स §1962§ , डेकि इटन एवं गेलब §1962§ का भी उल्लेख किया जा सकता है । ऐतिहासिक परिवेश में तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना अत्याधिक आवश्यक है और इसका समाज शास्त्रीय संकलन क्रमानुसार दिया जा रहा है ।

भारत वर्ष के मध्य प्रदेश प्रान्त का जबलपुर जिला स्थापना की दृष्टि से अत्याधिक प्राचीनतम है और ब्रिटिश कालीन गजेटियर में इसे मध्य

प्रान्त के अन्तर्गत माना गया आरावती पर्वत तथा विन्ध्याचल पर्वत के मिश्रित सिलसिले में इस भूभाग में आर्थिक कठिनाइयों का व्यापक स्वरूप रहा । भूमि संरचना की दृष्टि से जनपद भिण्ड में बनजर एवं उपजाऊ मिश्रित प्रकार की भूमि होने के कारण कृषि कार्यों के चमत्कारिक लक्ष्य अर्जित नहीं किये जा सके, और इस प्रसंग में अधिक ग्रीष्म प्रभाव का भी उल्लेख किया जा सकता है । जो स्थानीय उत्पादकता को प्रतिबन्धित किये हुए है । ऐतिहासिक प्राप्त अभिलेखों के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड के चारो तरफ कटीले वृक्ष, जो चम्बलघाटी के सिलसिलों में मिश्रित होकर एक खोपनाकस्थिति का निर्माण करते हैं । वर्ष 1901 - 1947 तक के अवधि में किसी भी ब्रिटिश आर्थिक योजना के संचालन के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं । स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किये गये श्रम के आधार पर परम्परागत आर्थिक उपज कपास है और जो संभवता जनपद भिण्ड के भौगोलिक परिस्थिति के कारण पैदा होती है । जनपद भिण्ड में निवास करने वाले वरिष्ठ आयु के व्यक्तियों से सामान्य साक्षात्कार में यह सूचना एकत्रित की गयी कि स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आर्थिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व मिश्रित रूप से वहन किया जाये । इस संदर्भ में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि तत्कालीन समाज व्यवस्था में दूर की मण्डियों से व्यवसायी निश्चित तिथि और स्थान पर आकर एकत्रित होते थे और स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता की वस्तुयें स्थानीय उपज के बदले प्राप्त की जाती थी । इसे अर्थ शास्त्र के क्षेत्र में वार्टर व्यवस्था कहा जाता है । इसके समकक्ष जनपद भिण्ड में एक मात्र रूप से कुटीर उद्योगों के प्रसंग में परम्परागत व्यवायों का प्रचलन विद्यमान था, उदाहरणार्थ, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, बरार, नाई, सुनार, आदि । व्यवसायिक प्रखरता एक ऐसा विकल्प है जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इस क्रम मे उल्लेख किया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ती की अवधि तक कोई भी ऐसा प्रशिक्षण संस्थान जनपद भिण्ड में स्थापित नहीं किया गया जो तत्सम्बन्धित आवश्यकता की पूर्ति कर सके । वर्तमान प्रसंग में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि तत्कालीन समाज व्यवस्था के सदस्यों ने मात्र श्रम कार्य ही किया होगा लेकिन यह कहना कठिन है कि स्थानीय दुर्ग, मन्दिरों, तालाबों

अन्य स्थानों का निर्माण किन परिस्थितियों में किया गया । आर्थिक उन्नयन का लक्ष आवागमन के साधनों पर निर्भर करता है और इस क्रम में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद झिन्झु से राष्ट्रीय राजधानी जाने वाला रोड भी नवीन स्थापना है । इसका तात्पर्य यह हुआ जब आवागमन के साधन प्रचुरमात्रा में नहीं थे तो इसका आर्थिक विकास कैसे हो सकता था । वर्तमान प्रसंग में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि दुधारू पशुओं के पालन की प्रवृत्ति विद्यमान होने के कारण बीकानेर निर्यातका परम्परागत साधन विकसित किया गया था । इन समस्त मिश्रित घटनाक्रम का प्रभाव यह हुआ कि जनपद झिन्झु में निवास करने वाले प्रत्येक धर्म के व्यक्ति पर आर्थिक उत्तरदायित्वों का बोझ निरन्तर विकसित होता रहा और मौलिक रूप से उन्नयन का श्री गणेश मात्र स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद ही सम्भव हो सका ।

(ब) वर्तमान अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

भारत वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात संविधानिक निर्माण की प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया कि अगर भारतीय अर्थ व्यवस्था को नवीन मानकों द्वारा सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है और इसका प्रमुख क्रियान्वयन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रस्तावित किया गया । वर्ष 1950 से वर्ष 1992 तक की सम्पूर्ण अवधि में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र जनपद झिन्झु में स्थापित किये गये और इनके लक्ष्यों का निर्धारण एवं मूल्यांकन समय समयिक रूप से किया गया इस योजना में वित्तीय संस्थाओं की स्थापना , अनेक प्रशासनिक वर्गीकरणों का संचालन तथा अनेक प्रकार के कुटीर उद्योगों आदि के लिए बैंको की स्थापना आदि प्रमुख है । वस्तुतः लगभग 42 वर्ष की अवधि में जनपद झिन्झु की समग्र आर्थिक स्वरूप की व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास मुख्य स्तर पर किये जाने के कारण यहाँ के आर्थिक सौष्ठवता में वृद्धि हुई है । और इस वृद्धि में जैन धर्म के व्यक्तियों का सक्रिय योगदान है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद झिन्झु के जैन समाज के सदस्य अनेक प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत हैं और इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में स्थानीय व्यक्तियों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की वस्तुयें उपलब्ध हो जाती हैं । सम्पूर्ण जनपद में जैन धर्म के व्यक्तियों ने

जनरल स्टोर, वस्त्रों की दुकानों, सोना चांदी का व्यवसाय, होटल व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, परचूनी व्यवसाय, लेनदेन संस्थायें, लोहा व्यवसाय, पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यवसाय, तथा गल्ला व्यवसाय आदि पर स्वामित स्थापित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय दाल मिलें, आइस फैक्टरी, आयल मिल्स, डिपो आदि पर प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है। इस क्रम में डाक्टर त्रिचन (डा० एस. सी. जैन) प्राइवेट लिमिटेड, जैन फेरो अलॉज जो दवाइयाँ तथा फेरो सिलिकॉन का उत्पादन करते हैं तथा ये संस्थायें मालनपुर में स्थित हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में यह भी व्यक्त किया जा सकता है कि जैन धर्म के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वकालात, शिक्षण कार्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से हुई है। इस सम्पूर्ण विवस्था का प्रभाव यह पड़ा कि जनपद भिण्ड का जैन समाज आर्थिक मानक प्रसंग में अत्याधिक अग्रणीय है।

तालिका संख्या 57 में उत्तरदाताओं का व्यवसायिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 18 प्रतिशत नौकरी, 53 प्रतिशत व्यवसाय, तथा 9 प्रतिशत सेवानिवृत वर्ग में उत्तरदाता संकलित किये गये है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ न करने वाले वर्ग में प्राप्त हुए हैं। इन वर्गीकरण का विमोचन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्म के व्यक्तियों में व्यवसायिक प्रवृति सर्वाधिक है और इसका कारण पारिवारिक अनुपालनता के प्रसंग में स्पष्ट किया जा सकता है। साधारण सर्वेक्षण में यह देखा गया कि एक प्रकार के व्यवसाय में परिवार के अनेक सदस्य संलग्नित होते हैं। परम्परागत विवेचना में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जनपद भिण्ड में जैन समाज के व्यक्तियों द्वारा व्यवसायिक प्रभुसत्ता अर्जित की जा रही है। इसलिए वर्तमान तालिका के सम्पूर्ण उपलब्धियाँ सैद्धान्तिक मान्यता के अनुरूप हैं। जैन धर्म सम्प्रदाय के संकलित उत्तरदाताओं के पारिवारिक आय के स्त्रोतों का विवरण तालिका संख्या 5[illegible] में किया गया है। इस तालिका में व्यक्त किये गये तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि जनपद भिण्ड में जैन समाज के प्रसंग में 13 प्रतिशत नौकरी

तालिका संख्या -[57]

उत्तरदाताओं के व्यवसाय का वर्गीकरण

क्र. सं.	व्यवसाय	प्रतिशत
1.	नौकरी	18
2.	व्यवसाय	53
3.	सेवानिवृत	09
4.	कुछ नहीं करते	20
5.	अन्य कोई विवरण	——
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

सारिका संख्या -1598

उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण

क्र. सं.	आय के स्रोत	प्रतिशत
1.	नौकरी	13
2.	व्यवसाय	71
3.	खेती	10
4.	मिश्रित	6
5.	अन्य	----
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

7। प्रतिशत व्यवसाय । 10 प्रतिशत खेती एवं मिश्रित स्वरूप में 6 प्रतिशत आय के स्रोत विद्यमान है । इस प्रकार व्यवसाय का भी एक प्रतिशत पूर्ववर्ती विचार धारा का समर्थक है । वर्तमान प्रसंग में यह भी उल्लेखकिया जा सकता है कि कुछ जैन परिवार इस प्रकार के हैं जो आर्थिक प्रयोजन के लिए परम्परागत कृषि पर अवलम्बित है ।

समाज वैज्ञानिक क्रम में सर्वाधिक उल्लेखनीय सूचना तालिका संख्या 59 में अंकित की गई है । इस तालिका में पारिवारिक मासिक आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वाधिक 52 प्रतिशत वर्ग में मासिक आय रुपये 5000 /= से अधिक है और अनुक्रम में मात्र एक प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनकी पारिवारिक मासिक आय रुपये 500 /= से कम है । इस वर्ग में संतुलित की गई सूचनाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मध्यम वर्गीय आय वर्ग में उत्तरदाताओं का प्रतिशत पारिवारिक मासिक आय के सापेक्ष कम है । जो यह निष्कर्ष प्रदत्त करता है कि जैन समाज में व्यवसाय माध्यमों की वृद्धि होने के कारण मासिक आय के मानक में प्रभावशाली रूपांतरण हुआ है । वर्तमान प्रसंग में उत्तरदाताओं को एक मनोवैज्ञानिक अवसर प्रदत्त किया गया है । जिससे कि वह धर्म संघ के माध्यमों का विवरण दें । इस परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या 60 में दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत बैंक । 10 प्रतिशत पोस्ट ऑफिस 20 प्रतिशत बीमा कम्पनी । 10 प्रतिशत अन्य सम्पदा के रूप में तथा 10 प्रतिशत घरों में रखने की स्वीकृति देने वाले उत्तरदाताओं ने अनेक माध्यमों के चयन की स्वीकृति दी है । सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न अत्याधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए सम्पदा को बैंको में सर्वाधिक प्रतिशत सुरक्षित रखा जा रहा है । उत्तरदाताओं के परिवारों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण तालिका संख्या 61 में व्यक्त किया गया । इस में अन्य वर्गों के अतिरिक्त कार वर्ग में 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अस्वीकृति दी है तथा सामान्यतः टी.वी., फ्रिज, कूलर, टेलीफोन, स्कूटर, गैस आदि सुविधाओं के समानुपातिक प्रवृत्ति है । जिसका तात्पर्य यह स्पष्ट करना है कि जनपद भिण्ड में जैन समाज में भौतिक सुविधाओं के अनेक श्रेणियां विद्यमान हैं । और इसे सर्वाधिक मात्र में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का

तालिका संख्या-15%

उत्तरदाताओं के आकार पारिवारिक मासिक आय का विवरण

क्र. सं.	आय वर्ग	प्रतिशत
1.	500/- से कम	1
2.	500/-से 1000/- तक	6
3.	1000/- से 1500/- तक	13
4.	1500/- से 5000/- तक	28
5.	5000/- से अधिक	52
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या-159

उत्तरदाताओं के आधार पारिवारिक मासिक आय का विवरण

क्र. सं.	आय वर्ग	प्रतिशत
1.	500/- से कम	1
2.	500/-से 1000/- तक	6
3.	1000/- से 1500/- तक	13
4.	1500/- से 5000/- तक	28
5.	5000/- से अधिक	52
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - 160

उत्तरदाताओं के मतानुसार धन संचय के माध्यमों का विवरण

क्र.सं.	संचय का माध्यम	प्रतिशत
1.	बैंक	50
2.	पोस्ट आफिस	10
3.	बीमा	20
4.	अचल सम्पदा के रूप में	10
5.	घर में	10
6.	अन्य माध्यम	—
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - 61

उत्तरदाताओं के मतानुसार भौतिक सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	सुविधा	मत		कुल योग प्रतिशत
		हाँ	नहीं	
1.	टी. वी.	94	6	100
2.	फ्रिज	80	20	100
3.	कूलर	88	12	100
4.	टेलीफोन	81	19	100
5.	कार	14	86	100
6.	गैस	79	21	100
7.	स्कूटर	90	10	100

प्रभाव कहा जा सकता है । वर्तमान प्रसंग में पुनः उत्तरदाताओं को मनोवैज्ञानिक आधार पर परिभाषित किया गया , और इसका विवरण तालिका संख्या 62 में दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि 98 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए नीतिगत आधार के स्वीकृति करते हैं जबकि दो 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मिश्रित प्रयास द्वारा धनवृद्धि के प्रयासों को उचित दर्शाया है । यह उपलब्धि पुनः यह कहने के लिए बाध्य करती है कि आर्थिक उन्नयन के मूल्यों पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव जनपद झिन्झु के जैन समाज पर धनात्मकरूप से है । तत्पश्चात वर्ती प्रसंग में पारिवारिक सदस्यों के सेवा क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया और इसका निष्कर्ष तालिका संख्या 63 में दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के परिवारों के सदस्य 10 प्रतिशत मध्य प्रदेश , 88 प्रतिशत सम्पूर्ण भारत वर्ष में तथा 2 प्रतिशत विदेशों में सेवा रत हैं । इस का अभिप्राय यह है कि जनपद झिन्झु में निवास करने वाले जैन सम्प्रदाय के सदस्य आर्थिक अर्जन की दृष्टि से सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं विश्व के अनेकों क्षेत्रों में कार्यरत हैं ।

समाज मनोवैज्ञानिक प्रसंग में आर्थिक अर्जन के अतिरिक्त व्यय करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है । इसका तात्पर्य तालिका संख्या 64 में दर्शाया गया है । जिसमें अनेक प्रकार के मदों का विवरण है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि शतप्रतिशत उत्तरदाताओं ने धार्मिक एवं चिकित्सा कार्यों में व्यय को उचित बताया है जबकि 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनोरंजन कार्यों में व्यय की संस्तुति की है । इसके सम्बन्ध दान की अभिरुचि का वर्ग सामानुपातिक प्रतिशत में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राप्त हुई है । इसके सम्बन्ध भोगविलासता की वस्तुओं के प्रसंग में किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति मात्र 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दी है । जबकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत विचार के पक्ष में अभिमत दिया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि धर्म , मनोरंजन , दान चिकित्सा एवं विलासता आदि सभ सामयिक वर्ग हैं और योग्यतानुसार इनमें व्यय किया जा सकता है ।

तालिका संख्या -(62)

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक आय के प्रसंग में संचय

मनोवृत्ति का विवरण :-

क्र. सं.	मनोवृत्ति	
1.	नीति के आधार पर	98
2.	अनीति के आधार पर	----
3.	मिश्रित प्रयास द्वारा	2
4.	अन्य	----
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या -163

उत्तरदाताओं के आधार पर पारिवारिक सदस्यों के सेवा क्षेत्र

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	मध्य प्रदेश	10
2.	भारत वर्ष	88
3.	विदेशों में	2
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या -(64)

उत्तरदाताओं के अनुसार आय खर्च करने के मदों में अभिरुचि का विवरण

क्र.सं.	अभिरुचि	हाँ	नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	धार्मिक कार्य	100	—	100
2.	मनोरंजन	89	11	100
3.	दान	50	50	100
4.	चिकित्सा	100	—	100
5.	भोग विलास	20	80	100

तालिका में स्पष्ट भदों के सम्बन्ध में संकेत प्राप्त होता है कि जनपद किन्नौर में निवास करने वाले जैन समुदाय के व्यक्तियों की आर्थिक परिस्थितियां आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव में हैं। और इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष तालिका संख्या 65 में दर्शाया गया है। जिसमें 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पारिवारिक सदस्यों के दृष्टिकोण को आर्थिक वितरण के परिप्रेक्ष्य में धनात्मक रूप से स्वीकृत किया। जबकि 19 प्रतिशत नकारात्मक रूप में है। जो पुनः पूर्ववर्ती विचारधारा को प्रबल समर्थन माना जा सकता है।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रसंग में आर्थिक मूल्यों को ओक-निवेशक परिपेक्ष्य में मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया और इसका विवरण तालिका संख्या 66 में अंकित किया गया है। वर्तमान तालिका के उपलब्धियां समाजशास्त्रीय रूपरेखा में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं में पारिवारिक आय के स्वरूप को संयुक्त अवधारणा के रूप में स्वीकृतकिया है। जबकि इसके तापेक्ष्य 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वरूप व्यक्तिगत आय संरचना के विकल्प के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि की व्यवहारिक व्यवस्था में यह वर्णित किया जा सकता है कि किसी भी संगठन का वर्चस्व एकता के आधार पर स्थापित रह सकता है। जबकि व्यक्तिगत आधार पर संकलित इकाईयों का सुरक्षित रहना कम संभव है। इस बात की प्रमाणिकता अनेक प्रकार के दृष्टांन्तों में दी गई है। सामाजिक व्यवस्था में जन संख्या घनत्व के आधार पर संगठन का स्वरूप प्रभावी होता है। तो आर्थिक प्रयोजन में यदि अवयवों के व्यक्तिगतता में वृद्धि होती है तो यह निष्प्रयोज्य उपलब्धि नहीं है। अपितु इसका स्वरूप आधुनिक शक्तियों के प्रभाव के कारण कदाचित प्रभावित है। इस प्रकारआर्थिक नियोजन एवं विनियोजनों के अनेकानेक प्रसंगों में जनपद किन्नौर में निवास करने वाले जैन समाज के सदस्यों को परिभाषित किया गया है।

तालिका संख्या - (65)

उत्तरदाताओं के मताबुसार आर्थिक वितरण से पारिवारिक सदस्यों

का दृष्टि :-

क्र. सं.	दृष्टिकोण	प्रतिशत
1.	हाँ	81
2.	नहीं	19
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या -।66।

उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक आय का स्वरूप

क्र.सं.	आय का स्वरूप	प्रतिशत
1.	संयुक्त	83
2.	व्यक्तिगत	17
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

(स) आर्थिक विस्तार

भारत वर्ष के मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड के आर्थिक विस्तार के परिपेक्ष्य में अनेक प्रकार की सूचनायें उपलब्ध हुई हैं और इन्हें क्रमानुसार अंकित किया जा रहा है । जनपद भिण्ड के प्राचीन अर्थ व्यवस्था का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि यहाँ के अर्थ व्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के स्वरूप से मिलता जुलता था । इसका एक प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र ही उत्पादन की इकाई के एक मात्र स्रोत थे । गेहूँ चना, सरसों, गन्ना, अरहर, बाजरा, अलसी, यहाँ की प्रमुख फसलें हुआ करती थी एवं कपास का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता था । पशु पालन भी एक मुख्य व्यवसाय था यहाँ तक की अधिक घरों में पशु पालने का रिवाज था, गाय भैंस दूध के लिए एवं भेड़ें ऊन के लिए पाली जाती थी । यही कारण है कि यहाँ पर घी का उत्पादन, ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में अधिक मात्रा में हुआ करता था । जनपद में घी, गुड़ एवं लोहे का व्यापार भी बड़ी तादाद में होता था । आज भी जनपद में कई मुहल्लों के नामों का उल्लेख सम्बन्धित व्यापारों के अनुरूप देखने को मिलता है । जैसे गुड़आई मुहल्ला, घिआई मुहल्ला, लुहराई मुहल्ला, इससे लगता है कि उपरोक्त स्थान इन वस्तुओं के व्यापार के प्रमुख केन्द्र रहे होंगे । जनपद में जनवरों की खालों को सुखाकर चमड़े के जूते एवं पानी खींचने की मोठ तथा मसकें आदि बनाई जाती थी । व्यापारी वर्ग समृद्ध था । गेहूँ चना, अरहर, चावल, पत्थर का सामान, दाले, घी आदि का निर्यात होता था । बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ से कपास मिलों में साफ होकर ग्वालियर की मिलों में वस्त्र के रूप में परिणित करने हेतु भेजा जाता था । आज भी यहाँ पर कपास के जिनिंग फैक्टरियों की चिमनियाँ विद्यमान हैं । जो कि भिण्ड नगर के औद्योगीकरण के विकास और अवन्निति को दर्शाती है । वर्तमान में यह मिले केवल अवशेष के रूप में दिखाई देती हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के साधन सीमित थे, साधनों के रूप में ऊँट, इक्का बैल गाड़ी, घोड़ा आदि साधनों को प्रयोग में लाया जाता था । इस सम्बन्ध में बुजुर्गों का कहना है कि कुछ व्यक्ति तो व्यवसाय के सम्बन्ध में पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे ।

ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार भिण्ड शहर को ग्वालियर से जोड़ने के लिए सिंधियाराज घराने ने सन् 1895 ई० में एक छोटी रेलवे लाइन बिछवाई थी । भिण्ड नगर के विकास में इस अंचलकी रेल लाइन का विशेष योगदान है । बताते हैं कि भिण्ड से मंडी को संपूर्ण आयात - निर्यात और आवागमन से जोड़ने का एक मात्र साधन था ।प्राचीन अर्थ व्यवस्था के निरंतर विकास में अवरुद्ध पैदा हो जाने के सम्बन्ध में किसी जानकारी के अनुसार यह क्षेत्र 1950 से भीषण डकैती की चपेट में आया । दस्युओं के आतंक के कारण यह क्षेत्र भीषण अत्याचार जुल्म शोषण और अन्याय की कहानी बन कर रह गया । प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यवसायी एवं नागरिको ने नगरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया । जिनके पास पैसा था उन्होंने दूसरी जगह जाकर व्यवसायों को अपनाया । कुछ लोग शहरी क्षेत्र में आकर अपने अपने व्यवसाय करने लगे । लेकिन 1960 के बाद इस क्षेत्र में अमन चैन एवं शांति स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किए गये । सर्वोदयी कार्य कर्ताओं, समाज सेवी कार्यकर्ताओं, एवं शासन के प्रयासों से दस्युओं के आत्म समर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई और निरन्तर इस क्षेत्र में आशा के अनुरूप सफलता मिलती गयी और एकबार फिर विकासोन्मुख के द्वार खुले आधुनिक कृषिका उपकरणों एवं शासन की उदारनीतियों से जहाँ एक ओर कृषि को मजबूत हुआ और दूसरी ओर कुटीर एवं लघुउद्योग यहाँ की अर्थ व्यवस्था के मुख्याधार बने । मालनपुर के रूप में इस जिले को विकास का सबसे बड़ा तोहफा मिला । यह क्षेत्र प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है । इससे न केवल भिण्ड जिले बल्कि सम्पूर्ण ग्वालियर सम्भाग सम्भाग की तरक्की के नए रास्ते खोल दिए हैं । मालनपुर में करोड़ों की लागत से जो उद्योग लगाए जा रहे हैं वे अंचल के हजारो लोगों को रोजगार मुहैया कराने में तो सक्षम होंगे ही इसके साथ ही विदेशी विनिमय के कारण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी आशातीत बदल परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे । व्यापारायात और संचार के साधनों में निरन्तर वृद्धि हो रही है गुना - इटावा रेल लाईन भी भिण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी । इस रेलवे लाईन के शुरू हो जाने से यह जिला । यातायात की वर्तमान दिक्कतों से निजात तो पा ही जाएगा साथ ही क्षेत्र के प्रमुख नगरों से सीधा यातायात सम्पर्क भी जुड़ जाएगा । कुल मिलाकर जिले में हर क्षेत्र में एक नई चेतना दिखाई दे रही है ।

उपर्युक्त विवेचना ऐतिहासिकपरिपेक्ष्य में दर्शायी गयी है । ऐतिहासिक उद्धरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्नीसवी शताब्दी के अंत में तथा बीसवी शताब्दी के मध्य भाग तक जनपद झिण्डमें आर्थिक उपक्रमों का स्वरूप किस प्रकार नियोजित किया जाता था । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि धार्मिक प्रयोजन का स्वरूप अत्याधिक प्राचीन है और तत्कालीन समाज व्यवस्था में अन्य धर्मो के व्यक्तियों के तुलनात्मक जैन धर्म के व्यक्ति भी अवसाद पूर्ण आर्थिक व्यवस्था के प्रवर्तक रहे तथा इसका एक मात्रउल्लेखनीय कारण संचार माध्यमों का विकास न होना तथा सम्बन्धित स्त्रोतों का उपलब्ध न होना , को माना जा सकता है । समाज वैज्ञानिक प्रसंग में जनपद झिण्ड की ऐतिहासिक स्थिति तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम वैचारिक चिन्तन में उल्लेखनीयसमायोजन का आधार इसलिए हो सकते है कि आवश्यक उपयोगीता की वस्तुए सामाजिकरण इकाईयों को यदि उपलब्ध न होगी तो उनमें कुंठा विकसित होगी जो सम्पूर्ण सामाजिक संरचना के लिए हानि कारक हो सकती है । मानवीय प्रसंग मे एक विचार और भी व्यक्त किया जा सकता है कि अनेक धर्मावलम्बियों की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण यदि वांछित निर्वाह के स्त्रोत उपलब्ध नही होते है तो उनके अन्तर्गत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है जो पुनः किसी भी संगठन के लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है ।

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात जनपद झिण्ड में साक्षरता कार्यक्रम को प्रमुखता प्रदान की गयी और वर्तमान समय में इसे कई साक्षरताकरण केन्द्र प्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जिनसे हजारों व्यक्तियों को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है । जनपद झिण्ड में 6 पशु स्वास्थ्य केन्द्र एवं । अर्धम पशु संकलन केन्द्र , 14 पशु औषधालय , 10 पशु चिकित्सालय , । पशु निरोधात्मक , । चलपशु चिकित्सा इकाई तथा 5 पशु जनन केन्द्र कार्यरत है जिनमें नियमित चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध है इसके सम्बन्ध सम्पूर्ण जनपद में लगभग 7 लाख पशु है तथा लगभग 30 हजार कुक्कुट है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए दुधारू पशु क्रय करने की स्कीम चलाये और इसके फलस्वरूप लगभग । सैकड़ों व्यक्ति लाभान्वित हुये ।

इसके समकक्ष सूखर इकाईयों का विकास भीसरकार द्वारा किया गया । स्थानीय प्रशासनिक सूचनाओं के आधार पर वर्ष 90 - 91 में लगभग 90 लाख लीटर दूध संकलित किया गया और इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि जनपद भिण्ड में डेरी विकास कार्यक्रम अत्याधिक उल्लेखनीय है । प्रशासनिक आधार पर संचालित 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है । वर्ष 1985 के पश्चात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 20 हजार व्यक्तियों ने स्वयं का व्यवसाय चयनित किया और अनेक बैंको से लगभग 5 करोड़ रुपये तथा जिला विकास अभिकरण द्वारा लगभग 2 करोड़ का अनुदान प्रदत्त किया गया इसके समकक्ष ट्राइसेमयोजना भी संचालित है इसके अन्तर्गत लगभग 300 लोग स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ कर चुके हैं ।

जनपद भिण्ड में अन्त्यावसायी योजना , राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम , ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना , महिला एवं बालविकास योजना, पोषण आहार योजना मध्यान्ह भोजन योजना , डी0 डब्लू0 सी आर0 ए0 योजना, महिला जागृति शिविर योजना, तन विस्तार एवं पर्यावरण की रक्षा योजना , लोक निर्माण योजना, आदि कार्यरत हैं । समाज शास्त्रीय प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड उद्योगों की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें जो कायाकल्प हुई है उसमें सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय मालनपुर क्षेत्र को औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना । मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1000 हजार 8 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है और इसमें लगभग 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी इसमे लगभग 15 सौ करोड़ के वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं । वर्तमान प्रसंग में यह एकत्रित करने का प्रयास किया गया कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के कौन - कौन से इकाईयाँ संलग्नता के लिए प्रस्तावित हैं और इसका विवरण तालिका संख्या 67 में दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से प्रबल आर्थिक प्रसार का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है । इसके समकक्ष

तालिका संख्या - 67

जनपद भिण्ड में संचालित मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में क्रियाशील इकाईयों का विवरण

क्र. सं.	इकाई	सम्भावित उत्पादन
1.	सुचिबा इण्डस्ट्रीज	रिजिड पीव्हीसी पाईप
2.	वशिष्ठ ट्रेक्स प्रा० लिमि०	फिश प्लेट, रेल्वे ट्रेक आइटम
3.	स्टेलर फार्म्स प्रा० लिमि०	हेचबल एग्स
4.	बेरॉक लाइनर्स लिमिटेड	बेल्डिंग रॉड
5.	अवस्थी फोम इण्डस्ट्रीज	मैट्रेसेस, कुशन
6.	कुबेर ओवरसीज प्रा० ~~लिमि~~ लिमि०	पीबीसी कम्पाउण्ड एण्ड पाईप
7.	एस. बी. एम. इलेक्ट्रोडस	बेल्डिंग रॉड
8.	ग्वालियर रबर प्रा० लिमि०	ट्रेड रबर सोल्युशन
9.	डायरॉन लेब्स प्रा० लिमि०	दवाईयाँ
10.	नवदीप मेटल्स प्रा० लिमि०	स्टील कास्टिंग
11.	कुशवाहा जूट बेग्स इण्डस्ट्रीज	जूट बेग्स
12.	केशवानन्द केमिकल्स प्रा० लिमि०	प्लास्टिक बॉक्स स्ट्रेपिंग
13.	कनक सिरामिक्स प्रा० लिमि०	रिफ्रेक्टोरीज

क्र. सं.	इकाई	सम्भावित उत्पादन
14.	सुपर टैक इण्डस्ट्रीज	जी. आई. वायर निटंग कार्ड बोर्ड बॉक्सेज
15.	अेक बेल्ड प्रा० लिमि०	वेल्डिंग रोड्स
16.	चतुर्वेदी मेटल्स प्रा० लिमि०	स्टील रोलिंग
17.	एम. आर. टोबेको प्रा० लिमि०	प्रोसस्ड टोबेको , पान मसाला
18.	गोल्ड वाटर कैप्स प्रा० लिमि०	पिलफर प्रूफ कैप्स
19.	स्टील प्रा० लिमि०	स्टील कास्टिंग
20.	जेन फेरो अलायेज	फेरो सिलिकॉन
21.	ए.पी. फोम प्रा० लिमि	पॉली यूरेथेन फोम
22.	स्मृति अलॉयज एण्ड स्टील प्रा० लिमि	स्टील कास्टिंग
23.	तरुन पम्प्स प्रा० लिमि०	सबमसबल पम्प्स, कंट्रोल पेनल
24.	मध्यप्रान्त मीडिया प्रा० लिमि०	जॉब प्रिंटिंग वर्क्स
25.	मेटा एलॉयज	फेरो सिलिकॉन

जल प्रदाय बोर्ड के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भूमिगत जलस्रोत , पानानला जल प्रदाय योजना , मुरार नदी जल प्रदाय योजना , कोतवाल जल क्लेक्शन योजना , ग्रामीण योजना तथा दुरसंचार योजना आदि प्रस्तावित हैं । सम्पूर्ण जिला जलग्रह में नहर तथा नलकूपों की मरम्मत का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है जिसमें की कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जा सके ।

समीक्षा

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रस्तुत चरण में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण तथ्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया और इस क्रम में प्राचीनतम आर्थिक घटनाक्रम का विवरण देते हुए यह कहा जा सकता है कि जलग्रह जिला में ऐसे आर्थिक परिवर्तनों को सम सामयिकता के आधार पर स्वीकृत किए रखा है जो भाग ऐतिहासिक विषय वस्तु तो है लेकिन मानवीय चेतना के अन्तर्गत इनकी उपादेयता निर्विवाद रूप से मान्य है । बीसवीं शताब्दी की सम्पूर्ण अवधि अत्याधिक उल्लेखनीय है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दुरूप प्रभाव इस समाज पर दे और इस कारण आर्थिक अवस्थिति निरन्तर होती रही कालान्तर में प्रजातांत्रिक प्रशासनिक क्रिया कलापों का केन्द्रीकरण इस प्रत्यय की पृष्ठभूमि में किया गया कि समाज आर्थिक उपक्रमों का समानुपातिक विकास हो सके । यह पुनः उल्लेखित किया जा सकता है कि जलग्रह जिला में निवास करने वाले जैन धर्म के व्यक्ति आर्थिक प्रसंग में उल्लेखनीय स्थिति में हैं क्यों कि वर्तमान सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं के परिवारों की मिश्रित आय लगभग 5 हजार से अधिक है । स्वावलम्बी प्रवृत्ति के अन्तर्गत अनेक प्रकार के उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए है जो आर्थिक विकास कार्यक्रम में स्वयं के पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानते है । राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं में समाज के सर्वमुखी विकास की प्रत्याशा की गयी है और इसका सर्वाधिक लाभ भामन्दुर औद्योगिक इकाईयों के माध्यम से संभावित प्रतीत होता है । वर्तमान परिवेश में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि परम्परागत आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन को जो प्रतिबिम्ब दिखाई देता है

वह निश्चित रूप से आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के कारण है और इसके माध्यम से पूर्व निर्धारित परिकल्पना की पुष्टि अकसर आर्थिक प्रयोजन के प्रसंग में भी होती है। समाजशास्त्रीय दर्शन के अन्तर्गत यह व्यक्त किया जा सकता है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों में वैचारिक परिवर्तन एक मात्र रूप से आधुनिक सामाजिक शक्तियों की ही देन है जो कि प्रस्तुत अध्याय की मुख्य उपलब्धि मानी जा सकती है।

———— xxxx ————

षष्टम अध्याय

समाज-आर्थिक समन्वय

अध्याय - 6

समाज - आर्थिक - समन्वय

समाज - आर्थिक - समन्वय

वर्तमान शोध प्रबन्ध में प्रसंग में प्रस्तुत अध्याय का संकलन अनियंत्रित इकाईयों को संकलित करने के अभिप्राय से किया गया है सामाजिक संरचना में विद्यमान प्रतीकात्मक अवधारणाओं का विमोचन आर्थिक परिवेक्ष्य में समाविष्ट होगा। प्रस्तुत प्रसंग में अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन आवश्यकतानुसार समाज वैज्ञानिक आयाम में किया जा रहा है और इसकी तार्किकता का भाग सम्बन्धित विषय में रुचि रखने वाले शिक्षाविदों को होगा । भारतीय दर्शन में विद्यमान अनेक धुनीतियों का निवारण करना संभव नहीं हो सकता है लेकिन इस दिशा में एक प्रयास तो किया ही जा सकता है । औपनिवेशक पद्धति में परिवर्तित होते हुए प्रतिमानों का प्रभाव समाज आर्थिक समन्वय पर पड़ा इसलिए इसका रेखांकित किया जाना पूर्णतः बौद्धिक एवं सामाजिक है । सैद्धान्तिक दर्शन की मान्यतायें प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य करती है एक विशिष्ट प्रवृत्ति चयन के लिए जो संरचनात्मक गतिशीलता में समाज आर्थिक प्रतीत होती है । इसका समाज मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यदि प्रस्तुत किया जाय, तो कौन होगा ऐसा शिक्षाविद एवं समाज शास्त्री जो इसके औचित्य पर आपत्ति करे । सामाजिक विसंगतियों को आर्थिक विकेन्द्रीकरण के प्रसंग में यदि मूल्यांकित किया जाय तो एक ऐसे शैक्षणिकी शिक्षु का चालन पोषण किया जा सकता है जो समाज की अवधारणा से जाना जा सकता है । प्रस्तुत प्रसंग में तर्क एवं विवेक के आधार पर कुछ समाज वैज्ञानिक यह संस्तुति कर सकते हैं कि अमुक प्रकार की अवधारणायें विश्लेषण के प्रयास में उचित हो सकती थी लेकिन इस विचारधारा को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है क्यों कि बौद्धिक पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं है और इस आग्रह के अन्तर्गत ही विश्लेषण का प्रस्तुत किया जा रहा है कि रुचि और क्षमता के आधार पर जो भी किया जायेगा वह प्रासंगिक अर्थ में भावपूर्ण एवं उपयोगी होगा । इस प्रकार समाज आर्थिक समन्वय की आधार शिला व्यावहारिक दर्शन के माध्यम अंकित की गयी है । योजना एवं उसके क्रियान्वयन के क्रम व्यवस्था के अन्तर्गत परार्थवादी प्रतीत होते हैं और संक्षेपता इस विचार धारा का समुचित ध्येय समाज आर्थिक

प्रसंग में हो सकता है । परम्परागत समाज वैज्ञानिक बहुयामी पद्धतियों के प्रभाव से अकिंचन थे और इस कारण वर्तमान शोध अध्ययन की विषय वस्तु अर्न्तविजयी होने के कारण आधुनिक परिपेक्ष्य में उपयोगी है । प्रस्तुत प्रसंग में सम्बन्धित विषय वस्तु की दृष्टि से उपयोगी विवरणों को अंकित करना अपरिहार्य प्रतीत होता है ।

सामाजिक व्यवस्था में संरचना, संस्कृति, धर्म तथा अर्थ के आधार मूल्यों में परिवर्तन होना एक ऐतिहासिक ध्रुव सत्य है । केप (1963) ने अपने एक अध्ययन में धर्म के प्रसंग में हिन्दुज्मको सामाजिक व्यवस्था का वह आवश्यक आधार बताया है जो भारतीय व्यवस्था में विकास गतिविधियों को तात्कालिक रूप से प्रभावित करने में योगदान रखता है ।इसके समकक्ष सिंगर (1956) द्वारा भारत वर्ष के आर्थिक विकास के प्रसंग में सांस्कृतिक मूल्यों को उत्तरदायी बताया है इन प्रसंगों में हिन्दू संस्कृति, कर्म का सिद्धान्त, पाप और पुण्य की अवधारणा, चक्रीय अवाधियाँ, और इच्छा रहित कार्य तथा जाति, संयुक्त परिवार सामाजिक वर्गीकरण इत्यादि भारतीय आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने में सहयोगी माने गये हैं । टिलमेन (1963) ने आर्थिक विकास कार्यक्रम पर जाति का प्रभाव अध्यानित किया और निष्कर्ष के रूप में यह उल्लेख किया कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान वर्ग के आधारों पर आर्थिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है क्यों कि इसमें सामाजिक गतिशीलता सर्वाधिक रूप से प्रभावित हो जाती है । इस प्रसंग में यह भी उल्लेख किया गया कि वस्तुतः समाज में विद्यमान वह परम्परागत प्रवृत्तियाँ जो कार्य विशेष के प्रसंग में उल्लेखनीय है, संकीर्ण विचारधारा में पड़ने के कारण आर्थिक गतिशीलता को अस्त व्यस्त कर देती है । एस. सी. दुबे (1964 बी.) ने सामाजिक संरचना तथा परम्परागत जटिलताओं के प्रसंग में यह अध्यनित किया कि कृषि विकास अवरोधित हो जाता है । वर्तमान प्रसंग में उपयोगी शोध पत्रों के सापेक्ष मोरिस (1967), राव (1968), मदन (1968), मिश्रा (1962), शरन (1962), सिंह (1968), लूमिस एण्डलूमिस (1969), सहाय (1967), पाण्डे (1970) गुप्ता (1971 आदि का उल्लेख किया जा सकता है । इन समस्त अध्ययनों में सम-सामाजिक प्रयास किया गया है ।इन इकाईयों के विमोचन का जो समाज आर्थिक प्रभावों के लिए उपयोगी हो सकते हैं । इस प्रकार भारत वर्ष के

विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्रों में शोध कार्यों का संचालन जिस उत्साह के साथ किया गया उसमें एक मात्र विवेचना का प्रश्न यह था कि समाज आर्थिक पारस्परिकता किस प्रकार का प्रभावी स्वरूप है इस जिज्ञासा का उपयोगितानुसार निराकरण भी किया गया और लक्ष्य सम्बन्धित क्षेत्रीय क्षेत्रों के बारे में समाज वैज्ञानिक टीकाओं का जो दौर चला उसे वर्तमान प्रसंग में सराहनीय कहा जायेगा । यह बात अलग है कि इन अध्ययनों में निरन्तरता का अभाव होने का कारण स्थाई प्रतिमानों का निर्माण करने में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल सकी । क्योंकि प्रत्येक समाज वैज्ञानिक स्वयं की मान्यताओं के आधार पर पूर्वाभासी का संकलन इस प्रकार करता है कि क्रमिकता का संकल्प पूर्ण दिखाई तो देता है किन्तु ऐसा यथार्थ रूप में होता नहीं है ।

समाज आर्थिक प्रसंग में प्रभावी व्यक्तियों का सर्वाधिक योगदान होता है और इस दिशा में किये गये समाजवैज्ञानिक अध्ययनों में लीला दुबे (1965) , अटल (1968), मोढी (1968), पार्क एण्ड टिंकर (1959), तथाधिकारी (1967) का उल्लेख किया जा सकता है ।इन समस्त अध्ययनों में यह प्रयास किया गया कि क्षेत्रीय प्रभावी व्यक्तियों एवं नेताओं के कारण समाज आर्थिक गतिविधियां निश्चित रूप से प्रभावित होती हैं । इस प्रकार समाज आर्थिक समन्वय को विमोचित करने की दिशा में इन योगदानों को संदर्भीकरण को उचित ठहराया जा सकता है ।

वर्तमान शोध सर्वेक्षण में संकलित किए गये मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले के जिन उत्तरदाताओं के प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि परम्परागत धर्म निर्पेक्षता की पद्धति में विश्वास करते हुए इन प्रतिनिधियों ने समाज आर्थिक विकास की एक ऐसी मिशाल प्रस्तुत की है जो अन्यत्र कहीं प्राप्त होनाअसम्भव है । वस्तुतः प्रस्तुत शोध अध्ययन की सम्पूर्ण समाज आर्थिक गतिविधियों का विमोचन करने पर यह भी निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब कभी भी कोई भावनात्मक आधुनिक शक्तियों के कारण प्रभावित होता है तो इसका अवरोधक प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती वर्णित अध्ययनों के प्रसंग में प्रस्तुत अध्ययन मात्र एकीकरण है जो उन सभी प्रकारी समाज वैज्ञानिकों के सम्बर्द्धन लिए उपयुक्त हो सकता है जो काल

किया की दृष्टि से दीर्घ कालिक अध्ययन में रुचि रखते हैं । प्रस्तुत संदर्भ में यह भी उल्लेखकिया जा सकता है कि वर्तमान अध्याय की सम्पूर्ण व्याख्याएं सैद्धान्तिक मान्यताओं के अन्तर्गत है और समाज आर्थिक दोनो पक्षों में प्रारम्भिक मूल्यों की मौलिक संरचनाओं पर आधुनिक शक्तियों का प्रभाव विश्लेषित है । इसलिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रस्तुत कठोर तथ्य समर्थन का महत्व समाज वैज्ञानिक अवश्य अनुभव करेंगे । हम सामाजिक विचार धारा के क्रम में विचारों को परिष्कृत रूप से निर्देशित करने का प्रस्ताव किया गया है और कदाचित इसका सामूहिक अर्थ व्यक्त किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि समाज आर्थिक समन्वयता वह सदुद्देश्य अवलम्बन है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक काल एवं समाज को है और इस अनुक्रम में जनपद निम्न के जैन धर्मावलम्बियों तथा अन्य धर्मों के व्यक्तिसमूहों के सन्दर्भ में आधुनिक सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित है और इससे पूर्ववर्ती विचारधारा की पुष्टि होती है ।

——— xxxxxx ———

सप्तम अध्याय

अन्य तथ्यों का विवरण

अध्याय - 7

अन्य तथ्यों का विवरण

(अ) राजनैतिक घटनाक्रम

(ब) समीक्षा

(अ) राजनैतिक घटनाक्रम

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के वर्तमान अध्याय के अन्तर्गत मध्य-प्रदेश प्रान्त के जनपद छिन्द में निवास करने वाले जैन सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों से संकलित उस प्रोफार्मा की सूचनाओं का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है जो अन्य-अन्य कारणों से अनुपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। सैद्धान्तिक रूप से यह विदित है कि सामाजिक संगठन में विद्यमान प्रतिमानों के सापेक्ष राजनीतिक घटनाक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः शोध सर्वेक्षण में राजनैतिक अवधारणा की विषय वस्तु एवं इसके प्रचलन को अध्ययन का प्रमुख आधार नहीं बनाया गया फिर भी प्रतांगिकता के आधार पर एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण सामाजिक परिधि में आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण में राजनैतिक प्रतिमानों का विवरण एकमात्र रूप से तार्किकिक है वर्तमान परिपेक्ष्य में यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि संकलित राजीतिक समीकरण क्रमानुसार मूल्यांकित कि जाये। समाज वैज्ञानिक दर्शन में इस अभिप्राय के अनेक सूक्ति कथन विद्यमान है कि राजनैतिक अवधारणायें ऐसी विधियां हैं जिनसे सामाजिक मूल्य प्रभावित होती हैं। प्रस्तुत प्रसंग में आन्द्रे बी.टी (1969 बी) का उल्लेख किया जा सकता है जिनके द्वारा यह अध्यापित किया गया कि राजनैतिक व्यवस्था तथा उसके अध्ययन की पद्धतियों की समस्यायें प्रमुख रूप से विचारणीय हो सकती हैं। इस क्रम में गुप्ता (1967) का विवरण दिया जा सकता है जिन्होंने अवधारणाओं की अपूर्णताओं को भारतीय राजनैतिक समस्याओं के प्रसंग में ध्यान आकर्षित किया वस्तुतः डेवरने (1951) द्वारा राजनैतिक समाज शास्त्र का ग्रन्थिक संकलन किया। वर्तमान प्रसंग में कोलेसन (1968) को राजैतिक मानवशास्त्र का क्षेत्र निर्धारण करने के अभिप्राय में विशेष उल्लेख दिया जा सकता है राजनैतिक समाज शास्त्र के दर्शन के अन्तर्गत लिपसेट (1959)। गलफीन्ड (1957)। राउलेक (1957)। स्ट्रोन्ड एण्ड सडोवड (1959)। और राव्सन (1917)। नायडू (1920)। रज्ज (1925)। पेट्रो-(1932)। मेरिएट (1955)। कीचियान (1954)। लेक्सि (1955)। पसुरर हेमन्ड-डोर्फ (1962)। मेयर (1967)। कोठारी (1970)। गार्डनर (1968)। डमुमोंट एण्ड-

पीकोक (1957), उमन (1970ई.), अटल (1968 ई.), तथा केली (1960ई.) का उल्लेख किया जा सकता है। इन समस्त अध्ययनों में सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक प्रकार के सामाजिक कारकों का योगदान राजनैतिक प्रसंग में क्रियान्वित किया गया। और इस प्रकार प्रारम्भिक चिन्तन की परिधि के अन्तर्गत दर्शनीय अध्ययनों में वह आधार पटल विद्यमान है जो लोकाचार के अन्तर्गत राजनैतिक कर्तव्यनिष्ठा में गुणात्मक सक्रियता के लिए उपयोगी हो सकता है। इन समाज वैज्ञानिकों के अध्ययन के माध्यम से भारत वर्ष के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विद्यमान समाज - सांस्कृतिक मूल्यों का मूल्यांकन राजनैतिक अवधारणा के सापेक्ष होने के कारण, यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि उनका वांछित उद्धरण किया जाय।

समानान्तरक्रम में वर्तमान सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का उल्लेख इस आशय से किया जा रहा है क्यों कि परोक्ष भाव में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत राजनैतिक कारकों का प्रचलन जिस प्रकार है उसकी उपादेयता सामाजिक एवं समाजवैज्ञानिक है। प्रस्तुत सम्बन्धित अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियाँ संभवित रूप से यह निर्दिष्ट करेगी कि जेन समाज के धार्मिक मूल्यों के सापेक्ष अन्तर्वर्ती बिन्दु में राजनैतिक गतिशीलता का स्वरूप ऊर्ध्वाधर है अथवा समान्तर। तालिका संख्या 68 में सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं की राजनैतिक अभिरुचि का विवरण प्रस्तुत किया गया है और इस तालिका में दर्शाये गये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि राजनैतिक दलों की सदस्यता के प्रसंग में सहमति एवंअसहमति के दृष्टिकोण में समान्तरीय प्रवृत्ति विद्यमान है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाता मिश्रित व्यक्तित्व के हैं तथा परोक्षरूप में इसे परम्परात्मक एवं आधुनिक समायोजना कहा जा सकता है और संक्षेपता इन दोनों अवलम्बनों में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव किस दृष्टि को पर अधिक है यह समाजशास्त्रीय चिन्तन परम उद्देश्य है। ऐतिहासिक घटनाओं क्रमों के सापेक्ष पुरानी पीढ़ी के सदस्यों ने यह सूचित किया है कि वह विगत कई वर्षों से राजनैतिक दलों के सक्रीय सदस्य हैं इसके समक्ष वर्तमान समय के सदस्यों में इस अभिप्राय का वैचारिकमतभेद विद्यमान है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों के सदस्य राजनैतिक क्रिया कलापों के लिए

तालिका संख्या - 168

उत्तरदाताओं की राजनैतिक अभिरुचि का विवरण

क्र. सं.	दृष्टिकोण	मत		कुलयोग प्रतिशत
		हाँ	नहीं	
1.	राजनैतिक दलों की सदस्यता उचित है	59	41	100

सहज में तत्पर नहीं होते हैं । वर्तमान प्रसंग में उत्तरदाताओं को एकमनोवैज्ञानिक अवसर प्रदान किया गया जिससे कि वह राजनैतिक दलानुसार स्वयं की प्राथमिकता व्यक्त कर सके । एवं इस अभिप्राय का संकलन तालिका संख्या 69 में किया गया है । इस तालिका में व्यक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि साधारण राजनैतिक गतिशीलता के क्रम में कांग्रेस पार्टी में 35 प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी में 50 प्रतिशत जनता दल में 10 प्रतिशत, बहुजन समाजपार्टी में शून्य प्रतिशत तथा अन्य दलों में 5 प्रतिशत उत्तरदाता प्राप्त हुए है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेखकिया जा सकता है कि पूर्णतः जैन धर्म द्वारा संचालित कोई भी राजनैतिक दल मध्यप्रदेश प्राप्त के जनपद छिन्द में क्रियाशील नहीं हैं और इस प्रकार परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप मेंसंचालित दलों के अन्तर्गत सदस्यता का विवरण प्राप्त हुआ है ।

प्रत्येक समाज व्यवस्था में राजनैतिक गतिविधियों का संचालन अनेक आधारों पर केन्द्रित हो सकता है और इसका परिप्रेक्ष्य अपेक्षा करता है कि सम्बन्धित प्राप्त सूचना का संकलन प्रस्तुत किया जाय । इस क्रम की सूचना को तालिका संख्या 70 में व्यक्त किया गया है । वर्तमान तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत, धर्म आदि अन्य की योग्यता के विभिन्न क्रमों में 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने दृष्टि की है कि वह सामान्यनिर्वाचन के समय इन व्यक्त आधारों को प्रमुख मानते हैं और इस प्रकार प्रस्तुत किया गया विश्लेषण अत्याधिक समाज वैज्ञानिक महत्व का है कि इन क्रमों में नकारात्मक दृष्टि-कोण का जो प्रतिशतअर्जित हुआ है वह यह निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है कि आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव स्वरूप जनपद छिन्द का जैन समाज वर्तमान अवधि में सर्वाधिक अर्थ में ऊर्ध्व गतीय स्थिति में है । यह विदित है कि स्थानीय राजनीति का प्रभाव राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों पर पड़ता है और प्रस्तुत पक्ष की सूचनाओं को तालिका संख्या 71 में अंकित किया गया है । वर्तमान तालिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत

तालिका संख्या - §69§

उत्तरदाताओं के राजनैतिक दलों से संलग्नता होने का विवरण

क्र.सं.	राजनैतिक दल	प्रतिशत
1.	कांग्रेस	35
2.	भाजपा	50
3.	जनता दल	10
4.	बहुजन समाज पार्टी	----
5.	अन्य	05
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - §70§

उत्तरदाताओं के मतानुसार मतदान के आधार का विवरण

क्र. सं.	मतदान का आधार	मत हाँ	मत नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	व्यवसायिक	61	39	100
2.	धर्म	80	20	100
3.	जाति	60	40	100
4.	प्रत्याशी की योग्यता	91	09	100
5.	किसी के कहने से	—	—	——
6.	अन्य कोई आधार	—	—	—

तालिका संख्या –§71§

उत्तरदाताओं के मतानुसार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों

के प्रतिरूप का विवरण:–

क्र. सं.	घटना क्रम	मत हाँ	नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	वर्तमान समय में देश की राजनैतिक व्यवस्थायें संकुट में हैं	10	90	100
2.	राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा सम्भव है	70	30	100

उत्तरदाता देश की राजनैतिक व्यवस्था के सतुष्ट नहीं है और उसके समकक्ष 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का निराकरण राजनैतिक प्रयास द्वारा संभावित हो सकता है । इन तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों के सापेक्ष जनपद भिण्ड का जैन समाज पूर्णतः सजग है और सामायिक संतुलन की दृष्टि से इस अभिमत का है कि भाषावादी क्षेत्रवादी समस्याओं का निराकरण पूर्णतः विवेक पूर्ण एवं संतुलित राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा अर्जित किया जा सकता है, इसका तात्पर्य यह है कि मानवतावादी प्रसंग में समस्याओं के निराकरण का विकल्प वैचारिक आधार पर होसकता है और जैन धर्म का मूल सिद्धान्त इसकी अनुमति देता है लेकिन इसका शतप्रतिशत लक्ष्य जब तक अर्जित न हो जाय तो एक मात्र रूप से यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जायेगा कि इस दिशा में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव पड़ा है । राजनैतिक प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले संसाधनों का विवरण तालिका संख्या 72 में प्रस्तुत किया गया है । इस प्रसंग में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मिश्रित साधनों को स्वीकृत किया है जिनमें समाचार पत्र, टी. वी. गोष्ठियाँ, समायोजित है जबकि क्रमिक रूप से समाचार पत्र में 5 प्रतिशत, टी. वी. में 20 प्रतिशत तथा गोष्ठियों में 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी है । इसका तात्पर्य यह है कि जनपद भिण्ड में राजनैतिक जागरूकता के प्रसंग में संसाधनों का अभाव नहीं है और यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रचार एवं प्रसार की अवधारणा भी आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से वंचित नहीं है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रसंग में अनेक उद्देश्य पूर्ण सूचनाओं का संकलन तालिका संख्या 73 में प्रस्तुत किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तानाशाही व्यवस्था को उचित बताया है जबकि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस व्यवस्था के विपक्ष में मत व्यक्त किया है, इसके समकक्ष 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार प्रजातंत्र उचित है द्वि दलीय राजनैतिक व्यवस्था के पक्ष में मात्र 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने

तालिका संख्या -(72)

उत्तरदाताओं के मतानुसार राजनैतिक जागरूकता के प्रतिशत का विवरण

क्र. सं.	राजनैतिक जागरूकता का माध्यम	प्रतिशत
1.	समाचार पत्र	5
2.	टी. वी.	20
3.	गोष्ठीयाँ	10
4.	मिश्रित साधन	65
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या – 173

उत्तरदाताओं के मतानुसार देशहित में राजनैतिक विकल्पों का विवरण

क्र.सं.	विकल्प	मत हाँ	मत नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	डिक्टेटर शिप उचित है	10	90	100
2.	प्रजातंत्र उचित है	87	13	100
3.	द्वि दलीय व्यवस्था उचित है	11	89	100
4.	राष्ट्रपति शासन उचित है	25	75	100
5.	जैन धर्म के व्यक्ति का शासनहोनाचाहिये	50	50	100
6.	आगामी समाज समाज के नियंत्रणहोगा	51	49	100
7.	राजनैतिक क्रियाकलापोंमें महिलाओं की भागीदारी उचित है	13	87	100
8.	राजनैतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं।	71	29	100

स्वीकृति दी है, जबकि इसके सापेक्ष राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति तथा अस्वीकृति में 1:3 का प्रतिशत अर्जित हुआ है। धार्मिक विस्तार के प्रसंग में जब यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि जैन धर्म के व्यक्ति का शासन होना चाहिए तो उत्तरदाताओं का घटनात्मक तथा ऋणात्मक अभिमत 1:1 में प्राप्त हुआ। आगामी समाज की विकासोन्मुख कल्पना का प्रसंग जब उत्तरदाताओं के समक्ष रक्खा गया तो इसकी प्रवृत्ति भी समानुपातिक अर्जित की गयी। राजनैतिक गतिशीलता के क्रम में महिलाओं की भागीदारी के वर्ग में 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की जबकि 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असहमति व्यक्त की। वर्तमान प्रसंग में सामाजिक नियंत्रण का मुद्दा अनवेक्षित किया गया और 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृत किया कि राजनैतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं जबकि 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण प्रस्तुत परिपेक्ष्य में नकारात्मक था। वर्तमान तालिका में प्रदर्शित तथ्यों का क्रमानुसार तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज में वैचारिक परखता विद्यमान हैं और स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्रसंगों के समकक्ष उनके दृष्टिकोणों में कुछ प्रतिशत में पूर्वाभ्यास विद्यमान है तो कुछ प्रतिशत में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के कारण परिवर्तन निर्मित हुआ है और इस प्रकार प्रतिस्थापित परिकल्पना की प्रष्टि प्रस्तुत तालिका के अनेक वर्गों में स्वाभाविकरूप से होती है।

§ ब§ समीक्षा

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत बहुआयामी प्रकरणों में राजनैतिक गतिविधियों का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक स्वरूप मूल्यांकित किया गया है। जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्मावलम्बियों की शक्रियता अनेक प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में विद्यमान है। यद्यपि यह पूर्वानुमानित था कि इस जनपद में कोई शीर्ष राजनैतिक विसंगति विद्यमान नहीं होगी, लेकिन सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के निर्देशित किया है कि राजनैतिक प्रमुखता के अनेक सिद्धान्तों

एवं प्रचलन की विभिन्न अवधारणाओं में आशातीत परिवर्तन आया है और इसका प्रमुख काल बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जा सकता है समाज धार्मिकृत्यों में अन्य धर्मावलम्बियों के समक्ष जनपद क्षिण्ड के जैन व्यक्तियों में राजनैतिक प्रक्रिया का प्रभाव विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है उदाहरणार्थ - स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय । इस जनपद के प्रतिनिधियों के अभिमत में एक स्पष्ट एवं सौष्ठव युक्त समाज की कल्पना आवश्यक है और इसकी उपलब्धि सम्बन्धित राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा अर्जित की जा सकती है । वर्तमान प्रसंग में किये गये सर्वेक्षण में यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि धर्म, जाति, व्यवसाय एवं कार्यों की योग्यता इत्यादि ऐसे मनोवैज्ञानिक अवलम्बन है जो स्थानीय निर्वाचन में प्राथमिक, द्वितीयक एवं अन्य समकक्षीय वर्गीकरणों में क्रमानुसार प्राप्त किये गये हैं । इस विश्लेषण का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र के जैन व्यक्तियों में राजनैतिक क्रिया कलापों का प्रत्यय मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्णतः स्पष्ट हैं और इसे अनिवार्य रूप से समाजशास्त्रीय जगत में वह आकर्षण माना जा सकता है जो दीर्घ कालिक अध्ययन के पूर्णतः योग्य है । इसके अतिरिक्त राजनैतिक उपक्रम में एकत्रित की गयी अन्यान्य सूचनाओं के आधार पर यह भी निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद क्षिण्ड में निवास करने वाले जैन सामाजिक बाहुल्य में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव होने के कारण राजनैतिक महत्व के मूल्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है तथा इसका अंतिम अनुमान प्रचार एवं प्रसार के संदर्भ में प्राप्त किए गये प्रत्ययों के आधार पर लगाया जा सकता है जिसमें सर्वाधिक 65 प्रतिशत व्यक्तियों ने विभिन्न प्रकार के संसाधनों की स्वीकृति राजनैतिक जागरूकता विकसित करने के प्रसंग में की है ।

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक पटभाक्रम में अनेक प्रकार के उपयोगी सूचनाओं का समावेश किया गया है और इसक्रम की सूचनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्यों कि जनपद क्षिण्ड में निवास करने वाले जैन प्रतिनिधियों में सामाजवादी प्रथा को 90 प्रतिशत ने अस्वीकृत किया है और राष्ट्रपति प्रणाली की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का प्रतिशत क्रम 1:3 है जबकि 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं

के अभिमत में प्रजातांत्रिक प्रणाली उचित है । क्षेत्रीय संरचना की स्थिति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना से जनपद सिरोही का जैन समाज कोई बहुत अधिक सहमत नहीं है । वस्तुतः संक्षेप संरचना अनेक जटिलताएं उदाहरणार्थ जाति, धर्म एवं भाषावाद इत्यादि । इसके सम्बन्ध प्रत्येक सामान्य नागरिक यह अभिलाषा करता है कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षितिज पर क्रियाशील राजनीतिक गतिशीलताओं में हो । और इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनपद सिरोही में निवास करने वाले जैन धर्मावलम्बियों के 71 प्रतिशत ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि राजनैतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं । यह प्रश्न शाश्वत रूप में धार्मिक तथा सामाजिक अस्मिता का है और इसका सर्वाधिक उत्तरदायित्व स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद सिरोही की भौगोलिक स्थिति सम्बल के बीहड़ों से संयुक्त है और सम्बलघाटी में आक्रांता के रूप में विचरण करने वाला आपराधिक तत्व स्थानीय वरिष्ट राजनैतिक व्यक्तियों के यहाँ आश्रय पाते हैं और इस कारण इस क्षेत्र का जन मानस सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सदैव चिन्तित रहता है ।

——— xxxxx ———

अष्टम अध्याय

उपसंहार



अध्याय - 8

उपसंहार

उपसंहार

प्रसिद्ध समाज शास्त्री स्पेन्सर (1970) का मत है कि सामाजिक संरचना को पहचानने योग्य कारकों के प्रतंग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो कि कुछ सामाजिक कार्यों एवं क्रियाओं के लिए प्रमुख रूप से संयुक्त होते हैं। इसके समक्ष एक मान्यता यह भी है कि समस्त सामाजिक व्यवहार विशेष प्रकार के सामाजिक प्रतिबन्धों, मान्यताओं तथा मूल्यों की उत्पन्नता से नियंत्रित होती हैं। इस प्रकार समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में यह अवधारणा प्रचलित है कि सामाजिक जीवन की अन्तर्क्रियायों के परिणाम हैं जो एक दूसरे से कार्यों के सम्बन्ध में संलग्नित हैं। इस क्रम में सामाजिक आदतों, स्वीकृतियों तथा मूल्यों का प्रचुर योगदान है। वस्तुतः यदि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया का ऐतिहासिक अवलोकन किया जाये तो प्रक्रिया का ऐतिहासिक अवलोकन प्रो० चार्ल्स डार्विन का स्मरण करना आवश्यक प्रतीत होता है जिन्होंने कार्बनिक विकास की प्रक्रिया के क्रम में यह विचारप्रस्तुत किये कि सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई का पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में जटिल से जटिलतम इकाई में रूपान्तरण वह सोपान है जो विधिवत रूप से उद्विकास कहे जा सकता है। इस सिद्धान्त के समर्थक कालांतर में अनेक शिक्षाविद् हुये और उन्होंने प्रो० डार्विन की मूल मान्यताओं को भौतिक परिप्रेक्ष्य के लिये अनेक प्रकार के तुलनात्मक अवलम्बनों का निर्माणकिया। सामाजिक दर्शन में प्रस्तुत योजना के अनेक रूप विद्यमान हैं। विश्व के अनेक समाजों में प्रचलित धार्मिक ग्रन्थों का विमोचन करने से स्पष्ट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय वर्तमान मानवीयता की पृष्ठभूमि में कई पुनीतीपूर्ण आधारों का प्रचलन रहा है और बन्धुत्व की भावना का प्रेरक प्रतंग मूलरूप से उसी स्थान से प्रारम्भ हो जाता है जिस समय से व्यक्ति से व्यक्ति से अंतर स्थापित करने का प्रयास किया होगा। इस विचार का समर्थन सम्भवतः ग्रीक दर्शन तथा हिन्दु विचारों से प्रस्तुत किया जा सकता है। सामाजिक विकास का अभिप्रायः दृष्टिकोणात्मक है तथा इसकी प्रारम्भिक विषयवस्तु का विमोचन प्रस्तुत प्रसंग में उपयुक्त होगा। समाज वैज्ञानिक साहित्य में विद्यमान एक मत कि मनुष्य

एक सामाजिक प्राणी है में मैकाइवर ने अनिवार्य अवलम्बन स्थापित करने का प्रयास किया है कि जीव के रूप में वह कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताएं है जो सामाजिकता की अपेक्षा करती हैं और इनका सामयिक समर्थन ही प्रत्येक समाज वैज्ञानिक का आधारभूत कर्तव्य है । सामाजीकरण की अवधारणा में यह कहा गया है कि यदि समाज को व्यक्तियों की पारस्परिक अन्तर्क्रियाओं का परिणाम माना गया है तो इसकी दूरगामी स्थिति संरचित एवं नियंत्रित करने की आवश्यकता है और इस प्रकार सामाजिकता का मुख्य स्वरूप प्रेरणात्मक प्रतिबिम्बों में स्पष्ट किया गया । व्यक्ति की उत्पत्ति के प्रसंग में हिन्दु दर्शन में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश वह आदि शक्तियां हैं जो सृष्टि के निर्माण, प्रभावी संचालन एवं विनाश की अवधारणा को नियंत्रित करती हैं । ग्रीक दर्शन में मानवीय उत्पत्ति के समानांतर प्रेरक प्रसंग विद्यमान हैं । इसका अभिप्राय यह है कि विश्व का कोई भी समाज हो वह एक विवेकीकृत योजना द्वारा नियंत्रित है और इस नियंत्रण का आधार वैधानिक सामाजिक तथा अन्य समसामयिक सक्रियताओं में किस प्रकार का है यह व्यापक विश्लेषण का मानक विश्व के समस्त अनेक समाज वैज्ञानिकों का है । समाज मनोवैज्ञानिक इस मत के हैं कि समाज में उत्पन्न प्रत्येक असहाय शिशु का भरण-पोषण एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से प्राथमिक स्तर से परिवार के सदस्यों तथा द्वितीयकस्तर में पड़ोस के सदस्यों पर निर्भर रहता है और इस अवधारणा को व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक स्थान प्रदत्त किया गया तथा कालान्तर में विकसित इस सक्रिया को संरक्षक का प्रतिबिम्ब माना जाता है । सामाजिक साहित्य में उल्लेख है कि पारस्परिक अन्तर्क्रियाओं के माध्यम से सहयोग अथवा संघर्ष विकसित हो सकता है । सामाजिक विचार धारा में यह माना गया है कि सहयोग कि प्रक्रिया द्वारा ऐसे सिद्धान्तों का प्रचलन, अवधारणाओं का निर्माण, एवं मान्यताओं का विकास किया जा सकता है जोकि सामाजिक समन्वय में विकास अथवा प्रगति के प्रत्यय में उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर सकती है, जबकि इसके समक्ष व्यक्तित्वों में सहसंबंध संघर्ष के कारण

पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण सम्पूर्ण सिद्धान्तों का स्वरूप अवधारणाओं का स्वरूप एवं स्थापित मूल्यों का वर्चस्व विकट हो सकता है, जो कि सामाजिक विकास एवं प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर सकता है। इस प्रकार विचार का उद्गम दो अर्थों में विश्लेषित किया जा सकता है कि (अ) क्यों करने योग्य है एवं (ब) क्यों ~~विश्लेषण~~ करने योग्य नहीं है? इन अभीष्ट प्रश्नों का विश्लेषण तत्कालीन समाज वैज्ञानिकों द्वारा विचरित प्रवृत्तियों में अन्तर्धारित तो किया गया लेकिन विश्लेषण का अभीष्ट निष्कर्ष सार्वभौमिक प्रसंग का नहीं हो सका। इस प्रकार दार्शनिक क्षेत्र में विशेष संरचना का द्वन्द्व प्रत्येक काल में विद्यमान रहा। आदिम युगीन सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाय तो प्रस्तुत प्रसंग की जिज्ञासाओं का आंशिक समाधान हो सकता है। एक निश्चित भू-भाग में व्यक्तियों के विचार के उद्देश्यों को विश्लेषित किया जाना आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत क्रियाओं में यदि उत्तरोत्तर जिज्ञा नहीं है तो सामाजिक प्रगति एवं विकास की कल्पना करना पूर्णतः व्यर्थ है। इस अभिप्राय यह है कि हम उत्तरोत्तर प्रगति की जिज्ञा को कैसे निर्मित किया जाय और इसके समानुपातिक आधारों का व्यवहारीकरण किस प्रकार किया जायेगा आदि - आदि जटिल प्रक्रियाएं सामने हैं। इस प्रकार परिभाषित विचार धारा का निर्माण इन शब्दों में किया जा सकता है कि मानवीय समाज की अभीष्ट संरचना उन्हीं परिस्थितियों में परिपक्व होगी जबकि इसके अन्तर्गत सामाजिक अवलम्बनों को आधार शिला रखी जाय और इसका वास्तविक सूत्र पात प्रत्येक समाज में संस्कृति की अवधारणा के रूप में किया गया। इसका ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः संस्कृति एक तीजा हुआ व्यवहार एवंज्ञान का क्रियान्वयन है। इस प्रकार प्रत्येक समाज में आचार संहिता का स्वरूप संस्कृति के रूप में सम्मिलित किया गया। इसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की योजना क्रम विकासन के माध्यम से संचालित की गयी जिसका मौलिक उद्देश्य यह था कि समाज में जन्मित प्रत्येक व्यक्ति जीवन एवं संरक्षण के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और तदोपरान्त वह विकास एवं प्रगति की प्रक्रिया के लिए कृत संकल्प हो सके। संक्षेपता इस विचार शैली में ही विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में धर्म की अवधारणा

का उदय संभव हुआ होगा । ऐतिहासिक दृष्टांतो में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति की सामाजिकता को धार्मिक अवलम्बन के माध्यम से अधिकतम अवधि के लिए सुरक्षित रक्खा जा सकता है । इस प्रकार धर्म के इस स्वरूप को पर्सोनीफाइड कोड" की संज्ञा प्रदत्त की जा सकती है तथा सामाजिकता, धर्म एवं अवलम्बन के अनेक माध्यम वस्तुतः योजनेत्तर दृष्टिकोण है, जिन्हे प्रत्येक कालावधि के समाज में पोषित किया है अनेक प्रकार के उन मानोवैज्ञानिक संरक्षणों से जो चिरकालसे इस भूमण्डल पर विद्यमान तो थे अनेक स्वरूपों में परन्तु, कदाचित उन्हें दर्शनीय न समझा गया तो अथवा कोई समाज इतनासक्षम न रहा हो जो विभाज्य कर सके उन मानवीय एवं प्राकृतिक चेतनाओं को, शक्तियों को, स्वरूपों को जो यथार्थ में अवलम्बन की परख की कसौटी पर पूर्णतः खरे उतरते तथा आगाह करते व्यक्ति की अवधारणा को कि हे श्रेष्ठजन अवगत हो उस विचारधारा से जो सृजन एवं विनाश का संदेश देती हैं वह ईश्वर है आदि शक्ति है, अखण्ड है, अविभाज्य है और सर्वाधिक प्रतिशत में इसे एकमात्र रूप से धर्म की अवधारणा में समझा जा सकता है एवं आदि से अंत तक संयोजित रखा जा सकता है बशर्ते तुम इसे सुरक्षित एवं प्रशस्त करने वाली क्षमता रखते हो और यह प्रतिफल में तुम्हारी सामाजिकता को चिरकाल तक दीर्घजीवी रखेगी । जिसके अगणित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारण हैं ।

होली बाइबिल के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि प्रारम्भ में ईश्वर ने स्वर्ग एवं पृथ्वी का सृजन किया तथा पृथ्वी पर कोई स्वरूप विद्यमान नहीं था और पूर्णतः अंधेरा फैला हुआ था, ईश्वर की आत्मा समुद्री सतय पर विचरण कर रही थी । ईश्वर ने कहा कि वहाँ प्रकाश होने दो और वहाँ प्रकाश था । ईश्वर ने यह भी देखा कि यह प्रकाश अच्छा था तथा उसने इसे अंधेरे से विभक्त किया और प्रकाश युक्त अवधि को उसने दिन की संज्ञा प्रदत्त की है तथा अन्धकार युक्त अवधि को रात्री की मान्यता प्रदत्त की । इसके पश्चात अनेक प्रकार की वनस्पतियों जीवों एवं मनुष्य की उत्पत्ति के क्रमों को प्रशस्त किया और समकालीन व्यवस्था में सुख एवं समृद्धि, पाप एवं पुण्य तथा धर्म एवं अधर्म की मान्यताओं का विकास किया गया । प्रस्तुत विवेचना से यह निर्देशित

होता है कि मानवीय शक्ति आदि है तो धर्म अनन्त । तात्संबन्धित साहित्य का विमोचन करने पर यह उल्लेख प्राप्त होता है कि सामाजिक प्रसंग में अनेक प्रकार की मान्यताओं का निर्माण या तो ईश्वरीय योजना में अन्तर्गत विद्यमान है या मनुष्य द्वारा स्वयं इसकी संरचना की गई । इस प्रकार "दि होली बाइबिल" के आधार पर क्रिश्चियन धर्म में अनेक प्रकार की मान्यताओं के सूत्र तात्पर्य अर्जित होते हैं ।
मैक्सवेबर ने धर्म के समाज शास्त्र का प्रारम्भिक स्वरूप सुनिश्चित किया और यह माना कि आधुनिकता के विश्व में ऐसी क्रियाओं का संचालन मनुष्य द्वारा किया जाने लगा जो प्रारम्भिककाल में केवल ईश्वर अथवा ईश्वरीय शक्तियों द्वारा संभावित होता था । वस्तुतः मनुष्य ने प्राचीन विचारों को तार्किक आधारों पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संकीर्ण करने का प्रयास किया क्योंकि आधुनिक विकासवादी परिवेश में गणना योग्य तथा पूर्वानुमान योग्य विकल्प विकसित होने लगे और इनमें साधना, अर्थ, तथा उद्देश्य आदि का विलय होने के कारण यह अभिव्यक्त किया गया कि व्यक्ति द्वारा स्वयं के प्रयास से जो किया जाय और प्रतिफल में जो अर्जित किया जाय वह धर्म है । धर्म के समाज शास्त्र के अन्तर्गत यह भी उल्लेख किया गया कि व्यक्ति एवं व्यक्तिगत विचारधारा को उचित आश्रय धर्म में प्रदत्त किया जाना चाहिए और इसे प्रोटेस्टेन्ट इथिक के अन्तर्गत तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है । इस प्रकार धर्म के समाज शास्त्र का महत्व समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में विकसित होता गया और कालान्तर में इसकी आधार भूत मान्यताओं में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया एक तात्त्विक चुनौती के रूप में विद्वानों के समक्ष उपस्थित हुई, तथा इस विचार धारा के वशीभूत होकर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के परिवेक्ष्य में भारत और मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले के जैन धर्मावलम्बियों की मौलिक मान्यताओं के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रचलन एवं परिवर्तन के महत्वपूर्ण दृष्टि कोण को समाज शास्त्रीय विवेचना का आधार बनाया गया और जैन धर्म के अनेक उन युगपत क्रियाओं का विश्लेषण किया गया जो तार्किकता की परिधि में जैन जैन प्रकारेण उपयोगी अवश्य होगी ।

टालकॉट पारसंस (1964) ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में निरन्तरता का दृष्टिकोण समायोजित होता है और इस निरन्तरता पर सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक प्रकार के प्रतिमानों की संरचना में प्रसंगिक आधार पर परिवर्तन आता है। इस मान्यता के क्रम में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः धर्म समाज व्यवस्था का प्रमुख अंग है और इसकी प्रकार्यात्मकता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक अवधि में विद्यमान समाजों के सापेक्ष धर्म की मान्यताओं का अध्ययन समाज शास्त्रीयों के लिए पूर्ण उपयुक्त हो सकता है और इस विचारधारा की वस्तुनिष्ठता अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का समाज शास्त्रीय अनुष्ठान किया गया। जो सम्बन्धित साहित्य में क्षेत्रीयता के सापेक्ष न्यून विश्वता की कसौटी में योगदान कर सका तो भी इसकी अवतरणात्मकता को पूर्ण संतोष प्राप्त होगा और इस अभिप्राय की प्रत्याशा में वर्तमान शोध प्रबन्ध की कुल उपलब्धियाँ उस प्रस्फुटित वाटिका के समान है जिसका अवलोकन प्रत्येक धर्मशास्त्री, शिक्षाविद तथा समाजशास्त्री सहज रूप में कर सकता है। वस्तुतः प्रो०सोरोकिन (1957) ने एक मत इस प्रकार समाज शास्त्री साहित्य में प्रवाहित किया कि प्रत्येक समाज व्यवस्था में संस्कृति के दो स्वरूप "सेन्वेट" तथा "आइडियेशनल", विद्यमान होते है जो विचारधारा की प्रवृत्ति में पूर्णतः अलग इकाईयाँ हैं तथा धर्म प्रमुखतः से सेन्वेट वर्ग के अन्तर्गत आता है। इन दोनों प्रकारों के सम्बन्धित अवयवों में गतिशीलता होती है और व्यवस्था पर इनका विरोधी एवं अविरोधी प्रभाव पड़ता है जिसमें मूल्यों को भी प्राथमिकता प्रदत्त की गई है। इस क्रम में यह भी माना गया है कि कोई भी समाज इस प्रकार का नहीं हो सकता है जिसमें मात्र संस्कृति का एक स्वरूप विद्यमान हो अतः संतुलन की प्रक्रिया अत्याधिक आवश्यक है और बीसवीं शताब्दी के पश्चिमी जगत में प्रो० सोरोकिन द्वारा यह भी अनुमानित किया गया कि इन समाजों की संस्कृतियाँ भौतिकवादिता के कारण असंतुलन की परिधि में प्रवेश कर रही हैं जो सम्भवतः समाज के मूल उद्देश्य को निष्प्रयोज्य कर सकती है। यह घटनाक्रम सम्पूर्ण मानवीयता के लिए घातक होगा तथा इसका सामयिक निराकरण पारस्परिक समन्वय एवं नियोजित

प्रयासों द्वारा अर्जित किया जा सकता है । समाजशास्त्रीय जगत में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रो० सोरोकिन शिक्षा निर्देशक माने जायेंगे इस श्रेणी में जिन्होंने समाज वैज्ञानिकों को आगाह किया है कि वह इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन सम्बन्धित क्षेत्रों में करे । इस अनुक्रम में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का संकलन सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश में उत्साहवर्द्धक प्रतीत होता है , क्यों कि इसमें जैन धर्म की मूल मान्यताओं का सामाजिक सामान्यीकरण संरचनात्मक तात्पर्य में किया गया है जिसकी विश्वसनीयता निर्विवाद रूप से रहेगी ऐसी प्रत्याशा है । वर्तमान शोध प्रबंध के प्रसंग में जैन धर्मी साहित्य का संक्षिप्तीकरण आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि यह वह मानक आधार है जिसमें धार्मिक मूल मान्यताओं की विवेचना की गई है और प्रत्येक सम्बन्धक सदस्य से यह अपेक्षा की की गई है कि वह धार्मिक अनुक्रम में इनका अनुपालन आवश्यकतानुसार करेगा । यदि इसमें कोई विरोधाभास उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो उसे सामाजिक अधिकार इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है । अतः प्रस्तुत प्रसंग की उपयुक्त सूचनाओं का सीमित संकलन उपयोगी आधार शिला का निर्माण करने में पूर्ण प्रभावी होगा , ऐसी प्रत्याशा है । जैन धर्म की उत्पत्ति के प्रसंग में अत्याधिक रोचक विवरण इस प्रकार है कि " व्यक्ति की आत्मा की उत्पत्ति तीन भागों से संकल्पित है सृष्टि, कर्ता एवं ज्ञान जिनका सृजन सामाजिक प्रसंग में दैवीय स्वरूप द्वारा किया जायेगा और कर्मों तथा कषायों (कषायों) को विजित कर प्राप्त होनेवाली अवधारणा को आध्यात्मिक चिन्तन में परमात्मा माना जाता है और इसे शब्द जिन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जिसका अर्थ सीधा सूचक के रूप में जयति इति जिनः अर्थात विजेता कहा जाता है । जैन धर्म साहित्य में उल्लेख है कि जैन धर्म के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करते हुए परमात्मन एवं महात्मन स्वरूपों में परिभाषित किया जा सकता है और इसके लिए विशेष प्रकार के अवलम्बनों का निर्धारण किया गया जिनमें यह मान्यता विद्यमान है कि जैन धर्मावलम्बियों द्वारा पूर्ण शाकाहारी भोजन ग्रहण किया जायेगा , रात्रिकालीन भोजन पूर्णतः वर्जित होगा, जल का सेवन छान कर किया जायेगा एवं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नित्य प्रति अनिवार्य होंगे । इस सम्यक संकलन के अन्तर्गत व्यक्ति का सम्पूर्ण सामाजिक निर्धारण किया गया है तथा जिनका निर्वाह व्यक्ति द्वारा जीवन पर्यन्त

किया जायेगा और इस प्रकार व्यक्ति सद्गति अथवा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस समीकरण के अन्तर्गत जैन धर्म की अवधारणा तथा मूलमान्यताओं का उल्लेख किया जा सकता है।

समाजशास्त्रीय प्रसंग में किए गये साहित्य के पुनरावलोकन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन में यह मान्यता है कि जो धारित किया जाय वह व्यवस्था के रूप में धर्म की अवधारणा में व्यक्त किया जा सकता है और इस विषय में यह प्रमाण उपलब्ध है कि सामान्यतः धर्म प्रजा का धारण करेगा जो धर्म के लौकिक स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त किया गया है एवं इसे किसी भी वस्तु के सामान्य स्वभाव के प्रत्यय के रूप में सृजन का आधार माना जा सकता है। समकालीन साहित्य की समीक्षा करने पर यह निर्देशन प्राप्त होता है कि किसी भी आत्मा की संरचना धर्म की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है और इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जैन धर्म उत्पत्ति का प्रमुख आधार पटल माना जाता है। वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सापेक्ष समन्वय, व्यक्ति का समाज के साथ सापेक्ष समन्वय तथा व्यक्ति उन अलौकिक अदृश्य शक्तियों के सापेक्ष समन्वय जिसे माध्यम से जीव को उत्पत्तियाँ संभव हुई है आदि आदि वैचारिक परिधियाँ निरन्तर समायोजित एवं प्रसारित होती रहती है एक विशेष प्रकार के अवलम्बन की परिधि में जो सामान्य एवं प्रवृत्तिक विपरितियों का सामना करने की दक्षता प्रदान करता है और उपरोक्त अर्थ में यदि किसी व्यक्ति द्वारा सांसारिक कार्यों का निर्वाह पूर्ण सत्य एवं निष्ठा से किया जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्ती का अवसर उपलब्ध हो सकता है तथा इसके लिए कुछ पूर्ण अनुशासित दैनिक पद्धति का अनुपालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, जैन धर्म के अन्तर्गत यह भी मान्यता है कि जो पूर्व में निर्धारित है उसका अनुसरण करते हुए इसे समाज में प्रसारित किया जाय और जो भी आत्म ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाय उसका प्रमुख क्रियान्वयन धार्मिक क्षेत्र के लिए होना चाहिए एवं इस पक्ष की प्राप्ति एक प्रभाव शाली चरित्र के माध्यम से ही संभव है। धार्मिक दर्शन में यह भी उल्लेखित है कि धर्म, अर्थ और काम द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है और इस धारणा में चार प्रकार के पुरुषार्थों को आत्मसात किया गया है जिसके प्रसंग में यह भी मान्यता है कि

धर्म, अर्थ एवं काम का दृष्टिकोण पूर्णतः लौकिक व्यवस्था है तथा मोक्ष का पक्ष पूर्णतः परालौकिक परिधि की विषय वस्तु है । सामान्य व्याख्या के क्रम में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः जीवों के उद्धारक मार्ग एवं प्रवृत्ति को धर्म की अवधारणा माना गया है एवं यह भी अपेक्षा की गयी है कि सार्वभौमिक रूप में धर्म का स्वरूप निस्वार्थ रूप से उदारवादी होना चाहिए । सामाजिक व्यवस्था में यदि व्यक्ति पक्षपाती प्रवृत्ति, सीमित वैचारिक शक्ति एवं अन्य सम्बन्धित विषमताओं से ग्रसित होता है तो उस समाज में धर्म प्रगति नहीं कर सकता है क्योंकि मनीषियों ने व्यवस्था प्रदत्त की है कि धर्म की प्रवृत्ति कदापि शारीरिक नहीं है, अपितु इसका सृजन आत्मिक है । जैन धर्म के अन्तर्गत यह भी मान्यता है सांस्कृतिक आधारों पर व्यक्ति अनेक प्रकार की स्थितियों को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार कार्यक्षेत्र में प्रत्येक सदस्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रतिफल के रूप में समाज को उन विशेष प्रकार के उत्तरदायित्वों से लाभान्वित करे जिसे शाश्वत स्वरूप में मानवता वाद माना जा सकता है । जैन धर्म के अन्तर्गत यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यदि शरण प्राप्त करना चाहता है तो उसके हितों की रक्षा के लिए धर्म सदैव तत्पर रहेगा एवं इस प्रसंग में एक दृष्टांत प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है -- अनाथानामबंधूनां दरिद्राणां सुदुःखिनाम् ।

जिन शासन मेंतद्धि परमं शरणं मतम् ।।

इस प्रकार जैन धर्म का मन्थन करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सामाजिक प्रचलन में इसकी श्रेष्ठता एवं उपयुक्तता निर्विवाद रूप से है एवं सामयिक परिध में इसके चिंतनों का मूल्यांकन प्रत्येक शिक्षाविद को करना चाहिये । इस आधार पर वर्तमान शोध प्रबन्ध में मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्मावलम्बियों को समाजशास्त्रीय क्रम में अध्ययनित किया जिसकी उपयोगिता से समस्त धारणाओं के व्यक्ति पूर्णतः सहमत होंगे ।

जैन धर्म की प्राचीन आचार संहिता में यह निर्देशित किया गया कि व्यक्ति सजातीय विवाह पद्धति का अनुपालन करेगा और कालान्तर में इसका

विस्तार अनुलोम विवाह पद्धति के रूप में विस्तृत किया गया जो कि पूर्ण रूप से वैधानिक मान्यता है । इसके साहित्य में ऐसे अनेकों दृष्टांत विद्यमान है जब जैन धर्मसम्प्रदाय में प्रतिलोम विवाह अवलोकित किए गये और उनके मोक्ष के मार्गों को पुनः दीक्षा, व्रत एवं उपवास द्वारा तथा सामयिक दान आदि के माध्यम से प्रशस्त किया गया । वस्तुतः इसकी सामाजशास्त्रीय समीक्षा की जाये तो यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन राज्य व्यवस्थाओं में मौलिक परिवर्तनों के कारण एवं अन्य मनोवैज्ञानिक कारणों में इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला होगा । इसके समक्ष वर्तमान जैन समाजों में अन्तर्समाजी विवाह प्रवृत्तिविद्यमान है, ऐसी मान्यता है । लेकिन इस मान्यता पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव पड़ने के कारण एक विशेष सीमा तक अन्तर स्थापित हुआ है जिसका अवलोकन मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाजों के किया गया है । आधुनिक सामाजिक शक्तियों के अवधारणाओं के निर्माण के प्रसंग में प्रो० एम० एन० श्री निवास का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने सर्व प्रथम अपनी पुस्तक "रिलीजन एण्ड सोशाइटी अमंग दी कुर्ग" के अन्तर्गत संस्कृतिकरण का प्रयोग किया और इस अवधारणा के अन्तर्गत यह प्रस्थापना की कि समाज का प्रत्येक स्थापित सामाजिकरूप से पुनर्परिभाषित होने के लिए सक्षम है और सांस्कृतिक आधारों पर उनके संस्कारों का केन्द्रण इस प्रकार किया जा सकता है जिससे वह रूपान्तरण के उपयोगी क्रम में यथार्थ रूप में समाहित हो सके । इसके समक्ष पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण की अवधारणा का भी चयन किया गया और अनेकों अवधारणाओं को विश्लेषित रूप से समाजवैज्ञानिक प्रसंग में आधुनिक सामाजिक संरचना काल प्रवाह की अवधि में अपरोक्ष घटनाक्रमों के कारण अवश्य प्रभावित होती है । इसलिए आकस्मिक संक्रांति परिस्थितियों में विशेष प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र जो परिवर्तन ग्राह्य करता है उसकी विवेचना दो प्रकार से की जा सकती है । (अ) परिवर्तन का मूल्य आधार क्या है एवं (ब) परिवर्तन की दिशा किस प्रकार की है । उन्हारमक परिस्थितियों में सामाजिक घटनाक्रम कार्य करता है शैक्षणिक जगत के आचार्यों को कि वह न्यायिकदृष्टि से

वास्तविक विश्लेषण औरसम्बन्धित समस्या के निराकरणों के उपायों को विकसित करें। सैद्धान्तिक दृष्टि में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गुणात्मक इकाईयों निर्यन्त्रणरेखा के बाहर नहीं समझी जा सकती है और इस क्रम में मूल्यों के महत्व को अस्वीकृत माना जायेगा। चिन्तन का दृष्टिकोण एक मात्र रूप से सामंजस्य स्थापित करने का नहीं है अपितु इसका स्पष्ट लक्ष्य प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के संकल्प के रूप में निर्दिष्ट समस्त उद्देश्यों की परिधि के रूप में है। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर मध्य-प्रदेश प्रान्त के जनपद छिन्दवाड़ा का चयन प्रस्तुत अध्ययन के प्रसंग में इसलिए किया गया क्योंकि सम्बन्धित विषय वस्तु के क्रम में कोई भी पूर्व सम्पादित शोध कार्य उपलब्ध नहीं हो सका। इस प्रकार वर्तमान शोध प्रबन्ध की शिक्षावस्था की अवधि में अनेक प्रकार के प्रतिकारात्मक लक्ष्य वैचारिक परार्श के आधार पर स्पष्ट रूप से अंकुरित किए गये। इसके पश्चात सम्यक सूचनाओं का निर्धारण एवं उपयोग समसामयिक रूप से किया गया। प्रस्तुत परिवेदय में यह परिकल्पना प्रस्तावित की गयी कि क्षेत्रीय समाज आर्थिक गतिविधियां आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होती हैं।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के लिए चयनित अध्ययनपद्धतियाँ एवं न्यायदर्शों की कुलसंख्या में पूर्णतः सामंजस्य स्थापित रहा। यह बात अलग है कि क्षेत्र परीक्षण की सम्पूर्ण अवधि में मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद छिन्दवाड़ा की सम्पूर्ण भौगोलिक परिधि का इकाई सर्वेक्षण प्रतिदिन करना पड़ा और इस अवधि में यह प्रयास किया गया कि विशेषीकृत पद्धति के अन्तर्गत सूचनाओं का संकलन अधिकतम किया जा सके और जो सूचनाएँ सामान्य साक्षात्कार के क्रम में कदाचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकी उनका संकलन दैनिक डायरी में विधिवत रूप से किया गया। वर्तमान शोध अध्ययन में प्राप्त तथ्यों का स्थानान्तरण साधारण सारणीओं में किया गया और विश्लेषण के लिए विषय विशेषज्ञों के परार्श को क्रमशः अनुपालित किया गया। इस आधार पर एकत्रित रूप से जैन धर्म की सम्पूर्ण निधि को संजोते हुए यदि व्याख्या का क्रम प्रारम्भ किया जाय तो यह अत्याधिक दुष्करकार्य प्रतीत होता है फिर भी एक सीमा विशेष तक

इसका उल्लेख करना न्यायोचित हो सकता है ।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रसंग में सामाजिक गतिविधियों के सापेक्ष जो उपलब्धियाँ अर्जित हुई है वह अत्याधिक विचारणीय है । जैन धर्म में परम्परागत आधार पर एकमात्र रूप से संयुक्तता को प्रतिष्ठित किया गया है और इसका तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षण में शत प्रतिशत संयुक्त परिवार उपलब्ध होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सर्वेक्षण के केन्द्रीय परिवारों की संरचना का दृष्टिगत होना मात्र ही वैचारिक परिवर्तन का आधार बन सकता है । परम्परागत एवं आधुनिक सामाजिक संरचना में अनेक प्रकार की विविधताएं व्यवस्थित प्रकार के विश्लेषण के लिए प्रेरित करती हैं प्रत्येक समाज व्यवस्था परामर्शदात्री इकाई के रूप में व्यक्ति को सचेत कर सकती है कि उसके हित किस प्रकार सुरक्षित रह सकते है । इसके समकक्ष व्यक्ति द्वारा चयनित संरचना परिस्थिति जन्य के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है और इस प्रकार जैन पारिवारिक संरचना में विभिन्नताओं के जो स्वरूप जनपद भिण्ड के जैन प्रतिनिधियों में देखे गये, उनके क्रम में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप सामाजिक संरचना आघातित है ।समाज मनोवैज्ञानिक प्रसंगो में प्राप्त सूचनाएं स्पष्ट करती है कि सत्ता की प्रवृति सर्वाधिक प्रतिशत में पितृसत्तात्मक है और जिसका संचालन अनेक वर्गों के नेतृत्व के विकल्पों में होता है । इस प्रचलन के अन्तर्गत यह कहा जा सकता है कि जनपद भिण्ड का भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संलग्नित है अतः इस धारणा के प्रसंग में जो विविध उपलब्धियाँ मनोवैज्ञानिक क्रम में प्राप्त हुई है वह मौलिक के साथ-साथ वस्तुनिष्ठ भी हैं ।

मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्मावलम्बियों के सामाजिक वर्गीकरण में लेंबू, खरोता, गोलालारे, बोल सिंघाड़े, परवार जायसवाल अग्रवाल श्वेताम्बर प्रकार के स्तरण विद्यमान है जो यह निर्दिष्ट करते है कि धार्मिक सहिष्णुता में अनेक वर्गों की उपस्थिति बाधक नहीं मानी गयी है लेकिन इन वर्गों में प्रचलित सामाजिक धारणाएं अनेक स्वरूपों में है । कदाचित इस विषय वस्तु पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव तुलनात्मक विश्लेषण की अवधारणा बनाया जाय तो यह तथ्य प्रकाश में

आये है कि परम्परात्मक प्रतीक में वैवाहिक कटिबद्धता वर्ग विशेष के अन्तर्गत विकिट तो की गयी है लेकिन इसका अनुपालन मध्य प्रदेश प्रान्त के इस अंचल में नहीं किया जा रहा है और इसे संभवता प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की परिकल्पना की पुष्टि के औचित्य के रूप में स्वीकृति किया जा सकता है क्योंकि पारिवारिक उत्तरदायित्वों के क्रम में प्राप्त सूचनाएं निर्विकट करती है कि आत्मनिर्भर सदस्यों का वर्ग उपलब्ध तो है परन्तु इसके समक्ष एक वर्ग सदस्यों का ऐसा है जो आत्म निर्भर नहीं है -- यह दोनों मानक परस्पर विरोधी है एवं इस आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सामाजिक संस्तरण का समानान्तर तथा उर्ध्वाधर क्रम आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से ग्रसित है। मध्य प्रदेश प्रान्त के इस भू-भाग में संचालित किए गये अध्ययन के माध्यम से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जैन धर्म सम्प्रदाय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के समानतावादी अभिप्राय को सैद्धान्तिक आधार पर स्वीकृत तो किया गया है लेकिन कुछ परिवारों में इसका व्यवहारिक रूपक अवलोकित नहीं किया जा सका और इस क्रम में यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि संभवता जैन धर्म के व्यक्तित्वों का आत्मघाती करण समकालीन हिन्दुसमाजों से है अथवा इस सम्पूर्ण व्यवस्था पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है यह कहना कुछ कठिन है क्योंकि सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं के एक विशेष प्रतिशत द्वारा यह दर्शाया गया कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था पुरुष प्रधान समाज में ही संभव है। इन वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्थिति की समता और विषमता का विद्यमान होना यह इंगित करता है कि क्षेत्र में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रवेश हो तो चुका है लेकिन इसका विधिवत रेखांकन वर्तमान प्रत्यय के प्रसंग में नहीं किया जा सका है।

मध्य प्रदेश प्रान्त के अन्तर्गत जिलों में जैन समाज के व्यक्तित्वों पर समाज - आर्थिक प्रसंग के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र का जैन समाज व्यवसायिक दृष्टि से अत्याधिक सक्षम है क्योंकि इसके पास अपनी व्यवस्था की श्रेष्ठता के रूप में दो संस्थाएं प्रदान है -- परम्परागत कृषि योग्य भूमि एवं

व्यवायिक अन्य अभिकरण । प्रस्तुत शोध प्रसंग में संकलित उत्तरदाता विभिन्न वर्गों में विभेदीकृत किए गये और इसमें नौकरी और व्यापार के प्रतिशत में पारस्परिक विरोधाभास देखा गया है स्थानीय जैन प्रतिनिधियों द्वारा यह भी स्वीकृति प्रदत्त की गयी कि कुछ परिवारों के व्यक्ति सेवा एवं व्यवसायों के प्रसंग में भारत वर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित है एवं इसके अतिरिक्त सेवारत व्यक्तियों के प्रतिशत की स्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय क्रम में भी की गयी है । इस प्रकार व्यवसायिक वर्गीकरण में विविधता का विद्यमान होना यह निर्देशित करता है कि सामाजिक विकास अथवा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के सापेक्ष परम्परात्मक विचारों में परिवर्तन हो रहा है और इस धारणा के आधार पर प्रारम्भिक परिकल्पना की पुष्टि होती है कि क्षेत्रीयसमाज आर्थिक गतिविधियों के प्रसंग में आधुनिक सामाग्री शक्तियों के प्रभाव का दृष्टिकोण घटनात्मक है । आर्थिक वर्ग में संकलित की गयी सूचनाओं के क्रम में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से अनेक उपयोगी तथ्य अर्जित किए गये इन तथ्यों का विश्लेषण करने पर प्रायः यह देखा गया कि धन संचय की प्रवृति एवं माध्यमों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन है और इसके साथ-साथ रुपये पाँच हजार से अधिक मासिक आय वाले परिवार अधिक प्रतिशत में प्राप्त होना यह दर्शाता है कि भौतिक परिस्थितियों की निरन्तर वृद्धि के कारण इन्हें अर्जित करने की लिप्सा को इस क्षेत्र का जैन प्रतिनिधि संकीर्ण नहीं कर सका क्यों कि तदानुसार विश्लेषित सूचनाओं में इस प्रसंग के अभिमत अनेक स्वरूपों में प्राप्त किए गये हैं । इसकी समाज शास्त्रीय व्याख्या की जाय तो एक मात्र रूप से यह स्वीकृत किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज की समाज-आर्थिक गतिविधियों पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव प्रचुर मात्रा में है और इस प्रकार पूर्व निर्धारित परिकल्पना की पुष्टि शत प्रतिशत अर्थ में होती है ।

प्रस्तुत शोध प्रसंग में राजनैतिक गतिविधियों का क्रम अध्ययन का अभीष्ट उद्देश्य नहीं था फिर भी इस वर्ग की एकत्रित सूचनाएं विश्लेषण का आधार रखती है इसलिए समाज शास्त्रीय व्याख्या में इन्हे विधिवत रूप से दर्शाया गया है वर्तमान शोध अध्ययन में संकलित उत्तरदाता कांग्रेस, भारतीय जनतापार्टी, जनतादल, एवं अन्य

दलों के क्रमों में वर्गीकृत किए गये है और इस अभिप्राय का गुणात्मक अध्ययन करने से, से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद सिन्ध के जैन प्रतिनिधि सर्वाधिक प्रतिशत में भारतीय जनतापार्टी के समर्थक है जो इस अभिप्राय का द्योतक है कि मूल रूप से कोई भी जैन राजनैतिक दल विद्यमान न होने के कारण इस धर्म के व्यक्ति सम्बन्धीय उस आधुनिक हिन्दु विचार धारा के समर्थक बनने के लिए बाध्य है जो कदाचित राष्ट्रीय एकता का अपना हिन्दुत्व की गरिमा के अनुरूप अनुक्रम करता है और संभवता इस तात्पर्यता के स्वरूप में वह स्वयं के धर्म सम्प्रदाय को कालान्तर में सुरक्षित रख सके । वस्तुतः प्रस्तुत उपलब्धि अत्याधिक गंभीर निदेशन है सम्पूर्ण राजनेताओं एवं प्रशासको को कि वह क्षेत्रीय समन्वय में व्यवहारिक क्रियाशीलता स्थापित करे । इसका एक कारण और भी है और वह इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि इस जनपद की सभीपता चम्बल घाटी से होने के कारण अत्याधिक भयानक डाकुओं की समस्या से वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं जिसकी पुष्टि सम्बन्धित अध्याय के विभिन्न क्रमों का विश्लेषना करने पर की जा सकती है । राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्यों के निराकरण के प्रसंग में राजनैतिक प्रयासों की स्वीकृति इस क्षेत्र के उत्तरदाताओं द्वारा दी गयी है लेकिन इसके समक्ष यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण में संकलित अधिकांश उत्तरदाताओं के मतानुसार राजनैतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं । वर्तमान प्रसंग में परीक्षित की गयी छोटी - छोटी कई अन्य मनोवैज्ञानिक अवधारणायें यह निर्दिष्ट करती है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में वोट देने के विभिन्न दृष्टिकोणों में संरचनात्मक विविधता है । जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वस्तुतः इस क्षेत्र का जैन प्रतिनिधि राजनैतिक गतिविधियों के प्रसंग में वस्तु निष्ठ इकाइयों का एकीकरण नहीं कर सका और संभवता इस सभीकरण पर भी आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव सम्बन्धित दृष्टिगोचर होता है जिसे प्रस्तुत परिवेक्ष्य में सकारात्मक माना जा सकता है ।

सामाजिक मूल्यों के प्रचलन दो स्वरूप होते हैं - प्रथम मूल्यों की परम्परात्मक अवधारणा तथा द्वितीय मूल्यों का वर्तमान स्वरूप । सामाजिक

संरचना में विद्यमान मूल्य वह विशेषीकृत अभिकरण है जो सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षों का निर्धारण करते है । जैन दर्शन की साहित्यक समीक्षा करने से यह स्पष्ट हो चुका है कि धर्म की क्रिया शीलता विद्यमान मूल्यों के सापेक्ष ही संभव है और इस प्रकार व्यवस्था के उभय पक्ष — संरचात्मक एवं प्रकार्यात्मक, कालविभा की दृष्टि से संचालित होगे । जैन दर्शन में उल्लेख है कि भौतिक एव अभौतिक सीमाओं में धर्म, अर्थ काम, एवं मोक्ष की परिकल्पना की गयी है और इसका व्यवहारिक अनुपालन अहिंसा, शाकाहारी भोजन, पानी छानकर पीने की प्रक्रिया एवं सूर्यास्त के पश्चात भोजन करने पर प्रतिबन्ध आदि - आदि के माध्यम से किया जायेगा । इसके समकक्ष दैनिक क्रियाओं में बौद्धिक चिन्तन, गोष्ठीयों एवं जिन भगवान के दर्शन, भी अपेक्षित किए गये है और इसक्रम में उल्लेख किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त का जनपद भिण्ड जैन धर्म के अनेक देवालयो से भरापड़ा है तथा इन देवालयों की स्थापना विभिन्न स्थानों पर है । सांस्कृतिक मूल्यों के पक्ष में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि वर्ष की अनेक अवधियों में विभिन्न प्रकार के तीज त्योहारो को आवश्यक माना गया है और इस व्याख्या के अतिरिक्त यह भी विवरण प्रदत्त करने योग्य है कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के दृष्टि कोण से जैन धर्म समाज द्वारा इस प्रकार की अनेक शैक्षणिक संस्थाए संचालित की जा रही है । जिनमें चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य उपयोगी उपक्रमों की समीक्षा तथा क्रियान्वयन सम-सामयिक रूप से किया जाता है इस प्रकार इस भौगोलिक क्षेत्र में मूल्यों के भौतिक स्वरूप में समानुपातिक परिवर्तन अवश्य आया है क्यों कि इस क्षेत्र में कुछ शिक्षण संस्थान इस प्रकार के संचालित है जिनमें अन्य धर्मों के विद्यार्थी सहज रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान अध्ययन की अवधि में कुछ ऐसे भी शिक्षण संस्थान देखे गये है जो पूर्णतः जैन धर्म के व्याख्यातयों के लिए है अतः समाज शास्त्रीय व्याख्या के क्रम में यह माना जा सकता है कि सांस्कृतिक समग्रता का मूल्य स्वार्थवादी एवं परार्थवादी दोनों पक्षों का है तथा विचार धारा का क्रम इस प्रकार रेखीयक्रम किया जा सकता है

मूल्यों की निधि पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रसंग में किए गये तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किए जा सकते हैं—

1. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में पितृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था विद्यमान है।

2. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में वंशावली का आधार दैवीय प्रतिकों में विद्यमान है

3. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले के निवास करने वाले जैन समाज में अन्तरमुखी विवाह पद्धति पूर्व में विद्यमान थी लेकिन वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत अकस्मक इस व्यवस्था पर स्पष्ट अन्तर दृष्टि गोचर हुआ है।

4. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाजों में शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हो रही है।

5. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में विद्यमान सामाजिक गतिविधियों के क्रम मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों के अन्तर्गत परिवर्तित हो रहे हैं।

6. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में दिगम्बर और श्वेताम्बर वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं और इनमें दिगम्बर वर्ग अग्रणीय है।

7. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में धार्मिक पद्धति के आधार पर एक आचार संहिता पूर्व में निर्धारित की गयी थी। लेकिन इसका अक्षरतः अनुपालन वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है।

8. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में धार्मिक दृष्टि से उदारवादी दृष्टिकोण विद्यमान है।

9. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में विवाह पद्धति को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है।

10. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों का पूर्व निर्धारित स्वरूप सामान्य धारणा में विद्यमान है लेकिन इसके प्रसंग के मनोवैज्ञानिक कारणों में परिवर्तन उपलब्ध हुआ है।

11. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज द्वारा स्वेच्छित शिक्षण संस्थाओं का नियन्त्रणकिया जा रहा है और इस पक्ष में उल्लेखनीय है कि पूर्णतः जैन व्यक्तियों के लिए तथा मिश्रित प्रकार के प्रतिनिधियों के लिए इन शिक्षण संस्थाओं में उचित प्रावधान है ।

12. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज द्वारा उपयोगितानुसार अनेक प्रकार के वार्षिक मेलों का आयोजन किया जाता है ।

13. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाला जैन समाज पूर्णतः शाकाहारी प्रवृत्तिका है ।

14. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में महिलाओं के सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में उल्लेख किया जा सकता है कि पर्दा प्रथा का आंशिक प्रचलन वर्तमान समय में भी है और सामाजिक सह- अस्तित्व के प्रसंग में महिलाओं की स्थिति को विकसित करने का प्रयास इस क्षेत्र में किया जा रहा है ।

15. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिलेमें निवास करने वाले जैन समाज के मिश्रित प्रकार की आर्थिक संरचनायें हैं जिसमें कृषि । व्यवसाय, रोजगार आदि के विकल्प व्यवस्त किये जा सकते हैं ।

16. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में आर्थिक संचय का उपक्रम अत्याधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्रित प्रकार के आर्थिक संचय के प्रयासों को वर्तमान क्रम में देखा गया है ।

17. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले मे निवास करने वाले जैन समाज में यहविशेषता है कि यह समाज धार्मिक कार्यों के प्रसंग में व्यय किये जाने वाले धन को उचित व्याप्ति है ।

18. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में सामाजिक सुविधाओं की वृद्धि करने में एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धा है ।

19. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज द्वारा इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित कराने के उद्यमता है ।

20. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में जैन व्यक्तियों द्वारा संचालित कोई भी राजनैतिक दल नहीं है और यह तथ्यात्मक प्रतिज्ञात में भारतीय जनतापार्टी के सदस्य हैं ।

21. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में इस अभिप्राय की अधिकता है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास पूर्ण प्रभावशाली राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा अर्जित किया जा सकता है ।

22. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में सामाजिक असुरक्षा की भावना विद्यमान है क्योंकि यह क्षेत्र अल्पसंख्यकों के बीहड़ों के समीपस्थ है

23. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में धर्मनिरपेक्षता के पद्धति विद्यमान है और इस समाज के सदस्य अन्य धर्मों के व्यक्तियों के सह-अस्तित्व के प्रतीक में है ।

24. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में प्रचलित मूल्यों की अवधारणा इस प्रकार की स्थिति में है जिसे प्रचलन के क्रम में व्यवहारिक, सामंजस्य के आधार पर संचालित किया जा रहा है । एवं

25. मध्य प्रदेश प्रान्त के जबलपुर जिले में निवास करने वाले जैन समाज में समाजार्थिक एवं समाजसांस्कृतिक मूल्यों का समग्र आधुनिक सामाजिक शक्तियों से प्रभावित है ।

उपलब्ध निष्कर्षों के क्रम में यह संस्तुति की जा सकती है कि प्रस्तुत अध्ययन की पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद आगामी अध्ययनों को आधारित कर सकते हैं । मूल मान्यताओं की परिधि में जो सामाजिक व्यतिक्रम में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के सर्वाधिक प्रभाव में है एवं इसके आधार पर वीजारोपित परिकल्पना के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पुष्टि होती है । वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रस्तुत चरण में उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के निरन्तरता सामाजिक अनिवार्यता है लेकिन यह भी विदित है कि अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति शत प्रतिशत अर्थ में अर्जित नहीं हो सकती है । और इस अभिप्राय का अवलोकन उल्लेखनीय है क्योंकि सामयिक संतुलन की दृष्टि से अन्य प्रकार की बाधायें भी हैं । अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कौतूहलपूर्ण उपलब्धता का विभोचन उन्हीं परिस्थितियों में संभव होगा जबकि इसका वांछित अवलोकन सम्बन्धित समाज वैज्ञानिकों द्वारा किया जाय ।

——— xxxxx ———

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

Agrawal, P.C. 1968, Human Geography of Baster district Garga Brothers, Allahabad.

Alexander, J.M. 1982. A Comparative evaluation of the Canadian Society- with some policy implications. Guru Nanak Journal of Sociology. Vol. 3. No. 2 (Oct). pp.58-124.

Atal, Y. 1968 a. The Changing Frontiers of caste, National Publishing House, New Delhi.

Atal, Y. 1968. The Role of Elite in Economic Development. Seminar on Sociology of Economic Development, Department of Anthropology and Sociology, University of Saugar, Sagar.

Bailey, F.C. 1957. Caste & the Economic Frontier, Manchester University Press, Manchester.

Bailey, F. 1960a. Tribe, Caste and Nation; A Study of Political Activity and Political change in Highland Orissa, Manchester University Press, Manchester.

Barnow, V. 1954. The Changing Character of Hindu Festival. American Anthropologist, 56, 74-86.

Bernard, L.L. 1934. Fields and Methods of Sociology, pp.273-274. Farrar, Straus & Giroux.

Beers, H.W.1962. Relationships among workers in C.D. Blocks, National Institute of Community Development, Mussoorie.

Beteille, A. 1969b. Caste & Politics in Tamil Nadu. In A.Beteille Castes: old and New, Asia Publishing House, Bombay.

Beteille, A 1964-65. Note on Pongal Festival in Tanjore Village. Man, May-June, 65.

Bose, N.K. 1961. A Study in Indian Unity and Diversity, Anthropological Survey of India, Calcutta.

Buchanan, F.H.1925. Journal of Francis Buchanan Kept during the Survey of Patna and Gaya in 1811-12.(Edited by V.H. Jackson), Patna.

Chatto-adhyay, K.P. 1935. Dharma Worship in Bengal; Journal of Asiatic Society of Bengal, Letters, 1(3).

Coleson, E.1968. Political Anthropology; The Field; International Encyclopaedia of the Social Sciences, 12, 189-93.

Das, T.C. 1927. Sun Worship Amongst the Aboriginal Tribes of Eastern India. Journal Department of Letters, Calcutta University, 2.

Dube, D.C., Sutton, W.A. Village Level Workers, National Institute of Community Development, Mussoorie.

Dube, L. 1965. Studies on Leadership in Village India", In emerging Patterns of Rural Leadership in Southern Asia, National Institute of Community Development, Hyderabad.

Dube, S.C. 1964b. Tradition, Social Structure and Agricultural Development. KuruKshetra. 13(1), 14-19.

Dube, S.C. 1974. Sociology of Economic Development In "A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology". Vol. XI pp.1-29.

Dubois, Abbe J.A. and Bencham P, H.K. 1928. Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Clarendon Press, Oxford.

Dutta, R. 1968. Values and Economic Development" Economic and Political Weekly, 3(1&2), 109-116 (Annual Number).

Dumont, L.& Pocock, D.F. 1957. Village Studies, Contribution to Indian Sociology, No. 1, 23-41.

Dumont, L. 1970. Religion Politics and History in India, Mouton & Co., The Hague.

Elmore, W.T.1915. Dravidian Gods in Modern Hinduism A Study of Village Deities of South India, University of Nebraska, Lincoln.

Epstein, T.S. 1962. Economic Development and Social Change, Manchester University, Manchester.

Fürer-Haimendorf, C. Von. 1962. Caste & Politics in South Asia. In C.H. Phillips (ed.) Politics and Society in India, Frederick A.Praeger, New York.

Gardner, P.M. 1968. Dominance in India. A Re-Appraisal, Contributions to Indian Sociology, New Series, No. 2, December, 82-97.

Ghurye, G.S. 1953. Indian Sadhus. Popular Book Depot, Bombay.

Gupta, A.1967. Research in Politics Borrowed concept Do Not Fit, Economic and Political Weekly, 2(17), 803-806.

Gupta, K.P. 1971. A Theoretical Approach to Hinduism and Modernisation of India. Journal of Sociology 2(1),59-91.

Gough, E.K.1959. Cults of the Dead Among the Nayars. In Milton Singer(ed.) Traditional India; Structure and change, 140-272.

Gusfield, J.R. 1957. 'The Sociology of Politics', In Joseph B.Gittler (ed.) Review of Sociology: Analysis of a Decade, John Wiley & Sons, Inc. New York, 520-30.

Haberle, R.1951. Social Movements: An Introduction to Political Sociology, Century Crofts, Appleton.

Harper, E.B.1957a. Shamanism in South India. Southwestern Journal of Anthropology, 13, 267-287.

Harper, E.B.1957b. Hoylu: A belief relating Justice and Supernatural: American Anthropologist, 59,801-816.

Harper, E.B.1959. A Hindu Village Pantheon. Southwestern Journal of Anthropology 15, 227-234.

Harper, E.B. 1963. Spirit Possession and Social Structure in Bala Ratnam (ed.) Anthropology on the March, The Book Centre, Madras, 165-197.

Harper, E.B. 1964a. Ritual Pollution as an Integrator of Caste and Religion. The Journal of Asian Studies, 2, 151-197.

Hutton, J.H. 1961. Caste in India: Its Nature, Function and Origin. IInd Edition. Oxford University Press, Bombay.

Joshi, O.P. 1982. Bhind Jampad Ki Krishi Bhumi Upyog Aur Pritiroop Muton Parivarthano Ka Sthanik Vishleshan. p.67.

Kapadia, K.M. 1946. Hindu Kinship. Popular Book Depot, Bombay.

Kapp, W.K. 1963. Hindu Culture, Economic Development and Economic Planning in India, Asia Publishing House, Bombay.

Karve, I. 1961. Hindu Society. An Interpretation, Sangam Prakashan, Poona.

Kothari, R.&Maru, R. 1970. Federating for Political Interests,' In Rajni Kothari (ed.) Caste in Indian Politics, Orient Longmen, Delhi.

Lewis, O. 1955. Group Dynamics in a North Indian Village, Planning Commission, Delhi.

Looms, C.P. and Looms, Z.K. 1969. Socio-Economic change, Affiliated East-West Press, New Delhi.

Hutton, J.H. 1961. Caste in India: Its Nature, Function and Origin. IIInd Edition. Oxford University Press, Bombay.

Joshi, O.P.1982. Bhind Jampad Ki Krishi Bhumi Upyog Aur Pritiroop Nuton Parivarthano Ka Sthanik Vishleshan.p.67.

Kapadia, K.M. 1946. Hindu Kinship. Popular Book Depot, Bombay.

Kapp, W.K. 1963. Hindu Culture, Economic Development and Economic Planning in India, Asia Publishing House, Bombay.

Karve, I. 1961. Hindu Society. An Interpretation. Sangam Prakashan, Poona.

Kothari, R.&Maru, R.1970. Federating for Political Interests,' In Ranji Kothari(ed.) Caste in Indian Politics, Orient Longmen, Delhi.

Lewis, O. 1955. Group Dynamics in a North Indian Village, Planning Commission, Delhi.

Looms, C.P. and Looms, Z.K.1969. Socio-Economic change, Affiliated East-West Press, New Delhi.

Lipset, S. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.'

Madan, T.N. 1968. The Hindu Family and Economic Development: Notes for Discussion Seminar on Sociology of Economic Development, Deptt. of Anthropology and Sociology, University of Saugar, Sagar.

Mathur, K.S.1964. Caste and Ritual in a Malwa Village, Asia Publishing House, Bombay.

Mandelbaum, D.G.1970. Society in India: Change and Continuity, 2 Vols. University of California Press, Berkeley.

Marriott, M. 1955. Little Communities in an Indigenous Civilisation, in M.Marriott (ed.), Village India, University ofChicago Press, Chicago, 171-222.

Marriott, M. and Cohn, B.S.1958. Networks and centre in the Integration of Indian Civilisation. Journal of Social Research, 1, 1-9.

Mayer, A.C. 1967b. Caste and Local Politics in India. In Philip Mason (ed.), India and Ceylon: Unity and Diversity. Oxford University Press, New York.

Merton, R.K. 1949. Social Theory and Social Structure: Towards Codification of Theory and research. Columbia University Press, pp. 55-59.

Mishra, V. 1962. Hinduism & Economic Growth. Oxford University Press, Bombay.

Moddie, A.D. 1968. The Brahmanical Culture and Modernity, Asia Publishing House, Bombay.

Morris, M.D. 1967 Values as an obstacle to Economic Growth in South Asia: A Historical Survey, Journal of Economic History, University of Washington, U.S.A. 37(4), 558-607.

Naidu, G.P. 1929. The Legislative Council Elections: A Critical Study of Party Programmes, Saraswati Pioneer Press, Rajahmundry.

Niwell, W.H. 1957. A Gaddi House in Goshen Village, Chamba State, North India; Man, 57(20).

Nicholas, R. 1967. Ritual Hierarchy and Social Relations in Rural Bengal. Contribution to Indian Sociology. (New Series), 1, 56, 83.

Oomen, T.K.1970a. The Concept of Dominant Caste: Some Queries? Contribution to to Indian Sociology, New Series No. 4, December, 73-83.

Pandeya, A.N. 1970. Role of Religion, Seminar, April, 128, 34-37.

Park, R.L.& Tinker, H.(Eds) 1959 Leadership and Political Institutions in India, Oxford University Press, Madras.

Parsons, T. 1964. The Social System. Free Press, New York.

Patro, A.B. 1932. The Justice Movement in India, Asiatic- Review, January, 27-49.

Piggott, S, 1944. Nomad House Sites in the Western Himalayas; Man, 44(121).

Radha Krishanan, S.1967. Religion and Society. Rajpal & Sons, Delhi, pp. 125.

Raghvan, K. 1917. Home, Rule and Caste, Spectator Press, Calicut.

Rajah, M.C. 1925. The Oppressed Hindus, Huntley Press, Madras.

Rao, M.S.A. 1968. Occupational Diversification and Joint House hold Organisation. Contribution to Indian Sociology, 2, 98-11.(New Series).

Risley. H.H. 1915. The People of India, IInd Edition, W.Thacker & Co. London.

Redfield, R. and Singer, M.1954. The cultural Role of Cities Economic Development and Social Change, 8(1), 53-73.

Rudolph, L.I.&Rudolph, Indian Political Studies and the Scope of comparative Politics : Review Article,' Far Eastern Survey September, 134-42.

Roy, S.C. 1928, Oraon Religion and custom Ranchi.

Roucek, J.S. 1957 — Political Sociology and Public Administration in the U.S.A., IL, Politico, 22, 519-33.

Sahay, K.N.1967. — Christianity as a Source of Economic Development among the Uraon Converts of Chainpur. Indian Journal of Social Work, 28(2), 185-194.

Sangave, V.A.1959. — Jain Community: A Social Survey, Popular Book Depot, Bombay.

Saran, A.K.1968. — Hinduism and Economic Development in India, Archives de Sociologie des Religions, 8-15.

Singh, S.J. 1933. — Habitations of the Maitais, Main In India, 13.

Singh, R.L. 1955. — Evolution of Settlement in the middle Ganga Valley; National Geographical Journal of India, 1 (Pt. II).

Singh, A.K. 1967. Hindu Culture and Economic Development in India. Conspectus, 3(1), 9-32.

Singh, S.K. 1968. Hinduism and Economic Growth in India. The Tara Printing Works, Varanasi.

Singer, M.B. 1955 The Cultural Pattern of Indian Civilization. Far Eastern Quarterly 1 15(1), 2 25-36.

Singer, M. 1956. Cultural Values in Indians Economic Development, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 305, 81-91.

Singer, M.B.1958. The Great Tradition in a Metropolitan Center, Madras. Journal of American Folklore, 71, 347-388.

Singer, M.B.1964. The Social Organisation of Indian Civilization. Diogenes, 45, 84-119.

Singer, M.B.1972. When a Great Tradition Modernises: An Anthropological Approach to Indian Civilisation Praeger Publishers New York.

Sorikin, P.A. 1957. Social and Cultural Dynamics, One Volume Edition, Poster Sargent, Boston.

Srinivas, M.N. 1952. Religion and Society Among the Coorgs of South India. Oxford University Press, Oxford.

Srinivas, M.N. 1954. A Caste Dispute Among Washerman of Mysore, Eastern Anthropologist, 7(3 & 4).

Stevenson, H.N.L. 1954. Status Evaluation in the Hindu Caste System. Journal of the Royal Anthropological Institute, 84, 45-65.

Tilman, R.O. 1963. The Influence of a Caste on Indian Economic Development. In R. Braibanti and J.Spengler (Eds.) Administration and Economic Development in India Duke University Press, Durham, N.C. and Cambridge University, Press, London.

Vidyarthi, L.P. 1961. The Sacred Complex in Hindu Gaya. Asia Publishing House, Bombay.

Vidyarthi, L.P. 1967. Leadership in India. Asia Publishing House, Bombay.

Walton, J. 1959b Folk Building in Tehri Garhwal: Man, 59 (282).

Weber, Max. 1920-21. The Religion of India: The The Sociology of Hinduism and Buddhism, (Translated and Edited by Hanse H.Gerth and Martindale), The Free Press, Glencoe (1958).

Whitehead, H.1921. The Village Gods of South India, Culcutta.

Young, P.V. 1956. Scientific Social Surveys and Research (3rd Ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.

परिशिष्ट (साक्षात्कार अनुसूची का प्रारूप)

परिशिष्ट

साक्षात्कार अनुसूची का प्रारूप

साक्षात्कार - अनुसूची

*** जैन धर्म की कुछ मान्यतायें एवं सामाजिक आर्थिक विकास :- जैन धर्मावलम्बियों पर आधारित अध्ययन ***

(जनपद जिन्द के जैनों के विशेष संदर्भ में)

शोधार्थी : सुभाष चन्द्र जैन
प्रवक्ता, समाज शास्त्र
जैन डिग्री कालेज
जिन्द (हरि०)

दिनांक .....

1. सामान्य सूचनायें :

1. उत्तरदाता का नाम : ———————————
2. पत्र व्यवहार का पता : ———————————
: ———————————
: ———————————
3. उत्तरदाता की जन्मतिथि : ———————————
4. पिता/पति का नाम : ———————————
5. भौगोलिक क्षेत्र : ——————— शहरी/ ग्रामीण ———
6. वैवाहिक स्तर : ——————— अविवाहित/विवाहित/ विधवा/विधुर/तलाकशुदा
7. जाति : ———————————
8. गोत्र : ———————————
9. शैक्षणिक योग्यता : ——————— अशिक्षित/प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल/इण्टरमीडियट/स्नातक/स्नातकोत्तर/ इंजीनियरिंग/चिकित्सा/अन्य प्रशिक्षणादि का विवरण

10. पारिवारिक सत्ता : ———— पितृसत्तात्मक/मातृसत्तात्मक

11. उत्तरदाता का व्यवसाय : ———— नौकरी/व्यवसाय/सेवानिवृत्त/कुछ नहीं करते/अन्य कोई विवरण आदि.

ब. सामाजिक पृष्ठभूमि :

12. उत्तरदाता के पारिवारिक सदस्यों की संख्या : ———— दो सदस्य/दो से पांच सदस्य/पांच से छह सदस्य/दस से अधिक सदस्य

13. उत्तरदाता के परिवार का स्वरूप : ———— संयुक्त/ केन्द्रीय/विस्तृत

14. उत्तरदाता के परिवार का प्रमुख : ———— पिता/माता/पति/दादा/दादी/अन्य कोई तो उल्लेख कीजिये ।

15. उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों का विवरण : ———— शिक्षित/अशिक्षित

16. उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों का सामान्य सामाजिकविवरण :————

क्र.सं.	सदस्यकानाम	विवरण आयु	शिक्षा	व्यवसाय	आर्थिकआय	उत्तरदाताओंसे सम्बन्ध
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

17. उत्तरदाता के परिवार के सदस्यो का वैवाहिक विवरण ——

क्र.सं.	सदस्य का नाम	अविवाहित	विवाहित	विधवा	विधुर	तलाकशुदा
1.						
2.						
3.						
4.4.						
5						

18. आपके पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्ध : —— सामान्य/असामान्य/कुछनही कह सकते ।

19. भोजन पद्धति का स्वरूप किस प्रकार का है : —— शाकाहारी/मांसाहारी/मिश्रित ।

20. पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियाँ : —— शिक्षा/व्यवसाय/धार्मिक/सामाजिक/मिश्रित/ अन्य कोई है तो उल्लेख कीजिए ।

21. परिवार में आवासीय सुविधा का विवरण :—— —— निजी मकान/किराये का मकान

22. आवासीय परिसर में सुविधाओं का विवरण : —— —— —— कच्चा आवास/पक्काआवास/

23. पारिवारिक सदस्यों की वस्त्रसम्बन्धी अभिरुचि का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	वस्त्र का विवरण सूती	रेशम	टैरीकाट	मिश्रित	अन्य कोई
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

24. आपके परिवार में किस प्रकार की विवाह पद्धति का प्रचलन : ———— एक विवाह/बहुपत्निप्रथा/बहुपति प्रथा ।

25. आपके परिवार में क्या दहेज प्रथा विद्यमान है : - - - - - - - हाँ/ नहीं /कुछ नहीं कहा जाता

26. आपके परिवार में विवाह का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है : - - - - - ——गोत्र के अन्तर्गत/गोत्र से अन्यत्र/मिश्रित प्रक्रिया

27. आपके परिवार में गोत्र का प्रचलन : - - - - - - - - देवी देवताओं के नाम पर आधारित है/वंश परम्परा अथवा प्राकृतिक संरचना पर आधारित है /अन्य कोई प्रचलन हो तो उल्लेख कीजिये ।

28. आपके परिवार में पर्दा प्रथा विद्यमान है : - - - - - - - —— हाँ / नहीं

29. विवाह के समय किये जानेवाले विभिन्न संस्कारों एवं भेंटों के सम्बन्ध में मत : - - - - - - - - - - - सहमत/असहमत

30. आपके मत में :

(1) विवाह एक सामाजिक बंधन है - - - - - - - - - - - - हाँ/नहीं

(2) विवाह एक धार्मिक संस्कार है - - - - - - - - - - - - हाँ/नहीं

(3) व्यवहारिक जीवन में विवाह से कोई कठिनाई नहीं है - —— - - - - - - - - - - हाँ/नहीं

(4) परिवार नियोजन के प्रति अभिरुचि - - - - - - - - - - - - - हाँ/नहीं यदि हाँ तो माध्यमों का उल्लेख कीजिये ।

(5) वंश चलाने के लिये एक पुत्र आवश्यक है - - - - - - - - - - - - हाँ/नहीं

(6) अन्य पत्नी विधान के प्रति मत —— - - - - - - - - सहमत/असहमत

(7) विवाह के समय प्रेम आडम्बरों के प्रति मत - - - - - - - - - —— हाँ/नहीं

31. आपके परिवार में भाषा का प्रचलन : - - - - - - - ——हिन्दी/अंग्रेजी/देशीय/मिश्रित/अन्य कोई हो तो उल्लेख कीजिये

स. आर्थिक पृष्ठभूमि

32. परिवार की आय के साधन : ——— नौकरी/व्यवसाय/खेती/मिश्रित/अन्य कोई हो तो उल्लेख कीजिए

33. परिवार की कुल मासिक आय : ——— 1. 500/= से कम
2. 500/= से 1000/= तक
3. 1000/= से 1500/= तक
4. 1500/= से 5000/= तक
5. 5000/= से अधिक

34. परिवार में धन संचय का माध्यम: ——— बैंक/पोस्ट आफिस/बीमा/अचल सम्पदा के रूप में/सूद में/अन्य कोई हो तो उल्लेख कीजिए

35. आपके परिवार में विद्यमान वस्तुओं का उल्लेख कीजिए ——— टी. वी./फ्रिज/कूलर/हीटर/टेलीफोन/कार/गैस/अन्य

36. पारिवारिक आय के प्रति में संचयित मनोवृत्तिका विवरण ——— नीति के आधार पर/अनीति के आधार पर/विनिमय/क्रय द्वारा/अन्य कोई आधार हो तो उल्लेख कीजिए।

37. आपके परिवार के सदस्य व्यवसाय के लिए कहाँ-कहाँ सेवारत हैं। ——— म0प्र0/भारत की में/विदेशों में

38. आपके मत में परिवार की आय संचय की जा सकती है —
(1) धार्मिक कार्यों में ——— हाँ/नहीं
(2) मनोरंजन ——— हाँ/नहीं
(3) दान करने में ——— हाँ/नहीं
(4) विलासिता पर ——— हाँ/नहीं
(5) भोग विलास की वस्तुओं पर ——— हाँ/नहीं

39. परिवार में आर्थिक वितरण : ——— हाँ/नहीं/कुछ नहीं कह सकते हैं
से सदस्य संतुष्ट हैं।

40. आय का स्वरूप किस प्रकार का है : ——— संयुक्त/व्यक्तिगत

द. धार्मिक घटनाक्रम

41. जैन धर्म महत्वपूर्ण है : ---------- हाँ/ नहीं

42. जैन धर्म के विभाजन उचित हैं : ---------- हाँ/ नहीं

43. ईश्वर की आराधना के लिये : ---------- भजन-कीर्तन/कथा/यज्ञ/वस्त्रघटाना/माला जपना/अन्य
कौन-कौन से तरीके प्रयुक्त किये जाते हैं ।

44. धर्म के माध्यम से उद्धार हो सकता है: ---------- सहमत/असहमत

45. जैन धार्मिक क्रियायों का पालन करते हैं : ---------- हाँ/ नहीं

46. धर्म में आडम्बर आवश्यक है : ---------- हाँ/नहीं

47. धर्म एवं विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं : ---------- हाँ/ नहीं

48. शुभ कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व : ---------- हाँ/ नहीं
मुहूर्त दिखाना आवश्यक है ।

49. दूसरे धर्म के व्यक्तियों से सामान्य: ---------- हाँ/नहीं/सामंजस्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।
सामंजस्य स्थापित है ।

50. आपकी सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति : ---------- कट्टरपंथी/ उदार

51. धार्मिक गतिविधियों का संचालन : ----------
किस प्रकार होता है ----

(1) पिता द्वारा -------- हाँ/ नहीं
(2) माता द्वारा -------- हाँ/ नहीं
(3) स्वयं द्वारा -------- हाँ/ नहीं
(4) दादा दादी द्वारा -------- हाँ/ नहीं
(5) पुजारी द्वारा -------- हाँ/ नहीं

52. प्राकृतिक आपदायें धर्म के माध्यम: ---------- हाँ/ नहीं
से निराकरित की जा सकती हैं ।

य. सांस्कृतिक घटनाक्रम :

53. सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि :— — — — — — — — — — — हाँ/ नहीं

54. सांस्कृतिक गतिविधियों से : — — — — — — — —

(1) सामाजिक स्तर बढ़ता है — — — — — — — — हाँ/नहीं

(2) मनोरंजन का साधन है — — — — — — — हाँ/नहीं

(3) बौद्धिक स्तर बढ़ता है — — — — — — — — हाँ/नहीं

(4) वैमनस्य कम होता है — — — — — — — — हाँ/नहीं

55. वर्ष भर की सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख कीजिए —

क्र. सं.	माह	सांस्कृतिक गतिविधि का नाम
1.	जनवरी	
2.	फरवरी	
3.	मार्च	
4.	अप्रैल	
5.	मई	
6.	जून	
7.	जुलाई	
8.	अगस्त	
9.	सितम्बर	
10.	अक्टूबर	
11.	नवम्बर	
12.	दिसम्बर	

56. आपके परिवार के सदस्यों का सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान : ---------- सामान्य/अधिकतम/न्यून/ नगण्य

57. सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी उचित है । :---------- सहमत/ असहमत

58. धार्मिक गतिविधियां सांस्कृतिक माध्यम से यदि संचालित की जाये तो धर्म का प्रसार अधिक हो सकता है । :---------- सहमत/असहमत

59. अन्य धर्मों के सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेते हैं । :---------- सहमत/असहमत/कुछ नहीं कह सकते

60. जैन धर्म की सांस्कृतिक गतिविधियां मानव कल्याण के लिए उपयोगी है । :---------- सहमत/असहमत/यदि अन्य कोई मत है तो उसका उल्लेख करें ।

61. सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में अधिक राशि का व्यय उचित है । :---------- सहमत/असहमत

62. पश्चिमीकरण/औद्योगीकरण/पश्चसंस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया से जैन धर्म के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । :---------- सहमत/असहमत

63. जैन संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन करते हैं :---------- हाँ/ नहीं

64. जैन संस्कृति में त्याग की भावना की प्रधानता है लेकिन इस पर्व में परिवर्तन आया है । :---------- सहमत/असहमत

65. पुर्नजन्म कर्मों के अनुसार होता है :---------- सहमत/असहमत

८. राजनैतिक घटनाक्रम :

66. राजनैतिक दलों की सदस्यता उचित है :---------- हाँ/ नहीं

67. आप किस राजनैतिक दल के सदस्य हैं :----------

68. मतदान करते समय आपके मत का आधार ---

(1) व्यवसायिक ---------- हाँ/नहीं

(2) धर्म के आधार पर ---------- हाँ/ नहीं

(3) जाति के आधार पर ---------- हाँ/नहीं

(4) योग्यता के आधार पर ---------- हाँ/नहीं

(5) किसी के कहने से ---------- हाँ/नहीं

(6) अन्य कोई आधार हो तो ---------- उल्लेख की जिए ।

69. क्या आप वर्तमान समय में देश की :---------- हाँ/नहीं राजनैतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं ।

70. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायों ---------- हाँ/ नहीं का निराकरण राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा सम्भव नहीं है ।

71. राजनैतिक जागरूकता के लिये आप :---------- समाचार पत्र/टी.वी./गोष्ठियाँ/मिश्रित साधन क्या साधन प्रयोग करते हैं ।

72. देश हित में ----------

(1) डिक्टेटरशिप उचित है ---------- हाँ/नहीं

(2) प्रजातंत्र उचित है ---------- हाँ/नहीं

(3) द्विदलीय व्यवस्था उचित है ---------- हाँ/नहीं

(4) राष्ट्रपति शासन उचित है ---------- हाँ/नहीं

(5) जैनधर्म के व्यक्ति का शासन होना चाहिए । ---------- हाँ/नहीं

(6) आगामी समय समाज के लिए अच्छा होगा । ---------- हाँ/नहीं

73. राजनैतिक क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी उचित है । ---------- हाँ/नहीं

74. राजनैतिक गतिविधियों में संलग्नित व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं । ---------- हाँ/नहीं/कुछ नहीं कह सकते ।

75. अन्य उपयोगी सूचनायें जो आप जैन धर्म की मूल मान्यताओं के प्रसंग में उपयोगी समझते हैं उनका विवरण दीजिए । ----------

x---------धन्यवाद ---------x